खण्ड-175, अंक-4
गुरूवार, 11 श्रावण, शक संवत् 1878
(2 अगस्त, 1956 ई0)

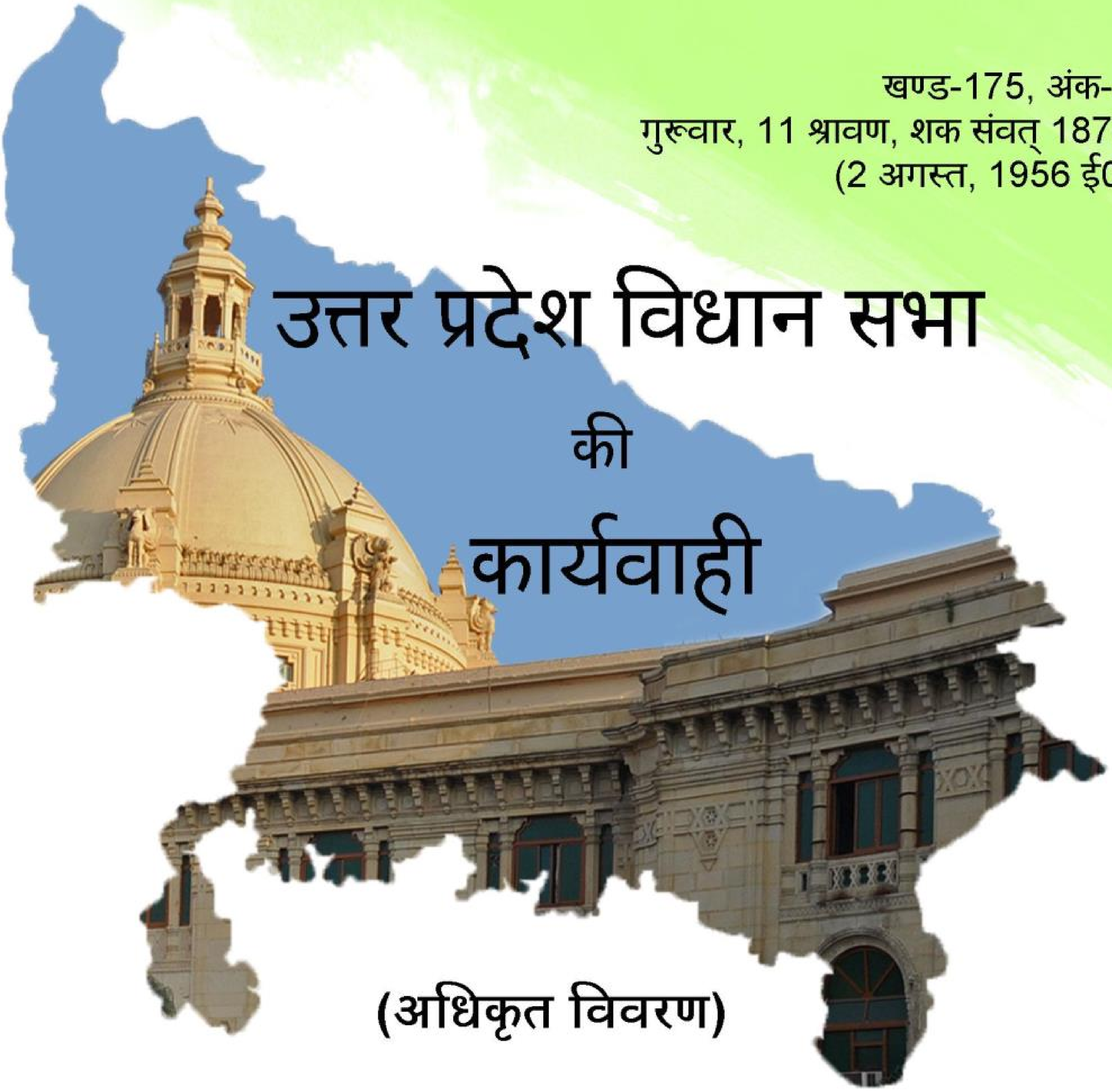

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 175 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

INDIAN INSTITUTE LIBRARY
21 SEP 1956
NEW DELHI

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २ अगस्त, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२७९)

अक्षवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खाँ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इसरारुल हक, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभानु सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
ऐजाजरसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पान्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री

जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन लाल वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
रघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम जी सहाय, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसुन्दर पाँडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरन्द्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासी लाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्श सिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती

विधान सभा उत्तर प्रदेश

सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सवित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दर लाल, श्री
सुरुज़राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २ अगस्त, १९५६

तारांकित प्रश्न

मिर्जापुर जिले में पिपरी सड़क पर लाश का मिलना

*१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि (रिहन्ड डाम) मुकाम, तुर्रावी ७१ नं० बिल्डिग, जिला मिर्जापुर में ३० अप्रैल, १९५६ की शाम को एक आदमी मरा पड़ा था ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—दुद्धी थाने में १ मई, १९५६ को सूचना मिली कि एक लाश १३/१४ पी० सी० बैरक चौपन की सड़क पिपरी में पाई गई।

*२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह लाश ५ मई, १९५६ तक उसी स्थान पर पड़ी रही और हटाई नहीं गई ? यदि हां, तो क्यों ?

*३—क्या सरकार उपरोक्त घटना का पता लगा कर बतायेगी कि वह लाश किस की थी और वह ५ दिन तक उसी स्थान पर क्यों पड़ी रही ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह लाश ४ मई, १९५६ तक पिपरी में ही रही क्योंकि थानेदार व हेड कान्सटेबुल दोनों सरकारी काम से थाने के बाहर गये हुये थे। थानेदार थाने से २० मील की दूरी पर गये हुये थे और हेड कान्सटेबुल एक शहादत के सिलसिले में मिर्जापुर गये हुये थे। जिस क्लर्क कान्सटेबुल को पहली तारीख को लाश की इत्तला मिली थी उसने एक कान्सटेबुल को थानेदार के पास इन्वेस्ट रिपोर्ट रजिस्टर के साथ भेजा और एक कान्सटेबुल को पिपरी लाश की सुरक्षा के लिये भेजा। थानेदार ४ मई, १९५६ को लौट कर आये और उसी दिन लाश का अंतिम संस्कार हुआ। लाश का अंतिम संस्कार ४ मई, १९५६ तक इस लिये नहीं हुआ कि थानेदार और हेडकान्सटेबुल के अतिरिक्त कान्सटेबुल को इन्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार नहीं था। कुछ देर इसलिये भी हुई कि दुद्धी से पिपरी तक कोई बस सर्विस नहीं है। पिपरी में एक अनुभवी हेड कान्सटेबुल के मातहत अब एक पुलिस चौकी कायम कर दी गयी है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि थाने पर रिपोर्ट किस व्यक्ति ने की ?

श्री जगनप्रसाद रावत—वहां जो लोग रहते हैं उन्हीं में से किसी ने आ कर की।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि थानेदार को सूचना किस के द्वारा भेजी गई ?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह तो मैं प्रश्न के उत्तर में बहुत तफसील में कह चुका हूं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बतायेगी कि उस लाश का पोस्टमार्टम कराया गया या नहीं ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—क्या मैं पूछ सकता हूं कि माननीय सदस्य सप्लीमेंटरी, लिखे हुये पढ़ रहे हैं या जबानी कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—आप पढ़ें नहीं जबानी प्रश्न करें, नोट लिखे हों तो उसमें प्वाइंट्स आप देख सकते हैं।

श्री जगनप्रसाद रावत—उस लाश में कोई सन्देहजनक बात नहीं पाई गई इसलिये पोस्टमार्टम की आवश्यकता नहीं हुई।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट में उस व्यक्ति का नाम है कि जिसने उसको दर्ज कराया ?

श्री जगन प्रसाद रावत—कोई फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट नहीं की गई, किसी ने आ कर कहा कि लाश पड़ी हुई है और उसी पर पुलिस वाले लाश को देखने चले गये।

बाराबंकी तथा फैजाबाद के कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन डिपोज को बाढ़ से क्षति

*४—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है है कि पिछली बाढ़ में जौनपुर, बाराबंकी और फैजाबाद में कुछ कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के ऐसे डिपो थे जिनका इस बहिया में सब सामान नष्ट हो गया ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जी हां, पिछली बाढ़ में बाराबंकी और फैजाबाद के कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के कुछ डिपो में इस बहिया के कारण कुछ सामान नष्ट हो गया था। परन्तु जौनपुर के कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के किसी डिपो में कोई सामान बाढ़ के कारण नष्ट नहीं हुआ।

*५—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी इन डिपोज में कुछ सरकारी सामान भी रखा जाता था? यदि हां, तो बहिया के समय कुल कितनी लागत का सामान इनमें था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां। बाढ़ के समय बाराबंकी के डिपोज में लगभग २४, ५८९ रु० की कीमत की रासायनिक खाद थी और फैजाबाद में ६,२९५ रु० की क़ीमत का सामान था।

आजमगढ़ जिले में निजामाबाद थाने के मिट्ठनपुर ग्राम में गुब्बारों का मिलना

*६—रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९५६ के द्वितीय सप्ताह में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद और आजमगढ़ नगर के सिधारी मुहल्ले में प्रयोग से छोड़े हुये दो गुब्बारे प्राप्त हुये हैं ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने के अन्तर्गत मिट्ठनपुर गांव में गत ८ जनवरी को एक गुब्बारा प्राप्त हुआ था, किन्तु यह न मालूम हो सका कि वह कहां से छोड़ा गया था। उसे जिलाधीश ने मिट्रयालाजिकल विभाग दिल्ली को भेज दिया था। आजमगढ़ नगर के सिधारी मुहल्ले में किसी भी गुब्बारे के प्राप्त होने की सूचना जिलाधीश को नहीं मिली है।

*७---श्री रामसुन्दर पांडेय---यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त दोनों गुब्बारे किसके द्वारा और क्यों छोड़े गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रायः ऊपरी वायु की गति, आर्द्रता, इत्यादि जानने के लिये मिट्रयालाजिकल विभाग द्वारा इस प्रकार के गुब्बारे छोड़े जाते हैं।

आजमगढ़ जिले में मऊ पावर हाउस के कोल एलीवेटर की दीवार का गिरना

*८---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ पावर हाउस (आजमगढ़) के भवन की कोई दीवाल १५ मार्च, १९५६ को गिर गई है, जिसके कारण कई मजदूर घायल हो गये हैं ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)---जी नहीं, दरअसल बात यह हुई कि मऊ पावर हाउस के कोल एलीवेटर के गड्ढे की एक तरफ की दीवार गिर गयी थी जिससे चार मजदूरों पर असर पड़ा लेकिन उनके कोई सख्त चोट नहीं आई।

सेठ दामोदर स्वरूप के बरेली के मकान की जब्ती के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*९---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या यह सच है कि स्वतंत्रता संग्राम के कार्य करने वाले श्री दामोदर स्वरूप सेठ तथा स्वर्गीय सचीन्द्रनाथ सान्याल की सम्पत्ति अंग्रेजी सरकार ने जब्त की थी और वह अब तक वापस नहीं की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

*१०---श्री उमाशंकर---यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रश्न नहीं उठता।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के मेरे इस कथन की जांच करायेंगे कि सेठ दामोदर स्वरूप के बरेली का मकान अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हमारे यहां जहां तक सरकारी कागजों से, पुलिस सी० आई० डी० और एडमिनिस्ट्रेशन के कागजों से जां हो सकती थी वह की गई लेकिन उसमें ऐसा कोई रेकार्ड नहीं मिलता है और न सेठ दामोदर स्वरूप ने या उनकी तरफ से किसी ने यही लिखा है कि फलां-फलां मकान या फलां-फलां जायदाद उनकी जब्त कर ली गई उसे वापस किया जाय। आमतौर से दस्तूर यह होता है कि जिसकी जायदाद जब्त होती है वही लिखा करता है, अपनी तरफ से और गवर्नमेंट के लिये बहुत मुश्किल होता है यह पता लगाना कि प्रदेश में किस-किस की जायदाद कब-कब जब्त की गई।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार आल इंडिया कांग्रेस कमेटी, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी या बरेली कांग्रेस कमेटी की पुरानी फाइलों को देख कर उस समय के कार्यकर्ताओं की जांच से या उनकी रिपोर्ट मंगाकर इस संबंध में कोई कार्यवाही करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कांग्रेस कमेटी के कागजों पर सरकार का कोई अधिकार तो है नहीं लेकिन जैसा मैंने पहले कहा सीधा रास्ता यह है कि जिसकी जायदाद जब्त हुई है उसे खुद लिखना चाहिये।

मऊनाथ भंजन तथा आजमगढ़ में ए० सी० विद्युत् की दर

*११—श्री उमाशंकर—क्या विद्युत् मंत्री कृपा कर के यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के किन-किन म्युनिसिपल, टाउन एरिया तथा ग्रामों में किस किस्म (ए० सी० या डी० सी०) की बिजली, किस क़ीमत पर, कहां-कहां से दी जा रही है ?

श्री धर्म सिंह—मऊनाथ भंजन तथा आजमगढ़ में ए० सी० विद्युत् मऊ विद्युत् गृह से दी जाती है। जो रेट्स वहां पर लागू हैं उनकी एक प्रतिलिपि मेज़ पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८८ पर।)

श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि आजमगढ़ और कानपुर के बिजली के रेट्स में दूने का फर्क किस कारण से है ?

श्री धर्म सिंह—रेट्स जो हैं उसके बहुत से नियम हैं और उसी आधार पर वे निर्धारित किये जाते हैं। इसलिये अन्तर है।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय वित्त मंत्री जी ने सन् ५४ के प्रथम सत्र के ६१ वें प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि जब मऊ पावर हाउस से आजमगढ़ को बिजली दी जाने लगेगी तो कानपुर के बराबर आजमगढ़ का रेट भी कर दिया जायगा ?

श्री धर्म सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

शिवालिक पहाड़ियों पर वृक्ष लगाने तथा पथरीगढ़ के जंगल को खेती के लिए लेने के संबंध में पूछताछ

*१२—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार का विचार शिवालिक पहाड़ में चीड़ का जंगल लगाने का है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक अमल में आ जायेगी ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—प्रश्न के पहले भाग का उत्तर "नहीं" है और दूसरा भाग नहीं उठता।

*१३—श्री दीनदयालु शास्त्री (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि पथरी जंगल के कुछ टुकड़े बहुत छोटे-छोटे हैं, असली जंगल से दूर हैं और चारों ओर से खेतों से घिरे हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन छोटे-छोटे जंगलों को खेती के लिये देने को सोच रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—पथरी जंगल का कुछ हिस्सा खेतों से घिरा हुआ है और सरकार ने निश्चय कर लिया है कि १,८७४ एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त शरणार्थियों और हरिजनों को बसाने के लिये दे दी जाय।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि शिवालिक के वह हिस्से जहां पर अब भी जंगलात हैं वह चीड़ के जंगलात लगाने के लिये उपयुक्त नहीं हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वह तो बहुत ही उपयुक्त हैं।

श्री बलवन्त सिंह—तो फिर क्या कारण है कि वहां पर चीड़ के जंगलात नहीं लगाये जा रहे हैं ?

नोट—तारांकित प्रश्न १२—२३ श्री बलवन्त सिंह ने पूछे।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--शायद आपकी इत्तिला ठीक नहीं है। लगाये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--आपने प्रश्न १२ का उत्तर दिया है कि पेड़ लगाने का विचार नहीं है। प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या सरकार का विचार शिवालिक पहाड़ में चीड़ का जंगल लगाने का है ? आपका उत्तर है--नहीं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां, चीड़ का लगाने का नहीं है। वह तो कुछ खास स्पेसीज के दरख्त लगाने का है मिसलेनियस किस्म के।

श्री अध्यक्ष--परन्तु उन्होंने तो प्रश्न चीड़ के बारे में ही पूछा था तो इससे जरा गलतफहमी होगी। (श्री बलवन्त सिंह से) आप फिर से प्रश्न पूछ लें।

श्री बलवन्त सिंह--मैं यह समझा था जैसा कि अभी स्पष्ट हो गया कि चीड़ के दरख्त लगाने का है तो मैं अब यह पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--उनका चीड़ के दरख्त लगाने का विचार नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह--अभी आपने यह फरमाया कि .....

श्री अध्यक्ष--वह गलत समझे थे। वह समझे थे दूसरे दरख्तों के बारे में।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कौन से दरख्त लगाने का सरकार का विचार वहां पर है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--उसमें मिसलेनियस स्पेसीज के ज्यादातर कामयाब होते हैं इंडस्ट्रियल इम्पार्टेन्स के जो होते हैं। चीड़ में उसकी खाद भी ठीक नहीं होती है और पानी की दिक्कत भी होती है। इसलिये वह नहीं लगा रहे हैं और पेड़ों को जो आपके उद्योग-धंधों के लिये कच्चा माल अधिक दे सकें जैसे साल इत्यादि हैं, उसके पेड़ लगाये जायेंगे।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मिसलेनियस वह कौन-कौन से दरख्त हैं जिनको सरकार का विचार लगाने का है ?

श्री अध्यक्ष--वह तो उन्होंने एक दो नाम तो ले दिये वे काफी हैं।

मुरादाबाद बिजली कम्पनी के मजदूर नेता श्री भूपस्वरूप सक्सेना की हत्या

*१४--श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जून सन् १९५६ में सायंकाल मुरादाबाद के बिजली घर के सामने श्री भूपस्वरूप सक्सेना के नेतृत्व में मुरादाबाद के बिजली कम्पनी के मजदूरों का कोई प्रदर्शन हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी हां।

*१५--श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त नेता की उसी समय कुछ लोगों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस हत्याकांड के सम्बन्ध में पूर्ण प्रकाश डालेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी हां। हत्या से संबंधित विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २८९ पर)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि श्री भूपस्वरूप सक्सेना की हत्या के कितनी देर बाद रेजीडेंट इंजीनियर और दूसरे साहबान जिनका तजकिरा इस विवरण में है वे पकड़े गये ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जैसे ही इत्तिला मिली थी और तफतीश शुरू हुयी वे पकड़े गये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी इस घटना का जो विवरण संलग्न है उस पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे ताकि यह सदन जान सके ?

श्री जगनप्रसाद रावत---२८ जून, सन् १९५६ को कोतवाली थाने में इस आशय की रिपोर्ट की गयी कि उस दिन शाम के ५ बजे इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी मुरादाबाद के रेजीडेंट इंजीनियर, श्री डी० जी० अथालय के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में वहां के कर्मचारियों ने उनको एक विदाई पार्टी देने का आयोजन किया था। श्री भूपस्वरूप सक्सेना उक्त कम्पनी के एक पदच्युत कर्मचारी थे। वह लगभग २५ समर्थकों के साथ काले झंडे और बैज ले कर विदाई दिये जाने के स्थान पर प्रदर्शन करने पहुंचे और डी० जी० अथालय मुर्दाबाद के नारे लगाये। श्री अथालय तथा एक अन्य इंजीनियर श्री बी० एन० तिवारी ने कर्मचारियों को आदेश दिया कि वह प्रदर्शनकारियों के झंडे छीन कर उनको वहां से भगा दें। जब वह ऐसा करने में असफल रहे तो उनसे प्रदर्शनकारियों को मारने के लिये कहा गया। कुछ लोग लाठियां और एक भाला ले आये। एक व्यक्ति ने श्री सक्सेना की छाती में भाला भोंक दिया जिससे वह अस्पताल जाते समय रास्ते में मर गये। ३-४ अन्य लोगों को भी लाठियों से चोट लगी। उस सम्बन्ध में आई० पी० सी० की धारा १४८/३०२ के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया। ८ व्यक्ति पकड़े जा चुके हैं जिसमें श्री डी० जी० अथालय और श्री बी० एन० तिवारी भी शामिल हैं। यह सब लोग जेल में हैं। एक व्यक्ति अभी फरार है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है और ९ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि मुरादाबाद बिजली घर कम्पनी की मजदूर यूनियन और वहां के मालिकों के बीच में बहुत दिनों से कुछ मजदूरों की मांग को लेकर कोई विवाद चल रहा था ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं यह मामला अदालत के सुपुर्द है। इसलिये मैं इस पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं देता, उसके ऊपर असर पड़ सकता है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या मुख्य मंत्री जी इस हत्या कांड से उत्पन्न श्री भूप स्वरूप सक्सेना के परिवार पर जो मुसीबत आयी है उस सम्बन्ध में अपनी तरफ से उनके भरणपोषण का प्रबन्ध करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री गेंदासिंह---क्या यह बतायेंगे मंत्री जी इस घटना के घटने के कितनी देर बाद पुलिस उस स्थान पर पहुंची और इनकी गिरफ्तारी कब हुयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह सारी बातें तो मुकदमे के सिलसिले में आयेंगी जिरह होते समय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या श्री भूपस्वरूप सक्सेना वहां की मजदूर यूनियन के कोई पदाधिकारी भी थे। यदि हां, तो क्या थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस का जत्था था कि नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसकी तो कोई सूचना नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अब तक इस केस के सम्बन्ध में कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं ?

श्री अध्यक्ष---नम्बर तो बता दिया, ८ बताया।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो मजदूरों की यूनियन है वह किस पार्टी विशेष द्वारा संचालित होती है ।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इससे उठता नहीं । उनको नाम ही नहीं मालूम ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतायेगी कि जब प्रदर्शनकारी चल रहे थे तो उस समय पुलिस उनके साथ क्यों नहीं थी । क्या पुलिस को इसकी इत्तला नहीं मिली थी सी० आई० डी० से कोई रिपोर्ट थी या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मेरे ख्याल से यह सब बातें मुकदमे के दौरान में पेश होंगी ।

जौनपुर जिले में कत्ल की घटनायें

*१६—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में मई और जून, १९५६ में कुल मिलाकर कितनी कत्ल की घटनायें हुयी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—९ घटनायें हुयीं ।

*१७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—[१० अगस्त, १९५६ के लिये प्रश्न ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

हाथरस में मुरलीधर-गजानन्द टेक्निकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के संबंध में पूछ-ताछ

*१८—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी योजना में हाथरस में एक मेकेनिकल तथा इलैक्ट्रिकल इंस्टीट्यूट खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक यह योजना आरम्भ हो सकेगी ?

श्री धर्म सिंह—सेठ गजानन्द चौधरी जी ने इस सिलसिले में कुछ प्रस्ताव किये हैं और उनकी आवश्यक जांच की जा रही है ।

*१९—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस में आर्किटेक्चर तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा १९५६-५७ में आरम्भ हो सकेगी ?

श्री धर्म सिंह—आर्किटेक्चर की शिक्षा देने का प्रबंध अभी नहीं है । कम्पूटर और सरवेयर के कोर्सेज १९५५-५६ से चालू हैं ।

*२०—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या सरकार आगामी वर्ष में विद्यार्थियों तथा अध्यापक और प्रिंसिपल के लिये होस्टल तथा क्वार्टर बनवाना समाप्त कर देगी । अब तक मुरलीधर-गजानन्द टेक्निकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुयी है ?

श्री धर्म सिंह—भूम्यर्जन अधिनियम (Land Acquisition Act) के अन्तर्गत भूमि प्राप्त करने के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है । इन इमारतों के विस्तृत एस्टीमेट भी तैयार हो चुके हैं ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे इन नई क्लासेज के शुरू करने की इस साल में कोई व्यवस्था नहीं है ?

श्री धर्म सिंह—३०-७-५६ को मीटिंग होने वाली थी कि कौन-सी क्लासेज वहां स्थापित की जा सकती हैं । लेकिन वह किसी काणण से स्थगित हो गयी । इसलिये उस पर विचार नहीं किया जा सका ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आगामी पंचवर्षीय योजना में किन-किन नई क्लासेज के खोलने की योजना है ?

श्री धर्म सिंह—मैंने कहा कि यह प्रश्न अभी विचाराधीन है और बहुत से सजेशन्स कमेटी में आये, लेकिन उन पर निर्णय नहीं हो सकता। इसलिये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन-सी क्लासेज खुलेंगी।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार बतायेगी कि यह इमारतें बनवाना कब से आरम्भ कर सकेगी। और विद्यार्थियों के रहने की आजकल क्या व्यवस्था है ?

श्री धर्मसिंह—प्रश्न २० के उत्तर में कह दिया गया कि नोटीफिकेशन इत्यादि होने वाला है जमीन के लिये रुपया इत्यादि भी दे दिया गया है। और इस वक्त विद्यार्थी धर्मशालाओं में रहते हैं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि काम शुरू कब से हो जायगा ?

श्री धर्म सिंह—जल्दी हो जायगा।

भदोही बिजलीघर से जौनपुर जिले में बिजली का वितरण

*२१—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले को भदोही से बिजली कब तक प्राप्त हो जायेगी।

श्री धर्म सिंह—भदोही बिजली घर से जौनपुर जिले के कुछ नलकूप बिजली पा रहे हैं और कुछ कस्बों को जल्द ही बिजली मिल जाने की आशा की जाती है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के किन-किन कस्बों में बिजली मिल रही है ?

श्री धर्मसिंह—जौनपुर जिले में जो भदोही से जहां बिजली मिलेगी उसमें पहला नम्बर मछलीशहर है, दूसरा बादशाहपुर और तीसरा जंघई।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर-जौनपुर रोड पर जो भदोही के बहुत सन्निकट हैं मड़ियाहूं, जमालपुर और रामपुर में भी बिजली दी जाने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

*२२-२४—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—[३० अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

बारादरी पुलिस स्टेशन, बरेली में पीलीभीत निवासी श्री महेशचन्द्र की कथित मृत्यु

*२५—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि बारादरी पुलिस स्टेशन (बरेली शहर) में पीलीभीत निवासी श्री महेशचन्द्र की मृत्यु पुलिस लाक अप में ही २५-१-५६ को हो गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

*२६—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार इस मृत्यु के कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

*२७—क्या सरकार बतायेगी कि इस सिलसिले में अब तक क्या कार्यवाही हुयी है, और उसका परिणाम क्या हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठते ।

अतारांकित प्रश्न

डिप्टी कलेक्टरों की मुअत्तली

१—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश के कितने डिप्टी कलेक्टर १ फरवरी, १९५४ से १ मई, १९५६ तक मुअत्तल किये गये और कितने को नौकरी से अलहदा किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस अवधि में केवल एक डिप्टी कलेक्टर मुअत्तल किया गया तथा एक डिप्टी कलेक्टर जो कि इससे पूर्व से ही मुअत्तल था, २६ मार्च, १९५५ तक मुअत्तल रहा। उक्त समय में कोई भी डिप्टी कलेक्टर नौकरी से अलहदा नहीं किया गया।

राज्य में खुलने वाले टेक्निकल असिस्टेंट-कम-ओवरसियर स्कूल

२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह बात ठीक है कि सरकार निकट भविष्य में दो सिविल इंजीनियरिंग स्कूल खोलने वाली है ? यदि हां, तो उक्त स्कूल कहां-कहां और कब तक उसका खोलने का विचार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। सरकार दो नहीं बल्कि तीन टेक्निकल असिस्टेंट-कम-ओवरसियर स्कूल खोलने वाली है। एक स्कूल रामनगर, जिला वाराणसी में तथा दूसरा नैनीताल में खोला जायगा। तीसरा स्कूल कहां खोला जायगा, इस बात पर विचार किया जा रहा है। इन स्कूलों को जल्दी से जल्दी खोलने की कोशिश की जा रही है।

उत्तर प्रदेश मन्दिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६ पर विचारार्थ पुनः समय का निर्धारण

श्री अध्यक्ष—मैं यह सूचना आदरणीय सदन को दे देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य परामर्शदात्री समिति ने अपनी २ अगस्त, १९५६ की प्रातःकाल की बैठक में पुनर्विचार के उपरान्त निश्चय किया है कि उत्तर प्रदेश मंदिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६ पर विचार करने तथा उसे पारित करने के प्रस्तावों के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय। सामान्य विवाद (जारी है) २ अगस्त की शाम को सदन के उठने तक, खंडों पर विचार तथा पारण ३ अगस्त की शाम को सदन के उठने तक तथा कुमायूं जमींदारी-विनाश अथवा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५६ को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर विवाद ६—७ अगस्त को होगा और ७ अगस्त को सदन के उठने तक समाप्त हो जायगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश मंदिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६ पर विचार करने तथा पारित करने के लिये कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा पुनः प्रस्तावित समय से तथा कुमायूं, जमींदारी-विनाश अथवा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५६ प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर विवाद के लिये समय निर्धारण से सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश मंदिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६ पर विचार करने तथा पारित करने के लिये कार्य परामर्श दात्री समिति द्वारा पुनः प्रस्तावित समय से तथा कुमायूं जमींदारी-विनाश अथवा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५६ प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर विवाद के लिये समय निर्धारण से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

पाठ्य पुस्तकों के अभाव के संबंध में शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

*शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--अध्यक्ष महोदय, प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की पाठ्य पुस्तकों की कमी के सम्बन्ध में, मैं वक्तव्य देता हूं। लखनऊ तथा दूसरे बड़े जिलों में की गयी जांच से यह प्रतीत होता है कि अधिकांश जिलों में या तो नहीं या नहीं के बराबर कमी है। केवल लखनऊ तथा वाराणसी में कुछ कमी है। इस सम्बन्ध में जब सूचना मिली तुरन्त ही कार्यवाही की गयी है और कमी पूरी हो गयी। आगे भी ऐसा ही किया जायगा। पुस्तकों के वितरण (एलाटमेंट) में किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि वितरण गत वर्षों में हुयी पुस्तकों की खपत और विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर किया गया है। पुस्तकों के स्थायी और अस्थायी अभाव के कई कारण हैं, जैसे प्रकाशकों पर कार्यभार की अधिकता, कागज की कमी, जिल्दसाजों की कमी, इस वर्ष रेल द्वारा यातायात की विशेष कठिनाई अथवा स्थानीय आवश्यकताओं का ठीक-ठीक अनुमान न करके पुस्तकों का दूसरे जिलों में भेजा जाना। कक्षा ६, ९ और ११ के लिये इस वर्ष नई पुस्तकें स्वीकृत हुयी हैं, जिनके कारण प्रकाशकों पर विशेष रूप से अधिक कार्यभार पड़ गया। देवरिया के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान से पुस्तकों के अधिक मूल्य पर बिकने का समाचार नहीं मिला है। देवरिया से पूछताछ की जा रही है। इस प्रकार का समाचार कि प्रधानाध्यापकों को हाई स्कूल और इंटरमीडियेट कक्षाओं की नवीन पुस्तकों की सूचना देर से दी गयी, निराधार है, क्योंकि पुस्तकों की पूर्ण सूची दूसरी और तीसरी जुलाई, सन् १९५६ को समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर दी गयी थी और प्रधान अध्यापकों को ५ जुलाई, सन् १९५६ को अलग से भी सूचना दे दी गयी थी। लखनऊ के जिन प्रमुख विद्यालयों से पूछताछ की गयी, उन्होंने बहुत थोड़ी कमी अथवा कमी न होने की सूचना दी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, जो वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने दिया है इसमें बहुत से प्रश्न उठ सकते हैं जिनका कोई जिक्र नहीं आया है, जैसे आज के समाचार-पत्रों में भी यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि प्राइमरी स्कूलों के सम्बन्ध में टेक्स्ट बुक्स की किस अनुपात में आवश्यकता है इसका ही पता नहीं चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में विवाद के लिये कम से कम एक घंटे का ही समय रख लें, ताकि हम उनके सम्मुख इन प्रश्नों को ला सकें।

श्री हरगोविन्द सिंह--समाचार-पत्रों में तो इस कारण भी निकल रहा है कि जिनको एलाटमेंट दिया गया था वे समाचार-पत्रों में निकाल रहे हैं ताकि फिर उनको एलाटमेंट रिपीट कर दिया जाय। उसका नियम यह है कि जिसको एक दफा एलाटमेंट दे दिया जाता है दूसरी दफा सप्लीमेंटरी में उनको नहीं दिया जाता है। लेकिन वे बार-बार समाचार-पत्रों में इसलिये निकाल रहे हैं कि उनको एलाटमेंट दे दिया जाय। कमी जब यह महसूस हुयी तो १ लाख ७० हजार किताबों का एलाटमेंट फिर किया गया और वे किताबें कल बाजार में आ गयीं।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा सोचता हूं कि जिन बातों की तरफ मैंने माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया था उन सारी बातों पर विचार उन्होंने नहीं किया है। मैंने तो यह भी उनको संकेत किया था बल्कि स्पष्ट लिखा था कि दो समाचार-पत्रों में इस सम्बन्ध में जो कुछ शिकायतें लिखी हुयी थीं मैं समझता हूं कि उनके वक्तव्य में उन पर भी ज्यादा रोशनी नहीं डाली गयी है। और जैसा कि उन्होंने किताबों के मूल्य के सम्बन्ध में कहा उस सम्बन्ध में भी मेरी ऐसी धारणा और जानकारी है कि केवल देवरिया में ही किताबों का मूल्य नहीं बढ़ा है बल्कि सारे सूबे में बढ़ा है। कुछ ही जगहें ऐसी होंगी जहां पर यह शिकायत न हुयी हो। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि इस सम्बन्ध में जैसा कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

नारायणदत्त जी ने कहा, कभी आप यह अवसर दे सकें और जल्दी ही कि इस पर हम कुछ विचार-विनिमय कर सकें और कुछ सुझाव दे सकें कि किस तरह से पुस्तकों की कमी दूर की जा सकती है तो सरकार का मैं बहुत आभार मानूंगा ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसके लिये यही तरीका है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से आप पहले परामर्श कर लें उनके दफ्तर में और उसके बाद अगर कोई सुझाव देने की जरूरत पड़े आपको तो सदन के सामने रखें । नहीं तो ऐसी चर्चा अगर यहां चली तो इसका कोई अन्त नहीं हो सकता है । मैं समझता हूं पहले आप अपनी दिक्कत को शिक्षा मंत्री जी को समझाने का प्रयत्न करें और फिर आवश्यकता होगी तो सदन में आप उस प्रश्न को उठायें ।

†उत्तर प्रदेश मन्दिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६--(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश मंदिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६, पर विचार किया जाय विवाद जारी रहेगा । माननीय अवधेश प्रताप सिंह भाषण दे रहे थे ।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--मान्यवर, मैं कल इस बात पर प्रकाश डाल रहा था और उन परिस्थितियों को सदन के सम्मुख रख रहा था जिससे यह स्पष्ट है कि जहां तक उस मुकदमे का सम्बन्ध है सरकार निर्दोष है । आज आपके द्वारा मैं सदन का ध्यान तथा माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस पर कि हमें गम्भीरता से इस सदन में विचार करना होगा । मान्यवर, जो विधेयक हमारे सामने रखा गया है यदि यह पारित हुआ तो एक अधिनियम का रूप उसका होगा । और उसका मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य केवल यह है कि जिससे कि बनारस में जो मुकदमेबाजी चल रही है उसका अन्त हो सके । अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसके सम्बन्ध में कोई संतोषजनक उत्तर दें कि यदि यह अधिनियम बनता है तो वह कौन सा प्रतिबन्ध है जिससे कल यह भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा । मान्यवर, यदि आर्टिकल ३५ को श्रीमान् ध्यानपूर्वक देखें तो उसमें यह स्पष्ट है कि पार्ट ३ के विषयों पर कोई नियम बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को होगा । ऐसी परिस्थिति में आपके पास कौन सी धारा है जिससे किसी व्यक्ति विशेष को आप इस सम्बन्ध में अदालत जाने से रोक देंगे । यह हो सकता है कि उसमें अंतिम विजय आपकी हो परन्तु अदालत में जाने से रोका नहीं जा सकता है और इस अधिनियम को विभिन्न तरीके से चैलेंज भी किया जा सकता है । रिट के जरिये भी हो सकता है और किसी मुन्सिफ और सब जज की अदालत में भी आपत्ति हो सकती है । तो जिस उद्देश्य से इसको लेने जा रहे हैं उसके लिये कोई गारन्टी नहीं है उसके लिये आप कोई साधिकार आश्वासन नहीं दे सकते कि इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न न होने पावेगी । मैं तो इसे केवल सरकार की अदूरदर्शिता समझता हूं । यह कहीं अच्छा होता २५ अगस्त कोई ब्रह्मा का दिन नहीं है जिसके लिये हमें बहुत प्रतीक्षा करनी पड़े । यह मानना चाहिये कि वह टेम्पोरेरी इंजंक्शन वेकेट हो जायगा तो सम्भव है कि आपको इस विधेयक की आवश्यकता प्रतीत नहीं होगी । मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों इस उतावलेपन से इस शीघ्रता से इस विधेयक को हमारे सम्मुख रख रही है । यह परिस्थिति तो बहुत दिनों से डेढ़-दो वर्ष से चली आ रही है दस,-पंद्रह बीस दिन और प्रतीक्षा करनी पड़ती तो कौन सा बड़ा संकट उपस्थित हो जाता, कौन सा ला एंड आर्डर का प्राब्लम एराइज हो जाता कौन सी गम्भीर परिस्थित उत्पन्न हो जाती ?

---

†२५ जुलाई, १९५६ को कार्यवाही में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, इसका दूसरा पहलू भी है। माननीय मुख्य मंत्री जी और त्रिपाठी जी भले यह कहें कि वे कानून से परिचित नहीं हैं। अगर पढ़ा नहीं तो वे कढ़े तो हैं और अनुभव के आधार पर और अदालतों के अनुभवों के आधार पर वे जानते हैं कि इसके लिये और भी उपाय हो सकते हैं। यदि समझते हैं कि मुंसिफ साहब की अदालत से फैसले में विलम्ब हो रहा है और इसके पीछे कोई कारण हो सकते हैं तो ऐसी परिस्थिति में यह भी मार्ग खुला हुआ है कि उस अदालत से मुकदमे को हटाने की भी दरख्वास्त हो सकती है। जैसा कि माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने कहा था कि अभी तक टेम्पोरेरी इंजंक्शन के ऊपर कोई आर्डर नहीं हुआ तो इसक खिलाफ अपील करने का कोई सवाल नहीं उठता। कोई सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे। कोई हाईकोर्ट की बात कर रहे थे वह तो एक असंगत सी चीज है। श्रीमन्, और यह कहना कि गवर्नमेंट की नीयत है तो यह उनक लिये सरल हो सकता है लेकिन वह परिस्थिति कहां है? श्रीमन्, अगर गंभीरता से विचार किया जाय तो कोई भी व्यक्ति इसके अन्दर नहीं पायेगा कि सरकार निर्दोष है और उसका कोई हाथ नहीं है। इसको पढ़ कर और कुछ साबित नहीं हो सकता है सिवाय इसके कि माननीय मुख्य मंत्री जी दिल में तो चाह जो कुछ समझते हों और शायद दिल में हमारे तर्क को स्वीकार भी करते हों कि वह एक उतावलेपन में इस विधेयक को पारित कराना चाहते हैं। भाषण के हेतु तो वह ला ऐन्ड आर्डर वाली बात कह देंगे लेकिन सिवाय इसके और कोई कारण नहीं है कि वह इस विधेयक को राजनारायण जी की प्रसन्नता के हेतु लाना चाहते हैं। यह तो ठीक है लेकिन इसके अलावा और कोई इसका आधार नहीं है इसके पीछे और कोई सार नहीं है।

मान्यवर, यही नहीं, जैसा मैंने कहा कि उनके पास उपाय है और मैं श्रीमन्, आपके जरिये बताना चाहता हूं कि इस विधेयक की कोई जरूरत नहीं है। रिमूवल आफ डिसएबिलिटीज के बारे में भी एक विधेयक है और जो इस माननीय सदन से पारित हुआ है। उसके रहते हुये कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती कि यह विधेयक लाया जाय। आप का एक सेंट्रल का भी विधेयक है। तो श्रीमन्, मुझे केवल यह कहना है कि वह जस्टीफिकेशन क्या है, वह आधार क्या है, वह औचित्य क्या है कि जिस के आधार पर आज हम से यह विधेयक पारित करने के लिये कहा जा रहा है। जहां तक हरिजनों के मंदिर प्रवेश का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि वह उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। उनका मौलिक अधिकार है और उनका नैसर्गिक अधिकार है, जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति सनातन धर्मी हो या कोई धर्म का मानने वाला हो इस से इन्कार नहीं कर सकता और जो इन्कार करते हैं, मैं समझता हूं कि वह अपनी संकीर्णता का परिचय दे रहे हैं। उस इन्कार के पीछे कोई तर्क नहीं है। सनातनधर्मियों के बारे में भले ही कुछ कहा जाय लेकिन उनका उद्देश्य ऐसा कभी नहीं रहा है।

मान्यवर, आज मैं आपके द्वारा अपने मित्र राजनारायण जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। यह दुख की बात है कि वह इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। जहां तक उन की वीरता और धीरज और सहनशक्ति का प्रश्न है उसके लिये मैं उन को बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि शेक्सपियर ने जैसा कहा है कि: "डिस्ट्रक्शन इज दि वेस्ट पार्ट आफ वेलर, इसके बरअक्स वह उन चीजों में विश्वास करते हैं कि जिस के आधार पर कह सकें कि यह बल उन्हीं में केवल है कि जब कोई विकट प्रश्न उत्पन्न हो जाता है तो वह उसका सामना कर पाते हैं। यह उन की जो सुप्रशंसा थी उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। मान्यवर मेरे कहने का तात्पर्य पूरा नहीं हो पाता है इसलिये कि वह हैं नहीं, परन्तु यहां उन के मित्रगण बैठे हैं, यदि वह यह बात उन तक पहुंचाने की चेष्टा करें तो अच्छा होगा ताकि वह भी किसी दूसरे समय अपने विचार प्रकट कर सकें। इस विधेयक के सम्बन्ध में उन्होंने पौने दो घंटे भाषण किया लेकिन उसके अन्दर उन्हें बहुत थोड़ी ही सी बातें कहनी थीं। उन की एक तो शिकायत थी लीडरशिप के बारे में। मंदिर में हरिजन प्रवेश कांग्रेस के नेतृत्व में हो अथवा हरिजन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में मंदिर प्रवेश करें, इस प्रश्न से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। उनका प्रवेश

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

होना चाहिये मंदिर में यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है । नेतृत्व का जहां तक प्रश्न है उसका उत्तर माननीय कमलापति जी ने दिया और मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । दोनों को बनारस निवासी होने का गौरव प्राप्त है अतः उनमें यदि पड़ोसी के नाते कोई भ्रम हो, मतभेद हो तो वह दोनों एक-दूसरे को अधिकार पूर्ण तरीके पर जवाब दे सकते हैं और अपने भ्रम का निवारण कर सकते हैं। हां, शिकायत उनकी क्या थी, शिकायत उनकी यह थी कि जब से टेम्पोरेरी इंजेक्शन ईश्यू हुआ है तब से विश्वनाथ जी के मंदिर में कोई नव-निर्माण हो रहा है । उन्होंने उसकी कोई रूपरेखा नहीं दी और वह केवल एक डायरी सी पढ़ते रहे और उनको यह शिकायत रही कि यह चीज नहीं होनी चाहिये । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि वह इंजेक्शंस इस बात पर केवल नहीं था कि वह नव निर्माण नहीं कर सकते । जहां तक कानूनी पोजीशन है वह यह है कि जो इंजेक्शन था वह गवर्नमेंट आफिसर के खिलाफ हो सकता था, हरिजनों के प्रवेश पर नहीं हो सकता था । जहां तक पुजारियों का प्रश्न था उनके प्रति इस तरह का कोई आदेश नहीं था कि वह न बना सकें। लेकिन मैं इस बात पर नहीं आता हूं। मेरी समझ में नहीं आया कि वह इसको समझते थे या नहीं चूंकि वह इसी तरह की आपत्ति कर रहे थे।

मैं नहीं समझता शिकायत का मौका उस वक्त पैदा हो सकता है जबकि हरिजनों को देव दर्शन दूर से कराये जायं और सवर्ण हिन्दू उनको दूर से स्थानों के दर्शन करायें । इसमें भेद-भाव हो सकता है । पर यह कहा जा सकता है कि यह अनुचित है परन्तु यदि एक ही मार्ग सब के लिये अपनाया जाय तो इसमें कौन-सी बात है। माननीय कमलापति जी ने कहा कि उनकी यह सहमति है और यह बहुत ही कम जगहों की बात है कि जहां पर लोग मूर्ति को स्पर्श करते हैं नहीं तो वस्तुतः लोग दूर से उसका दर्शन करते हैं । वहां पर हिन्दुओं और अछूतों को रोका जाता है । वह चाहते हैं कि उनके साथ हरिजन भी न जायं । इस तरह का जो परिवर्तन है उसका मैं विरोधी हूं। यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसमें कौन-सी आपत्ति है । यह उनका मौलिक और नैसर्गिक अधिकार है जिनका अपहरण किया जा रहा है । मान्यवर, सीधी-सी बात है परन्तु उसके पीछे यह कहना कि सन् १९४७ का जो स्टेट्स था वह मेन्टेन किया जाय सही नहीं है यह जो विधेयक लाया जा रहा है इसका अभिप्राय यह नहीं है जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह पूजा की विधि में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, पूजा किस रूप में हो या उस मूर्ति के लिये क्या रूपरेखा की जाय । यह चीज नहीं है । इसमें उपासना की विधि नहीं है । इसमें सिर्फ एक ही वस्तु है और वह निर्मूल है, सचाई और निस्संदेह है कि यह विधेयक केवल हरिजनों को मंदिर प्रवेश कराने के लिये लाया गया है । ऐसी परिस्थिति में मेरे मित्र का यह कहना कि इसको उनको कुछ और आशंका है मैं समझता हूं सही नहीं है । यदि सभी यह समझते हैं कि आप उपासना में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं तो फिर मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि यह मौलिक अधिकार है कि जिस तरह से अपने धर्म के अन्दर उपासना करनी चाहिये हम कर सकते हैं तो इसमें किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं हो सकता और यदि यह माना भी जाय कि राजनारायण जी को प्रसन्न करने के लिये उपासना की विधि बतलायी जाय और धर्म में परिवर्तन किया जाय तो यह दूसरी बात है, लेकिन जब ऐसा विधेयक आयेगा तो हम उसका घोर विरोध करेंगे और उसके बारे में तभी कहना उचित हो सकेगा ।

मान्यवर, हमारे मित्र सनातन धर्म के बारे में काफी कहते रहे । माननीय मुख्य मंत्री और माननीय त्रिपाठी जी ने यह कहा था कि वह सनातनधर्मी हैं और मैं इसको दुस्साहस नहीं कहूंगा बल्कि साहस के साथ यह कहूंगा कि मैं भी सनातन धर्मी हूं इसमें कोई आपत्ति या निन्दा या भय की बात नहीं है । यह हो सकता है कि मार्क्स को कुछ लोग समझ लें, क्योंकि इसका मतलब या लक्ष्य केवल समाज या अर्थ तक सीमित है । मार्क्स, लेनिन या स्टालिन को आप समझ सकते हैं जहां तक समाज या अर्थ का सम्बन्ध है । लेकिन हमारा धर्म, ख्यालाजी, या फिलासोफी क्या थी ? इसके बारे में समझना मुश्किल होगा । जो समझना चाहते

हों उनके लिये भी मैं चुनौती देता हूं कि सनातन धर्म संकीर्ण नहीं है। मूर्तियों का अपहरण कराने की बात भी वह इस सदन में कर रहे थे। मूर्तियों में जो जीवन दिया गया हो उसका अपहरण भले ही हो सके, लेकिन सनातन धर्म के जीवन का अपहरण न पंडित कर सकते हैं और न मेरे मित्र राजनारायण कर सकते हैं। वह महानता का प्रश्न है, उसमें उदारता है। यदि सनातन धर्म में संकीर्णता होती तो वह आज इतने काल के बाद जीवित नहीं होता। हमने राज्यों के और हुकूमतों के परिवर्तन होते देखे। बहुत से विदेशी भी इस देश में पदारोपण किये हुये थे और हमारी संस्कृति और धर्म को बरबाद करना उनका मुख्य लक्ष्य था, लेकिन आज बीसवीं शताब्दि में भी आपके पड़ोस में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और किस प्रकार का राज्य स्थापन के लिये वे अग्रसर हैं और बना रहे हैं। अगर गम्भीरता से सोचा जाय तो यही सनातन धर्म एक ऐसा लक्ष्य था जिस पर हर प्रकार के आघात हुये और उनका सामना करते हुये आज भी यह सबल है और सदैव जीवित रहेगा। हरिजनों के बारे में श्रीमन्, मुझे केवल इतना कहना है कि हम सहर्ष अपने बराबर ही नहीं बल्कि अपने से ऊंचा स्थान उनको देना चाहते हैं। इसी में हमारा बड़प्पन और भलाई है। यह हो सकता है कि कुछ रूढ़िवादिता के कारण कुछ व्यक्ति विशेष के कारण या समाज के कुछ अंगों के कारण उनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी भीलनी के बेर खा सकते हैं और उनके साथ इतना उत्तम व्यवहार हो सकता था तो जिस रामराज्य के बारे में हम आज भी इच्छा करते हैं, तो क्या यह कहा जा सकता है, कि इसमें संकीर्णता है? अगर दूसरों की गलती के कारण वे हमसे क्षोभ करें या किसी संकीर्णता के बोझ से वह हमको विलग समझें तो यह उनकी भूल है। यदि वह हमसे विलग होते हैं तो इससे और कुछ चाहे हो या न हो परन्तु श्रीमन्, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे हमारा समाज नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—बहुत से लोग चूंकि बोलना चाहते हैं और समय निर्धारित हो चुका है आज शाम तक की आम बहस के लिये, इसलिये यदि भाषणों का समय सीमित हो जाय तो अच्छा है।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि भाषणों के लिये १५ मिनट का समय दे दिया जाय।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि समय १० मिनट रख दिया जाय।

राजा वीरेन्द्रशाह—मैं दस मिनट के समय को स्वीकार करता हूं।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—मैं १५ मिनट रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस विधेयक पर बोलने का समय माननीय सदस्यों के लिये १५ मिनट का रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस विधेयक पर बोलने का समय माननीय सदस्यों के लिये १० मिनट रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक के सम्बन्ध में २ रोज से जो इस सदन में बहस हो रही है उसको सुनने के पश्चात् मुझे ऐसा लगा कि माननीय राजनारायण जी में इतनी क्षमता तो है ही कि वह छोटी सी छोटी बात को लम्बी से लम्बी बना सकने की स्वयं शक्ति रखते हैं और इस सारे सदन में किसी भी माननीय सदस्य . . .

श्री अध्यक्ष—मैं यह उचित नहीं समझता कि किसी भी माननीय सदस्य पर आप इस प्रकार से टीका शुरू कर दें, क्योंकि न तो वह विषय विधेयक के भाग ही हैं और न किसी खंड ही के ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उस हद तक अपने भाषण का भाग मैं वापिस लिये लेता हूं । श्रीमन्, इस विधेयक के सम्बन्ध में किसी की भी यह राय न रहते हुये कि हरिजन लोग मंदिरों में प्रवेश न करें तथा इस सम्बन्ध में जो विधेयक आया हुआ है वह गलत है उस पर लम्बी और ज्यादा बात करना मेरे ख्याल से बहुत उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—मैं आपसे फिर अर्ज करता हूं कि आप उनके तर्कों को काटना शुरू करें न कि कहें यह कि उन्होंने लम्बे भाषण दिये । मैं ऐसी टीका की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैं यह इसलिये कहता हूं कि इसके सिलसिले में लम्बी बहस की आवश्यकता न थी । मन्दिर प्रवेश के सम्बन्ध में एक छोटा सा विधेयक हमारे सामने है उसके सिलसिले में धर्म और परम्परा की चर्चा की आवश्यकता न थी । इन बातों पर मुझे कुछ कहना नहीं है । मैं केवल दो एक बातें कहना चाहता हूं । यह सौभाग्य की बात है कि इस सदन में जितने सदस्य बैठे हुए हैं वे सब हरिजनों को जो सुविधायें विधिवत् और नियम-पूर्वक मिलनी चाहिये उनको दिलाने की प्रेरणा से ओतप्रोत हैं । हरिजनों को उनके पूर्ण अधिकार दिलाने के लिये, उनके मानवीय और नैसर्गिक अधिकार दिलाने के लिये कानूनी सहायता पहुंचाने के लिये तैयार हैं । अब जहां तक धर्म की बात है । उसमें बहुतों को अच्छाई दिखाई देती है और बहुतों की बुराई दिखाई देती है तथा कुछ लोग धर्म को अफीम के साथ तुलना करने का प्रयत्न करते हैं । कुछ लोगों का कहना है कि धर्म का जनता में अफीम की तरह असर होता है । मैं नहीं जानता कि माननीय राजनारायण जी का धर्म में कैसा विश्वास है, किन सिद्धान्तों को लेकर वे धर्म को देखते हैं, लेकिन इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि जब धर्म की चर्चा की जाती है तो उसके स्वरूप को समझने की अत्यन्त आवश्यकता है । उपासना और पूजा भिन्न-भिन्न प्रकार से होती है । एक बात यह भी कही जा सकती है कि एक आदमी जिस साधन से पूजा करता है ठीक उसी साधन से दूसरे आदमी को भी पूजा करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार सब को समान अधिकार हैं । हमारे मित्र का कहना यह भी था कि जब समान अधिकारों की चर्चा संविधान में और केंद्रीय कानून में थी, तो इस इस विधेयक की क्या आवश्यकता थी । पूजा और उपासना करने के लिये सब स्वतंत्र हैं, चाहे जितनी करें, और न चाहें तो न करें और जिस जगह पर जा कर करना चाहें करें तो इससे मालूम ऐसा होता है कि उसका अधिकार अनलिमिटेड है, उस स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं है । क्या उस स्वतंत्रता पर ऐसी बात नहीं है कि उसका कोई लिमिटेशन हो । मैं उनके सामने बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि हर स्वतंत्रता जो संविधान के जरिये हमको मिली हुई है वह इस बात पर आधारित है कि हम किसी दूसरे की स्वतंत्रता का अपहरण न करें । और जब यह सिद्धांत स्वीकार हो जाता है और जब यह मंशा स्पष्ट हो जाती है तो निश्चय ही हमारे लिये जो संविधान के अन्दर बातें बतलायी गयी हैं उस विधान के अनुसार ही हम काम रहे हैं । इस देश के संविधान के अनुसार ही यह विधेयक बना है, उसके विरुद्ध नहीं है । यदि ऐसा होता तो वह ग़लत होता । एक ऐसा विधेयक जिसमें समान अधिकार उपासना के लिये हों, मैं समझता हूं कि उस के ऊपर किसी तरह की आपत्ति करना न जिम्मेदारी का ही काम है और न उचित ही है । यह कहा गया कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि विधान स्पष्ट है । कितना स्पष्ट है ?

अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि २५ अगस्त तक इस मामले का फैसला हो जाना चाहिये । मामले का क्या फैसला होगा, कब फैसला होगा, इसकी जानकारी किसी को हो ही नहीं सकती । शायद जज साहब जो हों २५ अगस्त के पहले वे नहीं बतला सकते कि क्या फैसला वे देंगे और वह उचित भी नहीं होगा कि उसे फोरस्टाल किया जाय कि उनका जजमेंट यह होगा । लेकिन मैं अपने इन मित्र से कहूंगा कि उनको चाहिये था था कि वे इस विधेयक के कारण और उद्देश्य को पढ़ते । इस विधेयक के कारण और उद्देश्य में

कह दिया हुआ है कि चूंकि इस तरह के शक की बात लोगों को दिल में पैदा हो गई है इसलिये उस शक का निवारण करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इससे अधिक उसमें कुछ है नहीं। उनका ख्याल है शायद कि सिर्फ काशी में यह बात हुई। चूंकि विश्वनाथ मन्दिर प्रवेश के साथ कुछ लोग गलत तौर पर अपने राजनीतिक प्रश्न को भी मिलाना चाहते हैं, उनका कहना है कि सिर्फ वाराणसी के लिये ही यह विधेयक आवश्यक समझा गया। उनको ज्ञान होना चाहिये कि वह कहीं भी चले जायं इस समस्या को पायेंगे। गढ़वाल में देखेंगे कि गुप्त काशी में मन्दिर प्रवेश के लिये भी लड़ाई का सारा सामान हाल ही में मौजूद था? सैकड़ों आदमी दोनों दलों के इकट्ठे हो गये, कुछ लोग कहते थे कि हम मन्दिर के अन्दर जायेंगे और कुछ लोग कहते थे कि तुम मन्दिर के अन्दर नहीं जा सकते हो। वहां पुलिस कलेक्टर सब पहुंच गये। पर किसी का निश्चित मत न हो, और किसी के दिल में शुबहा पैदा हो गया हो जैसे कि वाराणसी में मन्दिर प्रवेश के लिये लोगों के दिल में शुबहा पैदा हो गया है तो उसी शुबहे को दूर करने के लिये सारे प्रदेश के लिये उस कानून की उपयोगिता होनी चाहिये। चूंकि एक शुबहा लोगों के दिल में पैदा हो गया है इसी को निवारण करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि हरिजनों को मन्दिर में जाने और उपासना के अधिकार की बात होनी चाहिये बावजूद इसके कि अगर सच्चे तौर पर देखें तो जो काशी में मन्दिर है उसमें जाने वालों के लिये कोई कह सकता है कि वह हरिजन था या कौन-कौन उसमें जाता है। कोई नहीं कह सकता कि उसमें कौन जाता है जब तक कि कोई पहचाना हुआ हरिजन न हो। लेकिन अगर पहचाना न जाय तो उसमें हरिजन भी जा सकता है और जाते ही हैं और अब तो पहचाना हुआ हरिजन भी मन्दिरों में वहां जा सकता है जैसा कि त्रिपाठी जी कह रहे हैं।

इस विधेयक में सारी बातों को सिर्फ नियमित रूप दिया गया है और मैं समझता हूं कि उस पर ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिये। हां, जब यह विधेयक हमारे सामने है तो केवल इस बात को मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि यदि हमारे यहां प्रजातंत्र को भी जीवित रखना है तो हम सब के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। हमारे मित्र चाहे विरोधी दल में बैठे हुये हों चाहे सरकारी दल में बैठे हुये हों सब को मानना चाहिये कि हो सकता है कि आगे चल कर कभी विरोधी दल ही सरकार बनावे, तो कोई ऐसी गलत परम्परा की नींव आज न डालें, जनमत को आज उग्र बनाने की चेष्टा न करें, जिससे अब जनमत गलत रास्ते पर चला जाय। अगर ऐसी बात हुई तो आगे आने वाली किसी भी सरकार के लिये ऐसा जनमत बड़ी दिक्कत की बात होगी। यदि विरोधी पक्ष गैर जिम्मेदारी के साथ कोई काम करने की चेष्टा करता है तो मैं समझता हूं कि उनको भविष्य में चूंकि सरकार चलाने की कोई सम्भावना तो है नहीं और जो किसी हद्द तक सही भी है, उसको आगे ले कर बढ़ने की उनके मन में भावना आती है। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र के लिये, उसके जीवन के लिये यह बहुत कुछ खराब है और इतना ही नहीं बल्कि विरोधी दलों के उठने और बढ़ने के लिये भी यह चीज बहुत खराब है। मैं आशा करता हूं कि इस बिल के सम्बन्ध में जो भी दलीलें हों वह निष्पक्ष भाव से आयें, यह एक अराजनैतिक पक्ष की बात है और इसी दृष्टिकोण से देखते हुये इसे हम सब स्वीकार करके हरिजनों के प्रति जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है उसको हमें मिटाना चाहिये।

श्री रामसुमेर (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस बिल पर हम विचार कर रहे हैं, यह तो उसके विषय में सभी ने स्वीकार कर लिया कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी प्रस्तावना को देखने से पता चलता है कि इस को लाने का उद्देश्य हरिजनों के लिये कुछ अधिकारों की घोषणा करना है और कुछ ऐसी शंकाओं को दूर करना है जो कुछ स्थानों पर उत्पन्न हो गई हैं, लेकिन बिल को पढ़ने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि हमारे कुछ सन्देह और अधिक हो गये हैं। पहला सन्देह मुझे यह होता है कि इस बिल को सरकार किस हिसाब से, संविधान की कौन सी धारा के हिसाब से इस सदन में लाई है, हमारे संविधान में इस तरह के बिल बनाने के लिये स्पष्ट निर्देश हैं और उसके अनुसार जो केन्द्रीय सरकार ने कानून बनाया है "अस्पृश्यता" (अपराध) अधिनियम, १९५५, उसमें यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के बिल कैसे लाए जायंगे, जो मामले अनटचेबिलिटी से पैदा होते हैं या हरिजनों के सम्बन्ध में होते हैं,

[श्री राम सुमेर]

उसकी जो धारा १२ है वह इस प्रकार है कि "जहां कि इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाला कोई कार्य संविधान के अनुच्छेद ३६६ के खंड (२४) में पारिभाषित अनुसूचित जाति के सदस्य के सम्बन्ध में किया गया है वहां न्यायालय जब तक कि प्रतिकूल सिद्ध नहीं किया जाता, यह उपधारित करेगा कि ऐसा कार्य "अस्पृश्यता" के आधार पर किया गया था।" यानी मतलब यह है कि इस प्रकार का बिल आर्टिकिल १७ के अन्दर आ सकता है और जो ऐक्ट बनेंगे उसका अधिकार स्टेट के किसी भी लेजिस्लेचर को नहीं है सिवा इसके कि वह संसद बनावे। मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूं। संविधान की धारा ३५ में इसका जिक्र है। जब हम इस लिहाज से देखते हैं कि जब संविधान के हिसाब से कानून बना है और उसका पालन नहीं होता तो हमारे इस ऐक्ट के बनाने का नतीजा क्या होगा ?

दूसरी ओर जब हम यह ग़ौर करते हैं कि इस बिल का आशय यह है कि 'अधिकारों की घोषणा करना'। उसमें जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि शायद जो केस पेंन्डिग हैं उन पर इसका कुछ असर पड़े लेकिन उनके घोषणा करने से कैसे दूसरे आदमियों के अधिकारों को भी हम बदल देंगे। उन पर हम इसको लागू करेंगे क्योंकि मदरास में एक केस हुआ था जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था "मदरास स्टेट गवर्नमेंट वर्सेज चम्पाकन" उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला दिया था कि हरिजनों को कोई गवर्नमेंट कितनी ही सुविधा दे सकती है लेकिन उसका तात्पर्य यह नहीं होता कि एक ओर हरिजनों के अधिकारों की रक्षा हो और दूसरी तरफ ऊंची जाति के व्यक्ति के अधिकार की अवहेलना ? यदि उस की धार्मिक या अन्य चीजों पर आघात होता है तो उस को अधिकार है कि वह कानून की शरण ले। तो उस हिसाब से यह बिल उस चीज को मीट नहीं करता है जिसको मीट करने का ध्येय गवर्नमेंट का है। दूसरी चीज जहां तक सोशल डिसेबिलिटी बिल जो हमारा बना था वह सन् १९४७ में बना था और उसकी धारायें सन् १९५३ तक जब तक सेंट्रल ऐक्ट लागू नहीं था तब तक लागू थीं। उस धारा के हिसाब से सन् १९५३ में एक फैसला भी हुआ था। उस लिहाज से जो यह हमारा कानून बना और सेंट्रल गवर्नमेंट के उस कानून में यह लिखा हुआ है "अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियां उस विस्तार तक जहां तक कि वे या उनमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों में से कोई इस अधिनियम या उसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों में से किसी के सदृश हैं या उसके विरुद्ध हैं, एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।"

इस बिल को जब हम उठा कर देखते हैं तो इसकी सब धारायें उस बिल से बिलकुल हूबहू कापी मालूम होती है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कह दिया कि इस प्रकार का कोई ऐक्ट या इसके किसी प्राविजन के सदृश्य कोई प्राविजन होंगे सो विरुद्ध होंगे दोनों प्रकार के ऐक्ट्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स बनायेंगी उन्हें वह रिपील कर देगी और जब दोनों रिपील कर देगी तो इन धाराओं के लाने की महत्ता क्या रही। इस प्रकार की चीजों को देखने से मेरे दिल में बहुत ज्यादा शक पैदा हुआ और मैं चाहता हूं जब यह ऐक्ट पास हो ही रहा है तो सरकार कानूनी तौर पर विचार कर ले कि इस ऐक्ट के पास करने से क्या हरिजनों को वह राइट्स मिल जायेंगे या आपके डिक्लेयरेशन करने से उन अधिकारों की प्राप्ति हो जायगी इसकी इच्छा सरकार को देने की है।

दूसरी ओर मैं एक शब्द कहना चाहता हूं अपने उन हरिजन भाइयों से या उन लोगों से जो मन्दिर प्रवेश के बारे में कोई सत्याग्रह या कोई कार्यक्रम चला रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का आन्दोलन इस समय में उतना उचित नहीं हो सकता जितना कि और समय कहा जाता रहा होगा। हरिजन होने के नाते मैं विशेष रूप से यह समझता हूं कि हमें इतना ज्यादा उपर उठना चाहिये कि मन्दिर में क्या हिन्दुस्तान में कहीं भी ऐसा स्थान न रह जाय जिसमें कि हमारा प्रवेश निषिद्ध हो। लेकिन यह कर्त्तव्य स्वयं हरिजनों का होना चाहिये न कि गैर लोग हमको अधिकार दें या वह हमसे कहें कि मन्दिरों में आप चलिये और हरिजन उनके पीछे चलें और आगे आगे वे जा कर एंट्री करें मैं इस चीज को अच्छा नहीं समझता। मैं समझता हूं कि हरिजनों के अन्दर

वह चीज़ स्वयं आनी चाहिये जिससे कि हर स्थान में उनकी पहुंच हो सके और उनको रिफ्यूज़ न कर सके। सर अल्लामा इकबाल का उर्दू का एक शेर मैं पढ़ देना चाहता हूं, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में इस प्रकार की चीज़ कहीं है:—

"खुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तकदीर से पहले।
खुदा पूछे खुद बन्दे से बता तेरी रज़ा क्या है।"

हम हरिजनों को इतना ज्यादा कोशिश करनी चाहिये कि कहीं पर हमारा रुकाव न हो। यही केवल हमें नहीं करना है कि हम विश्वनाथ के मन्दिर में या और मन्दिरों में प्रवेश करें बल्कि इतना ज्यादा उसमें प्रयत्न करें कि भगवान विश्वनाथ उस मन्दिर को तोड़फोड़ कर हरिजनों के सामने आ जायं और कहें कि हम तुम्हें दर्शन देते हैं लेकिन कानून के जरिये मन्दिर में जाना मैं अच्छा नहीं समझता। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह कानूनी पहलू पर गौर कर ले और हरिजनों से निवेदन करूंगा कि इस समय जो हमारे मुल्क के उन्नति के कार्य हैं उसमें वे योग दें न कि मन्दिर प्रवेश और छोटी-छोटी बातों पर गौर करें। श्रीमन्, मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा विशेषतया माननीय मुख्य मंत्री जी से कि वह इस कानूनी बात को अवश्य सोचेंगे और उस पर गौर करेंगे।

*श्री मुश्ताक अली खां (जिला बदायूं)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब इस मुल्क में अंग्रेजी हुकूमत जाने के बाद कांग्रेसी हुकूमत कायम हुई तो उसने अपनी कौम की कमजोरियों को महसूस किया और उसने यह चाहा कि जो कमजोरियां अब तक हमारे मुल्क को बर्बाद करती रहीं हैं और समाज के अन्दर जो खामियां पैदा हो गई हैं उनको किसी तरीके से दूर करें ताकि जो अब तक हालात रहे हैं उनकी किसी तरीके पर रोकथाम हो जाय। गांधी जी ने यह महसूस किया—एक कांग्रेसी लीडर होने की हैसियत से और एक मुल्क के सबसे बड़े नेता होने की हैसियत से कि मुल्क में एक बहुत बड़ी तादाद उनकी है जिनको हरिजन कहा जाता है और जिनकी तादाद ६ करोड़ है उनकी सोशल डिसएबिलि-टीज़ ऐसी हैं जो कि मुल्क की एकता को और ताकत को किसी वक्त नुक्सान पहुंचा सकती हैं। लिहाजा तावक्ते कि इस मुल्क के रहने वाले और इसके नागरिक मुल्क से अपनी मुहब्बत न रखते हों कि एक दूसरे के साथ भाई-भाई कैसा बर्ताव करें तब तक यह सोशल डिसएबिलिटीज़ उनकी दूर नहीं होगी। मुल्क के अन्दर ताकत नहीं आयेगी। लिहाजा उन्होंने इसको महसूस किया, एक तहरीक हरिजनों को बराबरी का दर्जा देने के लिये मुल्क के अन्दर शुरू की। और आज मैं समझता हूं बहुत से कानून गवर्नमेंट ने इस किस्म के बना दिये हैं जिनसे वे सोशल डिसएबि-लिटीज़ दूर हो गई है।

कानून बना देने से जो हमारी मंशा है, जिन खराबियों को हम दूर करना चाहते हैं वे दूर नहीं कर सकतीं। जब हम यहां होते हैं सेक्रेटेरियट के अन्दर होते हैं, विधान सभा की मीटिंग में बैठे होते हैं और दारुल शफा में होते हैं तो यह महसूस करते हैं कि हकीकतन जो छुआछूत की लानत एक तरह से हमारे मुल्क पर थी, वह दूर हो गई। लेकिन जब अपने गांवों में जाते हैं, और अपनी कास्टीच्यऐंसी में घूमते हैं तो हमको यह मालूम होता है कि महज कानून इन बुराइयों को दूर नहीं कर सकता बल्कि मुल्क का माहौल बदलने की जरूरत है और कानून के जरिये से इसको दूर नहीं किया जा सकता। जनाब-ए-वाला, आपकी इजाजत से मैं अर्ज करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं हिन्दुस्तान देहात में बसा है तो वहां हरिजन भाई हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि जनाब हमारी यह दरख्वास्त है इसको जरा आप रिकमेंड कर दीजिये हमको सीमेंट मिल जाय ताकि हम अपने पानी पीने के लिये कुयें बनवा लें या उनकी मरम्मत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुश्ताक अली खां]

करालें। अब अगर उनसे यह कहा जाता है कि देहात के अन्दर और भी कुयें मौजूद हैं अगर तुमको इस वक्त सीमेंट नहीं मिलता है तो तुम पानी की दिक्कत में क्यों पड़ते हो, किसी भी कुयें से ले सकते हो तो वह यह कहते हैं कि देहात की ऊंची जाति के लोग हमको कुयें पर नहीं चढ़ने देते। तो मैं अर्ज करूंगा कि महज कानून बना देने से मुल्क के अन्दर से मुसीबत को दूर नहीं कर सकते। बल्कि हमको इसका प्रचार करना चाहिये, हुकूमत का जो पैगाम है और जो मंशा है उसको घर २ ले जाना चाहिये और हमको दूसरे भाइयों के दिलों में यह चीज पैदा करनी चाहिए कि वह अपने हरिजन भाइयों के साथ बराबरी का बर्ताव करें।

मैं यह नहीं कह सकता कि हिन्दू मजहब हरिजनों को मंदिर में जाने के लिये क्या कहता है लेकिन मैं यह समझता हूं कि दुनिया के मुख्तलिफ मजाहिब और जो उनके बुनियादी उसूल है, वह यह हैं कि इंसान-इंसान में फर्क न किया जाय महज इस वजह से वह हालांकि एक ही मजहब के फालोअर हैं लेकिन एक सोशली ऊंचा है और एक दबा हुआ तो उनके अन्दर इस किस्म की तफरीक पैदा की जाय। लिहाजा आज यह सूरत पैदा है कि हरिजनों को मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करने या अपनी इबादत करने की सहूलियत हासिल नहीं है तो मैं यह समझता हूं कि इस किस्म का कानून बनाने के कारण कानून से वह दुश्वारियां दूर हो सकती हैं तो इस माननीय सदन का एक भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जो कि जनाब माननीय मंत्री जी के इस विधेयक का तहे दिल से खैरमकदम न करे।

यह बताया जाता है कि हमारे प्रदेश में तकरीबन दो करोड़ हरिजन भाई रहते हैं, इसके मानी यह हैं कि हमारी कुल प्रदेश की आबादी का तकरीबन एक तिहाई हिस्सा वह है, अगर वह ऐसी सोशल डिसएबिलिटी के मातहत अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं तो यकीनन हमारे प्रदेश की कुव्वत बढ़ने के बजाय घटेगी और तावक्ते कि हम उनको मुतमईन नहीं कर दें और यह न समझने लगें कि जिस तरीके से और दूसरे लोग इस प्रदेश में रहते हैं उसी तरीके से हम भी रह सकते हैं उस वक्त तक वह मुतमईन नहीं हो सकते और हमको भी उस वक्त तक चैन नहीं लेना चाहिये जब तक कि हम उन्हें मुतमईन न कर सकें।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)---जनाबवाला, मेरा इरादा नहीं था कि इस बिल पर बोलूं मगर मैं समझता हूं कि यह जरूरी है कि एक नान हिन्दू के दिमाग पर जो इस बिल का रिऐक्शन है वह भी हाउस के सामने रख दिया जाय। मैं यह खयाल कर रहा था कि गालिबन मेरे दोस्त मुश्ताक अली साहब कुछ अपना जजबा जो उनको कुदरती तौर पर इस बिल के इस हाउस के सामने आने से पैदा हुआ होगा, फरमायेंगे लेकिन वहीं सब कुछ कहा जो कि और तकरीरों में दूसरे साहबान से इस हाउस में मैं सुन चुका था। सबसे पहले मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि जहां तक मेरा ख्याल है मैं बिलीव करता हूं एक वर्ल्ड सिविलाइजेशन में, एक वर्ल्ड फेडरेशन में, एक वर्ल्ड रेलीजन में। मैं यह समझता हूं कि किसी मजहब के मुताल्लिक भी अगर कोई बिल आये तो मेरा कुदरतीहक है कि उसमें आकर घुसूं और यह बतलाऊं कि यह बिल सही है या गलत है और ह्यूमन राइट्स की कसौटी पर यह पूरा उतरता है या नहीं। कुछ बातें कानून की भी हुई।

बाज तरफ से कुछ कानून के दलायल दिये गये। मेरे एक दोस्त ने जो वकील भी हैं उन्होंने यह भी फरमाया कि गवर्नमेंट ने सही तरीके पर उन कानूनों को आपरेट करने की कोशिश नहीं की और आज जो दिक्कतें पेश आ रही हैं वह इसलिये आ रही हैं कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट और दूसरी जगहों पर रिट्स फाइल नहीं किये। रिट्स फाइल किये जाते तो कानून का क्लैरिफिकेशन हो जाता। तो अब दो सवाल हैं। एक तो यह है कि कानूनी खराबियां इस बिल में क्या हैं और क्या हो सकती हैं और जिस तरफ से कि रोकने की कोशिश की जा रही है वाकई इस बिल के ऐक्ट बन जाने के बाद वह दूर हो जायंगी या नहीं। और दूसरा सवाल यह है कि आन मारल ग्राउंडस जहां तक कि ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक है उस पर यह

कानून पूरा उतरता है या नहीं। मुझे परसनल ग्रीवेंस यह है कि इस बिल से नफा उठाने से मैं क्यों महरूम किया गया मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वजह है कि हिन्दू कम्यूनिटी को ही इससे नफा उठाने का मौका दिया जाता है? आखीर मुझे क्यों नहीं दिया जाता क्या वजह है कि मुझे इसका हक हासिल नहीं हो कि मैं भी टेम्पुल में जा सकूं। मेरी मस्जिदों के दरवाजे तो आपके लिए खुले हुए हैं, चर्च में तो किसी को रुकावट नहीं है। बौद्ध मजहब में भी ऐसा ही है, सिख्खों के गुरुद्वारा वगैरह में भी सब जा सकते हैं। और आपके ईसाइयों का वह तो खुद दावत देते हैं कि उनकी चर्च सर्विस में आप शरीक हों तो आप हमें डीप्रेस्ड क्लास से भी नीचा क्यों समझते हैं। मुझे भी उसका फायदा उठाने की इजाजत दी जानी चाहिए। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसकी क्या वजह है आपने इसका दायरा क्यों महदूद कर दिया है। आपने सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास को क्यों डिफाइन किया है। इसकी क्या वजह है कि जो कुछ इस बिल में करने की कोशिश आपने की है वह सिर्फ हिन्दुओं के लिए की है? मैं तो इक्वेलिटी में बिलीव करता हूं। मैं तो कहता हूं कि क्या कोई कानून है कि वह मुझे रोक सके मैं सुबह को चर्च की सर्विस में शरीक होऊं, दोपहर को मैं नमाज जाकर मस्जिद में पढ़ूं और शाम को गुरुद्वारे में जाकर के वहां की जो सिटिंग्स होती है उनमें शरीक हूं। तो वह कौन सा कानून है जो मुझे ऐसा करने से रोक सकता है। मैं बयक वक्त किसी भी रिलीजस वर्शिप में जा सकता हूं। मैं यह मजाक से नहीं कह रहा मैं तो निहायत सीरियसली कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस कौम को एक नेशन देखना, रोजमर्रा के जो कम्यूनल झगड़े है, जो बदकिस्मती से हिन्दू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर लड़े जाते है वह दूर हों और ये सब खराबियां दूर हों और एक वर्ल्ड सिवलीजेशन और एक रिलीजन हो। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मुसलमान होने से क्या नजिस हो गया हूं? किसी मजहब में क्या इंसान कोई नजिस समझा गया है? अरेबिया में चले जाइये जो लोग हज में गये है वहां का उन्हें तजुर्बा होगा कि वहां भंगी की कोई कास्ट या क्लास नहीं है। दिन भर वह काम करता है जब उसके नमाज का वक्त आता है तो वह कपड़े साफ पहिन लेता है और उसी सफ में जाकर खड़ा हो जाता है जहां सब नमाज पढते है और वह नमाज अदा करता है और वहां पर :

"एक ही सफ में खड़े हो गये महमूद व अयाज
न कोई बन्दा रहा न कोई बन्दा नवाज।"

की जीती जागती तखीर पेश करता है।

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस बिल का दायरा क्यों महदूद किया जाय: इसके प्रिएम्बिल में लिखा हुआ है "Hindus in General or any section of Hindus" तो मैं समझता हूं उसकी जगह सिर्फ हिन्दुओं के लिये नहीं बल्कि इंडियन पीपुल होना चाहिये। क्या वजह है कि हिन्दू लफ्ज लिखा हुआ है? क्यों आप सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास को ही यह राइटस दे रहे है उन्हीं को आपने डिफाइन किया और मैं बड़े वसूक के साथ कह सकता हूं कि आज तक कोई आदमी डिप्रेस्ड क्लास को डिफाइन नहीं कर सका कि क्या उसकी डेफिनीशन है। आप हिन्दू को भी डिफाइन नहीं कर सकते। इसमें बहुत डिफीकल्टीज पैदा होती हैं। जो कानून पहले बन चुका है, मौजूद है सेट्रल ऐक्ट मौजूद है, आपका खुद का ऐक्ट मौजूद है उसमें जो कमी और खराबी है वह डेफिनीशन्स की है। अगर आप सही डेफीनीशन कर दें और एक नेरोव्यू की बजाय एक वाइडर व्यू लायें और तमाम दुनिया को एक समझें जबकि जिस्टेसेज भी एलिमिनेट हो गये है तो किसी रिलीजन की बिना पर कोई खास कानून नहीं बनाया जा सकता। मैं अगर चाहूं तो आपके इस कानून को अल्ट्रा वाइस करार दिला सकता हूं क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेशन है। कौन है जो मुझे रोक सकता है इस किस्म का सूट फाइल कर देने से कि यह कानून अल्ट्रा वायस है इसलिये इसमें डिस्क्रिमिनेशन बर्ता गया। तो लिहाजा मैं ब्राडर व्यू लेना चाहता हूं। ये रोजमर्रा के जो मजहब –व– मिल्लत के झगड़े है किस्से हैं जिनके नाम पर खून होता है और लूट होती है रोज लोग लूटे जाते है। मारे जाते है, इनको आपको रोकना

[श्री अतहर हुसैन ख्वाजा]

चाहिए और यही ऐसे मौके है जबकि आप उन्हें रोक सकते हैं। तो मेरी जायज शिकायत है कि जब मैं आपको ईक्वलिटी बरतता हूं अपनी रिलीजस प्लेसेज में जाने से नहीं रोकता हूं तो कोई वजह नहीं है आप औरों को राइट्स दे और अगर एक मुसलमान आपके टेम्पिल में जाना चाहे वह अगर दर्शन करना चाहे तो उसको रोका जाय। मैं तो समझता हूं कि दुनिया के जितने बड़े मजाहिब है ऊंचे उन सबके फंडामेंटल प्रिसिपिल्स एक है। फंडामेंटल्स में कहां डिफरेंस है। एक ही फार्म है सबमें वरशिप का। मैं जब मस्जिद में जाता हूं यह सही है तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक खास इमेजिनेशन होती है, टेम्पिल में एक खास एमेजिनेशन होती है तो खुदा तक पहुंचने के जरियों में फर्क हो सकता है। लेकिन वसूलन कोई फर्क किसी किस्म का नहीं है यह मैं पूरे वसूक के साथ कह सकता हूं। दुनिया के सब रिलीजंस एक हैं, सब एक चीज में बिलीव करते हैं एक खुदा में विलीब करते है। अलग-अलग फार्म्स हो सकते है उसका मैं काउन्ट नहीं कर सकता। जो बुराइयां है वह सब में वही मानी गयी है। वह कौन मजहब है जो जिना को जायज करार देता है। कौन सा मजहब है जो जुआ को या शराबनोशी को अच्छा करार देता है। यह तो आप कह सकते है कि मन्दिर में कोई शराबी न जाये, जुआरी न जाये लेकिन यह नहीं कह सकते है कि कोई मुसलमान न जाय। क्यों न जाय ?

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, आप इस तरह से उनके भाषण को डिस्टर्ब न करें।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—मैं अब लीगल प्वाइन्ट से इस पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। मेरे लायक दोस्त ने कहा कि इसके मुताल्लिक रिट्स हो सकती हैं। रिट्स भी हर हालत में नहीं हो सकती है और गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। एक तो रिट्स कोर्ट के खिलाफ हो सकती हैं या गवर्नमेन्ट के किसी डिपार्टमेन्ट के खिलाफ हो सकती हैं। कोर्ट के खिलाफ जब हो सकती है जब कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन हो और वह उसको ऐक्सरसाइज करने से मना कर दे और जाहिर है कि जब तक कोर्ट आफ ला में कोई केस नहीं जायगा तब तक अकेजन एराइज नहीं हो सकता है। गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट के खिलाफ जब रिट हो सकती है कि जब कोई गवर्नमेन्ट का कोई आर्डर प्रिंसिपल आफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो। मैं समझता हूं कि यह पीस आफ लेजिस्लेशन सुपरफलुअस है। इसलिये अब तक इसके मुताल्लिक जो कानून हैं उनके सही तौर पर मनवाने के लिये कोशिश होनी चाहिये। अगर सही तौर पर मौजूदा कानूनों को मनवाने की कोशिश की जाय तो यह जो लेजिस्लेशन लाया जा रहा है सुपरफयूलस है और इसके बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट अपने कानूनों को ठीक तरह से मनवाये और किसी चीज की जरूरत नहीं है।

*श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष, महोदय, कल से इस बिल पर विचार हो रहा है और कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं भी इसी नाते अपने कुछ विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। जहां तक इस बिल का संबंध है, यह स्पष्ट है कि हमारे सामने गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का अनटचेबिलिटी अफेंसेज ऐक्ट १९५५ मौजूद है। वह इतना काम्प्रीहेंसिव और इलेबोरेट है कि वह इसको कवर कर लेता है। जहां तक आब्जेक्ट का सवाल है उससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन से डाउट्स हो सकते है जिनसे सफाई की जरूरत पड़ी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया।

इसमें एक बात यह है कि सेंट्रल ऐक्ट की धारा १७ के अंतर्गत जो ऐक्ट इस तरह से आये हैं वह रिपील किये गये हैं या इससे बराबर या कम अधिकार देने वाले हैं उनकी रिपील करने का सुझाव है। ऐसी हालत में जब इतने ऐक्ट रिपील किये गये हैं तो फिर यह नया बिल लाकर और शलह पैदा करने की क्या जरूरत है? अब सवाल रह जाता है कि क्या क्या संदेह हो सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो धारायें सेंट्रल ऐक्ट में हैं वही इसमें हैं और कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। अब सवाल रह जाता है कि छूआछूत का कानून कब से प्रचलित हुआ। १९४७ में जो बिल आया था उसमें कौन कौन सी बाधायें आईं और क्या क्या कार्यवाही हुई, कितने केसेज में चालान हुआ? वह स्पष्ट बात है लेकिन सवाल यह है कि इतने दिनों से मंदिर प्रवेश नहीं हो पाया है और छूआछूत जारी रही, कहने को तो यह हुआ कि नहीं लेकिन छूआछूत जारी रही सवाल यह पैदा होता है कि हम इसको कैसे कार्यान्वित करें कि मन्दिर में प्रवेश हों और यह हक जो परिगणित जातियों को मिल गया है उसको कैसे दिलाने की कोशिश करें। मैं तो स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जहां बिहार में विनोबा भावे के साथ जो हरिजन गये उनको रोका गया और उनको लात घूसे सहने पड़े तब वहां के चीफ मिनिस्टर को विवश होकर अपने साथ में सैकड़ों हरिजनों के साथ मन्दिर में प्रवेश होने के लिये जाना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश क्यों पीछे रहे जब हमारे यहां इतने प्रमुख व्यक्ति मौजूद हैं और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में हमारा काफी असर है? क्या वजह है कि हम सब जाकर मन्दिर में प्रवेश न करें? लेकिन उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स होती रहीं और एक तरीके से सरकार हजारों रुपये देकर प्राइवेट एजेन्सीज से मुकदमा चलवाने की कोशिश करती रही और दूसरी तरफ ८ मई, १९५५ से सेन्टर का यह कानून लागू हुआ जिसके मुताबिक यह कागनिजेबिल आफेन्स है और सरकार को उसको अपने हाथ में लेना चाहिये लेकिन सरकार उसको नहीं ले पायी और यही कोशिश करती रही कि प्राइवेट एजेन्सी इसके लिये फाइट आउट करें तब वह कार्यरूप में परिणत हो सकता है। तो जब यह ऐक्ट हमारे सामने पहले से मौजूद है कि सरकार इसमें मुद्दई बने तो फिर क्या वजह है कि यह कानून कामयाब न हो। इस कानून को कामयाब करने के लिये सरकार के पास सारी मशीनरी मौजूद है। अगर कानून के अन्तर्गत कोई टेक्निकलिटीज रह गयी है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जा सकता है कि आया यह कानून लीगैलिटी की बेसिस पर चैलेन्ज किया जा सकता है या नहीं। लेकिन वह भी नहीं हो पाया।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। कई चीजें इसमें आयी हैं। डिफरेन्सेज इसलिये पैदा हो गये कि शेड्यूल्ड कास्ट की जगह डिप्रेस्ड क्लास रख दिया। संविधान में जब शेड्यूल्ड कास्ट है उसको ओमिट करके डिप्रेस्ड क्लास रखना और यह कहना कि हम दूसरा कानून ले आये हैं। तो सेन्ट्रल ऐक्ट के होते हुये मैं तो यही कहूंगा कि इस बिल का भी वही हश्र होगा और इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

इसी प्रकार से मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आपने हिन्दू कम्यूनिटीज का जिक्र किया है तो हिन्दुओं में हजारों कम्युनिटीज हैं और हर कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी के लिये मन्दिर बनाती है तो इस तरह से घपला होने का डर है। कोर्ट्स नये-नये व्यु लेंगे। जब कि यह ऐक्ट कागनिजेबिल आफेन्स है और दूसरा कागनिजेबिल आफेन्स नहीं है पनिशेबिल भी नहीं है बल्कि कहा गया है कि यह कानून महज वायड होगा या इनआपरेटिव होगा तो ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि यह नया बिल जो आया है वह ज्यादा कारगर साबित नहीं होगा और अदालतों को बहाना मिलेगा कि यह जो कानून है उसको इसमें न एन्टर करके पहला जो आपका कानून है उसमें चालान करें जिससे उनको और प्रोत्साहन मिलेगा कि छुआछूत का भूत बराबर जारी रहे। ऐसी अवस्था में मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि शब्दों के जाल से बचने की कोशिश की जाय और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उलझनें पैदा हो जायंगी

[श्री जयपाल सिंह]

जहां तक हिन्दू कम्युनिटी का सवाल है उसमें तो हजारों किस्म की कम्युनिटीज हैं। शेड्यूल्ड कास्टस में भी हजारों कम्यूनिटीज हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो सेन्ट्रल ऐक्ट है जिसमें कई कम्युनिटीज हैं वह ज्यादा काम्प्रिहेन्सिव है। ज्यादा इलोबोरेट है और उसका ज्यादा विस्तार है और उस में सीमित व्यवस्था कर दी गई है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी इन चीजों पर भी विचार कर लें ऐसा न हो कि आगे अदालतों में जा कर बजाय इसके हम को इस समस्या का एक हल मिले एक रास्ता मिले,ज्यादा रुकावट पैदा हो जाय।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां इस तरह की रूढियां और परंपरायें हमारे यहां मौजूद हैं, इस तरह के जो कनस्टम्स है, जो कि समाज के हित में नहीं है, उन को तोड़ने के लिये हमें एक कदम उठाना चाहिये और अगर यह परंपरायें इसी तरह बनी रहीं और उनका सम्मान भी इसी प्रकार बना रहा तो यह बात हमारे समाज के लिये घातक सिद्ध होगी। मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से संस्कृत कालेज, बनारस है और उस में जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, जिन के आधार पर यह छुआछूत बढती जा रही है और वहां से जो लोग पढ़ लिख कर निकलते है उनके दिमागों में भरती जा रही है, उनमें घर कर जाती है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिये यह हिदायत की है कि जो शूद्र है वे अगर वेद का वाक्य सुन लें तो उनके कान में शीशा डाल दिया जाना चाहिये, उनको अच्छी तरह से समाज में जीवन व्यतीत करने का अधिकार नहीं है, उनको खत्म भी कर दिया जाय, तो इस तरह की जो हमारे कोर्स में पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं उनके होते हुए क्या सुधार हो सकता है। 'शंकर भाष्य जैसी पुस्तक अगर कोर्स में पढ़ाई जायगी तो उसको पढने वालों के दिमागों पर क्या असर पड़ेगा इसको आप सोचें। हां, अगर कोई रिसर्च करना चाहता है शंकराचार्य पर, तो बात दूसरी है। लेकिन इस प्रकार से किताबों का पढाया जाना और इस प्रकार से उनका प्रोपेगन्डा किया जाना, मैं समझता हूं कि समाज के हित में नहीं है। इसलिये अध्यक्ष महोदय ,मैंने यह चंद बातें कहीं और यह इसलिये कि इन बातों पर विचार किया जाय और अगर इन पर गंभीरता से विचार न किया गया तो इससे हमारी कुछ और असुविधायें बढ़ जायंगी और कठिनाइयां बढ़ेंगी। हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे और और केवल हमारे लिये ही नहीं बल्कि सारे समाज के लिये कठिनाई बढ़ जायगी। इसलिये इन बातों पर विचार करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जो कानून के खिलाफ होती हैं, इसलिये इस विधेयक में उन कानून के अनुसार ऐसी धारायें आनी चाहिये कि जो सेन्ट्रल का ऐक्ट है और जो हमारी संविधान की धारायें है उनके उद्देश्य की पूर्ति होती रहे और उस उद्देश्य की पूर्ति में वह सहायक सिद्ध हो सकें तभी हम सफल हो सकते है इस प्रकार के एक सामाजिक रेजोल्यूशन में और इसलिये मैं समझता हूं अच्छा होगा कि इस पर पूरी तरह से विचार किया जाय अन्यथा हम असफल ही रहेंगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल के उद्देश्य का सम्बन्ध है, मेरा ख्याल है कि इस सदन का शायद ही कोई ऐसा सदस्य हो कि जिसको इस सम्बन्ध में मतभेद हो। हमारे देश में सब जातियों को और सब लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने का समान और पूर्ण अधिकार हो, इस सम्बन्ध में कोई भेदभाव नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो विधेयक पेश किया है वह हरिजनों के अधिकारों की घोषणा, मंदिर प्रवेश के अधिकार की घोषणा करने के लिये है और इस सम्बन्ध में जो कोई संदेह है उन्हें दूर करने के लिये है। लेकिन सवाल यह है कि जैसा विधेयक पेश किया गया है उस विधेयक से हरिजनों के उन अधिकारों की घोषणा होती है, अधिकार वह बढ़ते हैं जो अब तक इस विधेयक के पेश करने से पहले थे, या कम होते हैं, या उतने ही रहते हैं। अगर वे उतने ही रहते हैं जितने पहले थे हमारे प्रदेश के कानून के मुताबिक जितने थे उससे ज्यादा नहीं होते हैं या केन्द्रीय ऐक्ट के मुताबिक जितने थे उस से ज्यादा नहीं होते हैं तो यह समझ में नहीं आता कि फिर इस विधेयक को लाने की क्या आवश्यकता थी?

अगर यह उन अधिकारों में कुछ वृद्धि करता है, बढ़ाता है तभी यह माना जा सकता है कि इस विधेयक को लाने की आवश्यकता भी थी, उपयोगिता भी थी और इस विधेयक को स्वीकार भी किया जाना चाहिये। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि इस सम्बन्ध में एक विवाद उठ खड़ा हुआ है कि हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार तो होगा लेकिन उनको मूर्ति के स्पर्श करने का अधिकार नहीं होगा तब यह सन्देह पैदा होता है कि यह पहले के दिये अधिकारों को बढ़ाता है या कम करता है। यह संदेह माननीय राजनारायण सिंह ने ही नहीं कांग्रेस पक्ष के कई हरिजन माननीय सदस्यों ने भी व्यक्त किया है। उस हालत में मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय का यह कर्त्तव्य है कि वह इस बात को स्पष्ट करें कि वह संदेह क्यों सही नहीं है? वह सन्देह क्यों निराधार है? इस सम्बन्ध में खास बात देखने की यह है कि इसमें जो दो बातें सन्देह को दूर करने के लिये कही गयी हैं और दूसरी धारा ४ में कोई अदालत बाधा न डाल सके इसके लिये प्रबंध किया गया है। वह दोनों बातें पहले केन्द्रीय ऐक्ट में हैं या नहीं। अगर वे दोनों बातें केन्द्रीय ऐक्ट में है तो फिर यह मौलिक सवाल पैदा होता है कि उसके होते हुये इस विधेयक को यहां लाने की क्या आवश्यकता थी? मैं आपके द्वारा इस सदन का और माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान इस केन्द्रीय ऐक्ट की दफा ३ की तरफ दिलाना चाहता हूं। उस दफा में यह कहा गया है कि "जो कोई किसी व्यक्ति को ऐसे किसी लोक उपासना स्थान में जो उसी धर्म के मानने वाले या उसी धार्मिक सम्प्रदाय या उसी के किसी विभाग के अन्य व्यक्तियों के लिये खुला है ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रवेश करने से, या जिस रीति में और जिस विस्तार तक कि उसी धर्म के मानने वाले या उसी धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी भाग के व्यक्तियों के लिये किसी लोक उपासना स्थान में उपासना करना या अर्चना करना या किसी पवित्र तालाब कुंयें, जल-स्रोत या जल-प्रवाह में स्नान करना या ऐसे तालाब, कुयें, जल-स्रोत या जल प्रवाह के जलों का उपयोग करना अनुज्ञेय है उसी रीति में और उसी विस्तार तक किसी व्यक्ति को अपनी वैसी हैसियत में किसी लोक उपासना स्थान में उपासना करने से या अर्चना करने से या किसी पवित्र तालाब कुयें, जल-स्रोत या जल-प्रवाह में स्नान करने से या ऐसे तालाब, कुयें, जल-स्रोत या जल-प्रवाह के जलों का उपयोग करने से, अस्पृश्यता के आधार पर निवारित करता है वह कारावास से जो ६ महीने तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपया तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा" यह केन्द्रीय ऐक्ट की धारा ३ में है। इस विधेयक में जो इस समय इस सदन के सामने पेश है इससे अधिक उसमें और क्या कहा गया है इस बात को माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट करें। तभी सदन के सदस्य जो किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं रखते हैं उनका और कांग्रेस पक्ष के उन सदस्यों का भी जिन्होंने अपने मन का इस प्रकार का सन्देह प्रकट किया है कि यह विधेयक पास भी हो जाय तो भी हमारे इस विधेयक के पास होने पर हमारे पहले अधिकार बढ़ने के बजाय घटते हैं। यह एक गम्भीर सन्देह है और इस सन्देह का दूर करना माननीय मुख्य मंत्री का सर्वोपरि कर्त्तव्य है।

दूसरी बात सन्देह की यह है कि अधिकार चाहे उतने ही हों जितने के पहले थे, चाहे उनका दुहराया जाना अनावश्यक भी हो तब भी क्या इस बिल के पास हो जाने के बाद इस तरह की कोई बात होती है कि जिससे सन् १९४७ का इस प्रदेश का विधेयक और १९५५ का केन्द्रीय विधेयक जो कोरे कागज पर रह गये हैं और दोनों विधेयक के होते हुये मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार हरिजनों को नहीं प्राप्त हो सका और उस सम्बन्ध में सत्याग्रह करने की और अदालत की शरण लेने की लोगों की आवश्यकता पड़ी है तो इस विधेयक के पास हो जाने के बाद क्या इस तरह की घटना का होना बन्द हो जायगा? वह घटानयें रुक जायंगी। ऐसी कोई कारगर बात इसमें है या नहीं। आप देखेंगे कि इसमें जो संशोधनों की सूचना दी गयी है और छपी है उस नत्थी में श्री द्वारका प्रसाद मौर्य जी, जो कांग्रेस पक्ष के हैं उनका एक संशोधन है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें दंड का विधान होना चाहिये। उस संशोधन से यह साबित होता है कि उनके मन में भी इस बात का सन्देह है किसी पार्टी के सदस्यों से इसका सम्बन्ध नहीं है, सभी निष्पक्ष व्यक्तियों

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

के मन में यह सन्देह है फिर चाहे वह निराधार हो या साधार लेकिन जो संदेह है उस सन्देह को दूर किये जाने की परमावश्यकता है। इस बात की भी आवश्यकता है कि यह विधेयक भी पहले विधेयकों की तरह कोरे कागज पर न रह जाय। अंग्रेजी में एक कहावत है कि ड्रास्टिक डिजीजेस रिक्वायर ड्रास्टिक रेमीडीज़ (Drastic deseases require drastic remedies) मंदिर-प्रवेश-निषेध की बीमारी हमारे देश में बड़ी प्राचीन बीमारी है। इसे दूर करने के लिये कठोर चिकित्सा की आवश्यकता है। इस सदन को देखना है, माननीय मुख्य मंत्री को देखना है, कि क्या यह विधेयक पहले दो विधेयकों से अधिक सफल और कारगर सिद्ध होगा। जब तक यह नहीं किया जाता तब तक इस विधेयक के बारे में सन्देह होता है। वर्तमान विधेयक की धारा ४ में अदालती कार्यवाहियों को रोकने के बारे में जो कुछ कहा गया है, वह बात भी १९५५ के केन्द्रीय ऐक्ट की धारा १३ में साफतौर पर दी हुयी है। उसके शब्द ये हैं (१) "यदि न्यायालय के समक्ष किसी वाद या कार्यवाही का दावा था, किसी आज्ञप्ति या आदेश का दिया जाना था, किसी आज्ञप्ति का पूर्णतः या भागतः निष्पादन इस अधिनियम के उपबन्धों से किसी अनुरीति में प्रतिकूल हो तो ऐसा न्यायालय ऐसा कोई वादा या कार्यवाही गृहण न करेगा या ऐसी कोई आज्ञप्ति या आदेश न देगा या ऐसी किसी आज्ञप्ति या आदेश का निष्पादन न करेगा। (२) कोई न्यायालय किसी बात के न्याय निर्णयन में या किसी आज्ञप्ति या आदेश के निष्पादन में, किसी व्यक्ति पर कोई नियोग्यता, अस्पृश्यता, के आधार पर आरोपित करने वाली किसी रूढ़ि या प्रथा को अभिज्ञात नहीं करेगा"। मैं जानना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि सदन के शेष सब सदस्य भी जानना चाहेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय बतलावें कि इस धारा १३ में और विधेयक की धारा ४ में क्या विशेष अन्तर है जिसके कारण उस धारा को यहां लाने की आवश्यकता है? मैं बार-बार इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इस बात का किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध उस महान् और पवित्र उद्देश्य से है जिसके आधार पर यह बिल लाया गया है। हम चाहते हैं कि वह उद्देश्य पूरा हो, कामयाब हो, जब तक यह नहीं मिल जाता तब तक हमें यह कहने का अधिकार रहेगा कि यह विधेयक अनावश्यक ही नहीं बल्कि पहले से अधिक हानिकारक है, इसलिये अवांछनीय है और यह राजनीतिक कारणों से लाया गया है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मैंने पालीवाल जी का भाषण बड़े कामली और क्वायटली सुना। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक दो कारणों से लाया गया है एक तो आज तो इंजंकशन है उसे रोकने के लिये और दूसरे यह कि मंदिर प्रवेश का दूसरा इंजंकशन न जारी हो सके। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट बिल को पढ़ा और इस उत्तर प्रदेश के बिल को पढ़ा। मान्यवर, कानून बना है लेकिन इस देश के अन्दर, इस प्रान्त के अन्दर, जब तक कानून की इज्जत हम और आप नहीं करेंगे तब तक उसकी वैल्यू नहीं समझी जायगी। आज आवश्यक है कि आप हर कोर्ट में जावें और इस बात को मनवावें। सन् ३२ में भी हमारा इम्तिहान हुआ था। पूना पैक्ट के मामले में जब गांधी जी ने अनशन की बाजी लगा दी थी उस दिन हरिजनों का इम्तिहान था और हमने गांधी जी की जान बचाई। आज भी हम पीछे नहीं हैं। हमने कभी विश्वासघात नहीं किया इस देश के साथ अपनी संस्कृत और सनातन धर्म का नाम लिया गया। हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि—

मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषुलोष्ट्रवत्
आत्मवत् सर्व भूतेषु यः पश्यति सः मानवः।

इससे मालूम होता है पंडित कौन है, मानव है। कितने पंडित है जो इस पर उतरते हैं। अगर सब इस पर उतर आये तो कोई झगड़ा हरिजन, चमार और कुर्मी का न रह जाय। आज जो जाति-पांति का झगड़ा फैला हुआ है उसकी मुझे परवाह नहीं है। हम १० करोड़ बसते हैं सरकारी कागजात को देखिये, पोथियों को देख लीजिये आप जिस गांव में जायेंगे उसमें हमारी ही मैजोरिटी है। यह मेरा खतरा नहीं है आपका ही है। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि किसी भी मंदिर में खेर साहब चले जायं, माननीय मुख्य मंत्री जी चले जायं, कमलापति

भी चले जायं और वैसे ही चले आयें तो चले आयें लेकिन अगर मैं चला जाऊं और एक लोटा जल व एक आना पैसा चढ़ा दूं तो मेरे टीका लगा देगा। यह मैंने स्वयं देखा। नैनीताल में नैनादेवी के मंदिर में। मैंने एक आना और जल चढ़ाया तो पंडित जी ने मेरे टीका लगाया और राम कुमार शास्त्री के नहीं लगाया। कहीं झगड़ा है ? मंदिर, मसजिद सब एक हैं। मैं हरद्वार से शिवजी की पिंडी लाया और उसको अपने पास रक्खा है। वहीं पूजा कर लेता हूं। "मन सच्चा तो कठौती में गंगा" और हमारे महात्माओं ने यह सब करके दिखा दिया लेकिन आज तो कोई सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व करना चाहता है तो कोई किसी पार्टी का।

श्री अध्यक्ष--आप विधेयक पर आ जाइये।

श्री शिवनारायण--कल नारायण दत्त तिवारी जी की बात मुझे बहुत पसन्द आयी। जब हरिजन उत्थान का आंदोलन चला तो उसमें आचार्य नरेन्द्र देव थे, जयप्रकाश नारायण थे, राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी और गेंदा सिंह थे। बड़ी खुशी की बात है। आज भी हम सब को मिल कर प्रयत्न करना चाहिये। आज जब हम अफ्रीका पर उंगली उठाते हैं तो हमें पहले अपने घर को तो देखना चाहिये। "घर में दिया तो बाहर भी दिया"। मैं कहता हूं कि चाहे हम ५० कानून पास करें लेकिन हमारे दिल अगर न बदलेंगे तो कुछ होने का नहीं है। "उरूजे कामयाबी पर कभी हिन्दोस्तां होगा"। हरिजन सचेत हैं, अपने दुःख और सुख को समझते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर इस मंदिर प्रवेश के स्थान पर कहीं गृह प्रवेश होता तो अच्छा था। आज हम लोगों के पास रहने को मकान और पहनने को कपड़ा नहीं है। लाखों रिफ्यूजी आये और उनके लिये मकान बना दिये गये लेकिन हम लोगों को अभी कोई प्रबंध नहीं किया गया। तो हमें असली काम करना होगा। "भूखे भजन न होहिं गोपाला"। जब पेट खाली होता है तो पेट भरने के चक्कर में कुछ नहीं सूझता। यह बिल आज इसलिये आया है कि हरिजनों के साथ सरकार की हमदर्दी है। उसकी ओर से हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। इसको मैं साबित कर देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--अगर आपके पास आगे बोलने के लिये कोई बात शेष नहीं है तो आप खामोश हो जायें।

श्री शिवनारायण--'सियाराम मय सब जग जानी'। सच्चा धर्म यही है कि सब को एक नजर से देखा जाय। सबके साथ भलाई की जाय, उपकार किया जाय। हमारी संस्कृति यह है कि शरणागत को शरण दें। राम ने विभीषण को शरण दी। मैं अवधेश प्रताप सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि वे राम के स्थान के रहने वाले हैं और हम भी उनके पड़ोस के रहने वाले हैं। हमारे यहां अयोध्या में ऐसी कोई रुकावट नहीं है। तो मैं मानता हूं कि विश्वनाथ मंदिर काशी में आज कुछ लोग स्वार्थी जिनका जिक्र किया गया लेकिन वे भूल जायं कि आज इस देश के लोगों को ज्ञान आया है कि वे सही रास्ते पर चलें। मैं माननीय राज नारायण जी से भी कहना चाहता हूं कि वे सहयोग करें, हम आपका सहर्ष स्वागत करते हैं और जैसा उन्होंने कहा कि इन आंदोलन के सिलसिले में पुलिस वालों ने उनकी दाढ़ी को नोंचा, उनके कुर्ते को नोचा अन्याय किया गया, मैं भी कहता हूं कि यह अन्याय है। मान्यवर, हमारे जितने साथी उस आंदोलन के समर्थक हैं मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और सही माने में मानता हूं कि वे हरिजनोत्थान का कार्य करते हैं। जितने लोग भी दिल से देश के इस कलंक को मिटाना चाहते हैं वे बधाई के पात्र हैं। और सही माने में जब तक इस कलंक को देश से नहीं मिटाया जाता तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। मंदिर प्रवेश तथा और बड़े बड़े मसले लोगों को, हमको, आपको हल करने हैं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रादेशिक मंत्रिमंडल को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं जो इस विधेयक को लाकर सनातन धर्म की सेवा की। इसका मैं दो मूल्य मानता हूं, एक वैधानिक मूल्य और एक प्रचारात्मक मूल्य। इस छोटे से विधेयक

[श्री रामलखन मिश्र]

में केवल एक धारा है। यों तो इसमें ८ धारायें हैं लेकिन वास्तव में इसमें एक ही धारा है और वह धारा ३ है। धारा ३ से पूर्व पारिभाषिक शब्द आये हैं। परिभाषा की गयी है कि इन इन शब्दों के क्या अर्थ होंगे। धारा ३ के पश्चात् जो चर्चा की गयी है उसमें यह दिया गया है कि भूत में इसका प्रभाव होगा और भविष्य में भी प्रवेश का प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इस छोटे से विधेयक में और कोई वस्तु नहीं है।

प्रथम इसके कि मैं और बातों की चर्चा करूं मैं यहां अपने उन माननीय मित्रों को जो कानून के पंडित हैं, जिन्होंने एक शंका का वातावरण उपस्थित किया है, यों तो कानून में शंका सदैव रहती है लेकिन फिर भी उनके मस्तिष्क में एक शंका पैदा हो गयी है कि जब केन्द्रीय सरकार के (Constitution) अधिकारों में इसकी चर्चा कर दी गयी है तो फिर इस विधेयक की क्यों आवश्यकता हुयी। और इसी कारण से मैं आपकी आज्ञा से धारा ३ का स्वरूप पढ़ देता हूं। धारा ३ का भाग (क) एक आवश्यक भाग है—

(क) किसी भी विधि, रीति रिवाज, प्रथा अथवा व्यवहार में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, प्रत्येक हिन्दु को, वह चाहे जिस जाति या उपवर्ग का हो, यह अधिकार होगा कि वह किसी भी हिन्दू मंदिर में प्रवेश करे, वहां उपासना करे और उपासना में उसी प्रकार और उसी सीमा तक सम्मिलित हो, जिस प्रकार और जिस सीमा तक साधारणतया हिन्दू लोग अथवा उनका कोई उपवर्ग उपासना करता था उसमें सम्मिलित होता हो :

इसी का स्पष्टीकरण आगे (ख) में दिया हुआ है। तो मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहता हूं, यों तो कानून का एक स्वरूप होता है परन्तु यह कानून शास्त्र में "रीति रिवाज रस्म" ऐसे शब्द हैं जिनको कंस्टीट्यूशन ने भी माना है कि ये कभी-कभी बड़े संकट के रूप में आ जाते हैं, कंटकाकीर्ण होते हैं और इस कारण न्यायालय को वाद लेने में सुविधा होती है और फिर उस प्रकाश में निर्णय होता है कि आया इस रीति रिवाज और रस्म का क्या स्वरूप है। इस पर केन्द्रीय सरकार की जो घोषणा है उसके समकक्ष है या और कोई उससे इतर मार्ग हो मंदिर प्रवेश के अन्तर्गत रूढ़ि के कारण या और कोई कारण हो, "आर्य तराणाम् प्रवेशो निषिद्धः" कहीं-कहीं पत्थर में इस प्रकार के शब्द अंकित है कि आर्येतर कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। इस तरह से मंदिर प्रवेश के लिये रोड़े अटकाये गये हैं जो रूढ़ि के कारण हो या और किसी कारण से हो, जिस पर विवाद किया जा सकता है और अदालत में लोग करते भी हैं। तो यह एक सामान्य संकट था। इस संकट का निवारण करने के लिये, इस संदेह का निवारण करने के लिये यह विधेयक आया है। यह बहुत ही उद्देश्य पूरक है। मैं अपने कानूनी मित्रों से कहना चाहता हूं कि इस रस्म रिवाज का जो वर्णन है उन्हें सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में स्पष्ट कर दिया है और यह उसकी एक पार्थक्य लाइन है। इस दिशा में विचार करने का प्रयत्न करें तब एक उपयोगिता देखेंगे। इसके आगे मैं और नहीं कहना चाहता और दूसरी दिशा में चलता हूं।

हमारे एक माननीय मित्र को यह सन्देह हुआ है उस सीमा तक इसको रक्खा गया है कि मानों कुछ सीमा का बन्धन रखा गया है यानी कोई गुप्त रीति से ऐसे अधिकारों की रक्षा की गयी है कि जिनको हरिजन प्राप्त न करें, ऐसी बात नहीं है, मंदिर शास्त्र के अनुसार ३ कक्ष होते हैं, एक दर्शन कक्ष दूसरा अन्तरालकक्ष और तीसरा गर्भगृह कक्ष और कुछ धनी मानी मंदिरों को यह सुविधा प्राप्त है लेकिन कुछ कारणों से बहुत जगह यह भेद नहीं हो पाता और यही होता है कि लोग जहां चाहें जाकर दर्शन करें और हमारा तो विश्वास है कि ९० प्रतिशत मंदिर ऐसे हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां पर दर्शन, अन्तराल और गर्भगृह कक्ष तीनों हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि जहां पर केवल २ कक्ष ही हैं। इसलिये दर्शन कक्ष के अतिरिक्त और कक्षों में हर व्यक्ति के दुराग्रह या हठ की चर्चा न होनी चाहिये क्योंकि यह मर्यादा केवल हरिजनों के लिये ही नहीं रखी गयी है वरन् वह तो दूसरे सवर्ण हिन्दुओं के लिये, सभी के लिये है क्योंकि वहां तो उन कक्षों में केवल पुजारी आदि रहते हैं, वहां तो मूर्तियों की स्थापना शयन आदि

होता है और वहां उपासना मान्य व्यक्ति ही जाते हैं और यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि उनका स्पर्श हर व्यक्ति करे लेकिन स्पर्श न करने की जो मर्यादा है वह सभी के लिये बांधी गयी है सवर्ण हिन्दुओं के लिये भी वह है, वहां पर तो एक सीमा तक पंडित लोग ध्यान मग्न होकर विचार और उपासना आदि करते हैं और वह वहां पर अपने आत्म प्रयोग करते हैं। लेकिन जो दर्शन कक्ष है वहां सब जा सकते हैं और वहां किसी को रोक नहीं होनी चाहिये, केवल उन २ कक्षों में भेद बरता गया है। इसलिये यह कहना कि सबको स्पर्श कराया जाय मूर्तियों का यह मंदिर मर्यादा के अनुसार निषिद्ध है लेकिन जहां नहीं है वहां अब भी स्पर्श होता है। अयोध्या में एक नागेश्वर का मंदिर है वहां पर लाखों मनुष्य जाकर प्रत्यक्ष और स्पर्श करते हैं, वहां कोई बात नहीं है। ऐसे अनेक मंदिर हैं गर्भगृह कक्ष की अलग से व्यवस्था नहीं है लेकिन गर्भगृह कक्ष में जहां तक प्रवेश की बात है जैसा कि मैंने कहा वह एक मंदिर की मर्यादा की बात है और यह मंदिर मर्यादा के विरुद्ध है कि कहां पर हर व्यक्ति चाहे वह सवर्ण ही हो उसको प्रवेश की अनुमति दी जाय। उपासना आदि के लिए यह विशेष भेद किया गया है, उपासना की दृष्टि से भी स्पर्श योग्य नहीं है। वह निषिद्ध माना गया है। तुलसीदास जी ने भी कहा "दरश परश अरु मज्जन पाना, हरे पाप कहें वेद पुराना।" हमारे कुछ मित्रों को यह लगा कि मूर्तियों के स्पर्श का हठ किया जाय, स्पर्श की बात करके तो हम एक हास्यास्पद स्थल पर पहुंचे हैं। इस बिल में एक त्रुटि अवश्य दिखायी देती है कि हिन्दू धर्म की परिभाषा को बहुत ही संकीर्ण कर दिया गया है। मैं २ मिनट के लिये दूसरी दिशा में जाकर अपने भाषण को समाप्त करता हूं। सनातन धर्म पर जो लोग यह आपत्ति लगाते हैं कि उसमें कोई संकोच है या भेदभाव है। मैं कहता हूं कि यह बात बिलकुल असत्य है। हमारे यहां तो संतो ने दूसरी प्रकार से ही इसका निरूपण किया है, संत तुकाराम ने कहा है कि--

"क्या द्विजाति, क्या शुद्र ईश को वेश्या भी भज सकती है।
श्वपचों को भी भक्ति भाव में शुचिता कब तज सकती है॥"

इत्यादि इत्यादि। महात्मा कबीर ने भी कहा है कि "जाति पांति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई," हमारे विचारमान्य पुरुषों ने जहां शूद्र और चांडालों का प्रयोग किया है वहां एक अवस्था विशेष का वर्णन है। जो पवित्र न हो—अपवित्र हो—उसे ही शूद्र शब्द के अर्थ में मानते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को भी फटकारा है। इस तरह वहां एक अवस्था विशेष का वर्णन है। अर्थ शब्दों का समय के अनुसार बदलता है और एक ऐसा समय आया जब आर्य शब्द का अर्थ संकुचित हो गया और वैसे ही और शब्दों के अर्थ संकुचित हो गये और सनातन-धर्म के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है उसमें बड़ा संकोचवाद है।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, माननीय ख्वाजा साहब ने इस बिल के संबंध में भाषण देते हुये बड़ा व्यापक दृष्टिकोण रक्खा और इस दुनिया का प्रत्येक समझदार व्यक्ति इस बात की ओर हमेशा सोचता है कि इंटरनेशनल रिलीजन हो, वर्ल्ड फेडरेशन हो लेकिन मेरा तो ख्याल यह है कि जब तक इस संसार में विभिन्न धर्म और सम्प्रदाय हैं और उन सम्प्रदायों के अन्दर किन्हीं कारणों से कुछ कमजोरियां हैं। जब तक वे अपनी बुराई दूर नहीं कर सकते तब तक बड़े पैमाने पर आपस में मेल नहीं हो सकता। आज इस बात का प्रमाण उनके सामने है कि धार्मिक दृष्टिकोण को रखते हुये पाकिस्तान जैसी स्टेट बन गई है उसमें इन सब बातों के लिये हमें इन्तजार करना पड़ेगा। जबसे यह विधेयक प्रस्तुत हुआ तबसे मैंने प्रत्येक सदस्य का भाषण बड़े गौर से सुना और मैं यह जानने की कोशिश कर रहा था कि इस बिल को लाने की जरूरत क्यों हुई। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर कुछ प्रकाश डाला। बहुत से सदस्यों ने कहा खासतौर से राजनारायण जी ने और उसके प्रतिवाद में और माननीय कमलापति जी ने जहां तक कानूनी और वैधानिक प्रश्न उस पर प्रकाश डाला गया है और उस दृष्टिकोण से इस बिल की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। जैसा कि रामलखन जी ने कहा उन्हें शायद कुछ गलतफहमी है। रीतिरिवाजों का जो

[श्री सत्यसिंह राणा]

अनटचेबिलिटी आफेंसेज ऐक्ट है उसकी धारा में उनका वर्णन आ गया है। जहां तक वैधानिक आपत्ति का सवाल है वह बिलकुल सही है कि इसकी उपयोगिता ऐसी नहीं है जबकि इस प्रकार का अनटचेबिलिटी आफेंसेज ऐक्ट में प्राविजन पहले से मौजूद है अगर आज उसको किसी ने चैलेंज कर दिया है और अगर वह रिपील हो जाता है तो यह सारे का सारा ऐक्ट भी इनआपरेटिव हो जाता है और कानूनी दृष्टिकोण से इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करें, इसको वापस लें तो कोई नुक्सान नहीं है।

मैंने इसके दूसरे पहलू पर भी सोचा। सदन में जो भाषण हुये माननीय मंत्री ने पहले ही सोशलिस्ट पार्टी द्वारा बनारस में आन्दोलन के सम्पादन होने के संबंध में प्रस्ताव पढ़ा और उसके पश्चात् राजनारायण जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा दिये गये पत्र का विवरण पढ़ा और माननीय कमलापति जी का प्रस्ताव भी पढ़ा। उसके बाद माननीय कमलापति जी ने भाषण दिया। तो मैं कुछ ऐसा समझा कि इस बिल को लाने की जरूरत राजनैतिक है और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। मैं नहीं समझता कि हरिजनों को मंदिर प्रवेश करने का अधिकार हो और सोशलिस्ट पार्टी उसको लीड करती है तो कौन सा गुनाह करती है या कांग्रेस पार्टी उसको लीड करती है तो कौन सा गुनाह करती है। मैं तो यह समझता हूं कि जब इस सदन में यह बिल पास हो जायगा तो फिर वह पार्टी इसको चैलेंज करेगी। इसके पास करने से भी यही हो सकता है कि सरकार से किसी को कहने का मौका होगा कि हमने हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करा दिया या कराने की हमारी इच्छा है और सनातनधर्मावलम्बियों के लिये यह कहा जायगा कि हमने एजीटेशन को सुचारुरूप से शांत कर दिया है। तो मैं तो समझता हूं ऐसे महत्वपूर्ण विषय को राजनीतिक बिल्कुल नहीं बनाना चाहिये।

अब जहां तक हरिजनों की समस्या का प्रश्न है सब को विदित है, मैं जिस जिले से आता हूं ज्यादातर वहां के आस पास पहाड़ी क्षेत्रों तथा जिलों के हरिजनों की समस्या को समझता हूं अच्छी तरह से। यह एक मनोवैज्ञानिक भावना हरिजनों के दिल में पैदा करना कि आप लोगों को समान अधिकार तभी मिलेंगे जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे यह समस्या को बहुत दूर तक हल नहीं करता। क्या कारण है कि सब लोगों की इच्छा होते हुये भी हरिजन मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते? कानून है, सरकार भी चाहती है, माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं, आमने सामने वाले सभी चाहते हैं, कोई इंकार नहीं कर सकता कि हरिजन मंदिर में प्रवेश न करें। लेकिन इतना सब कुछ होते हुये भी इसका क्या कारण है। दो ही कारण हैं। एक सामाजिक और दूसरा आर्थिक। जब माननीय शिवनारायण जी कह रहे थे तो उनकी बातें मेरी समझ में आयीं। वह आर्थिक स्तर की बात कर रहे थे। वह कह रहे थे कि "भूखे भजन न होय गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला"। आज इस सदन में जो डिप्रेस्ड क्लासेज के सम्मानित सदस्य बैठे हुये हैं या हमारे माननीय मंत्री गण इस वर्ग से संबंध रखने वाले बैठे हुये हैं। किसको एतराज है उनके साथ बैठने में और साथ खाना खाने में, कारण क्या है, यही न कि उनका स्तर और डिप्रेस्ड क्लासेज के लोगों से ऊंचा है और अगर हम लोग नाराज हों भी यानी कोई संवर्ण आदमी, तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गाँव में जहां पर हरिजन रहते हैं अपने शाम के खाने के लिये उनको कोई संवर्ण लोगों के मकान पर जाकर मांगना पड़ता है। श्रीमन्, यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि रूढ़िवादिता जो हरिजनों के दिमाग में है मंदिर में जाने की वह पक्की है इसलिये भी कि अगर वह मंदिर में जाते हैं, सरकार के कहने के मुताबिक तो उनको शाम का खाना तक नहीं मिलता। इसलिये सबसे बड़ी समस्या आर्थिक है। अगर हरिजनों को सरकार चाहती है कि वह उन्नति करें, तो उनकी आर्थिक उन्नति के लिये सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है और सरकार उनके स्तर को ऊंचा करती है तो ऐसे सब मामले अपने आप हल हो जाते हैं। सामाजिक क्षेत्र में परम्परा बड़ी गहरी पड़ी हुई है। आज एक प्रश्न यह भी तो पैदा होता है संवर्ण लोग कह सकते हैं कि फ्रीडम आफ वर्शिप सब के लिये है, आज तक हमारी परम्परा के मुताबिक हरिजन मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे और जो जबरदस्ती

कर रहे हैं तो वह एक तरह का आक्षेप सा करते हैं। यह तो इन्टरप्रेटेशन की बात है इसीलिये कानून पर लड़ा जाता है, स्टे आर्डर होते हैं। लेकिन इस समस्या का हल ऐसे नहीं होगा। आप हरिजनों में मनोवैज्ञानिक चेंज लाने से पहले उनका सामाजिक व आर्थिक स्तर ऊंचा करें। यहां यह भी कहा गया था कि मूर्ति को कोई न छुये। श्रीमन्, मुझे केदार नाथ में जाने का अक्सर मौका मिलता है, केदारनाथ में भी शिव हैं और विश्वनाथ जी में भी। केदारनाथ में यह वहां पर परम्परा है जो यात्री दर्शन करने जाते हैं वे लिंग को छूते हैं और उसकी परिक्रमा करके लौट आते हैं। तो इस बात को मैं मानने के लिये तैयार हूं कि अगर विश्वनाथ जी के मंदिर में जगह की कहीं तंगी हो और ला ऐंड आर्डर को मेंटेन करने के लिये जंगला बनाया जाय सहूलियत के लिये बाहर आने जाने के रास्ते बनायें जायं, तो ठीक है। लेकिन यह कहना कि परम्परा ऐसी है कि कोई छू नहीं सकता गलत है, तो अगर ऐसी परम्परा है भी तो उसे दूर करना होगा। कल कमलापति त्रिपाठी जी ने माननीय राजनारायण जी के भाषण के संबंध में यह कहा, जब कि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा वाली बात कही कि वे ऐसे सनातन धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। मैं कहता हूं कि जब गणेश की पूजा होती है तो वे गोबर के ही तो बनाये जाते हैं, लेकिन उसकी पूजा तब तक नहीं होती जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। जो शिव जी का लिंग विश्वनाथ जी में है या केदारनाथ जी में है या दुनिया में कहीं भी है, सनातन धर्म की विधि के मुताबिक उसके अन्दर प्राण प्रतिष्ठा है। नहीं तो एक मामूली पत्थर जो बाहर है और जो मंदिर के भीतर है उसमें क्या फर्क हुआ। अगर कल से विश्वनाथ जी के मंदिर में जाना सब छोड़ दें तो वह मूर्ति पत्थर ही रह जायगी। इसलिये अगर कोई सेक्शन इस बात का सवाल उठाता है कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा हमने डाली तो वह गलत नहीं कहता और धार्मिक अड़चन वह पैदा कर सकता है। खैर, आज इस जमाने में ऐसी बात नहीं मानी जानी चाहिये, लेकिन मैं परम्परा के पुजारियों से यह कहना चाहता हूं कि अगर वह परम्परा पर अपने कटिबद्ध रहते हैं तो उनको इन नियमों का पालन करना पड़ता है। यह कहना कि यह हमारा युग धर्म बदलता रहता है और फिर यह कहना कि हम परम्परा पर स्टिक करते हैं, तो यह बिलकुल विरोधी बातें हैं। तो श्रीमन्, यह समस्या हरिजनों की इस तरह नहीं सुलझेगी। बल्कि इसके लिये पहले उनका उत्थान करना हमारे लिये जरूरी है। तभी उनकी समस्या सुलझ सकती है।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल से इस विधेयक पर जो बहस हो रही है उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना। यह विधेयक क्यों लाया गया है, इसके प्रस्तुत करने के क्या कारण है? इस पर बहुत ही विस्तारपूर्वक मुख्य मंत्री महोदय ने कल वक्तव्य दिया था। माननीय त्रिपाठी जी ने भी कल जो इस विधेयक पर अपना वक्तव्य दिया। उसके सुनने के बाद मैं समझता हूं कि किसी सम्मानित सदस्य को कोई शंका नहीं रह जानी चाहिये कि यह विधेयक क्यों प्रस्तुत किया गया है? इस विधेयक को प्रस्तुत करने का विशेष कारण यह बतलाया गया है कि अदालतों के द्वारा हमने जो नियम बनाये हैं, जो कानून बनाये हैं, उसमें अड़चन डाली जा रही है। यह स्थान इसके लिये नहीं है कि मैं अदालतों की अलोचना करूं या कहूं कि अदालतों ने क्या किया है। परन्तु यह मानना पड़ेगा कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने का मुख्य कारण यह है कि जो इंजक्शन आर्डर करके, निषेध आज्ञा देकर, हमने जो सत्कार्य प्रारम्भ किया था, उसको अदालत ने रोक दिया है। कल अपना वक्तव्य देते हुये श्री नारायणदत्त जी तिवारी ने भी इसी तरफ संकेत किया था और कहा था कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जानी चाहिये थी।

[श्री वृजविहारी मिश्र]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय नारायण दत्त जी से, संयोग से वह उपस्थित नहीं है कहना चाहता हूं कि इसमें जो कार्यवाही की जा सकती थी, की गई और इसके लिये एडवोकेट जनरल जो न्याय विभाग के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, की राय इस संबंध में ली गई है उनकी राय इस संबंध में कोई अपील नहीं करने की हुई है अदालत को सही आदेश देने का अधिकार है तो उसके साथ-साथ गलत आदेश देने का भी अधिकार अदालत को है। ऐसी दशा में सरकार पर लांछन लगाना कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की, उचित नहीं है। जो कुछ हम कर सकते थे हमने किया है। जैसा बतलाया गया है, उन बातों को मैं दुहराना नहीं चाहता। सन् १९४७ में हमने इस संबंध में कानून बनाया भारतीय संविधान बनाया उसमें भी इसको दोहराया गया है कि अनुच्छेद १७ के अनुसार हमने अधिकार दे दिया है कि हर एक वर्ग को जो हिन्दू समाज में है सबको अधिकार है मंदिर प्रवेश का जो हरिजन कहे जाते हैं, दलित वर्ग कहे जाते हैं उनको भी हमने अधिकार दे दिया है कि वह मूर्ति पूजा कर सकते हैं, मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं। किसी के लिये कोई रोक नहीं है। सवर्णों को जो अधिकार है, जो उच्च कहे जाने वाले लोगों को, उच्च कही जाने वाली जातियों को अधिकार संविधान ने दिया है वही अधिकार दलित कहे जाने वाले वर्ग को भी दिया गया है। आज किसी के लिये कोई रोक-टोक नहीं है, परन्तु हम मजबूर हैं। हम बाध्य होते हैं जब न्यायालय का आदेश हो जाता है। कल राजनारायण जी ने अपनी सवा घंटे की स्पीच में कहा था और बार-बार उनका यह कहना था कि सत्याग्रह जो उन्होंने किया और उनकी पार्टी ने किया वह उचित था और उनका कार्य जो उन्होंने किया वह वैधानिक था। मुझे अफसोस है कि वे इस समय उपस्थित नहीं हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--मैं आ गया हूं।

श्री व्रजविहारी मिश्र--अच्छा आप आ गये। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह विरोधी पक्ष का कर्त्तव्य नहीं है कि वह ला और आर्डर के काम में, न्याय में और शासन के लिये भी जो काम उचित हो उस पर भी सत्याग्रह के नाम से आन्दोलन करे।

श्री राजनारायण--आप उसको सविनय अवज्ञा कह लीजिये या सिविल डिस्ओबिडियेंस कह लीजिये।

श्री व्रजबिहारी मिश्र--मैं यह कहना चाहता हूं कि अदालत का एक आर्डर हो गया, गलत या सही। मैं यह नहीं कहता कि अदालत का आदेश सही है या गलत। मैं तो कहता हूं वह आदेश गलत भी हो सकता है। लेकिन यदि अदालत का एक निर्णय है तो चाहे वह विरोधी पक्ष हो, अथवा शासक जो दल है उस पक्ष का हो अथवा इस पक्ष का हो, यह सबका कर्त्तव्य हो जाता है कि अदालत के आदेश का पालन किया जाय। उसमें सत्याग्रह का प्रश्न कहां उठता है? अदालत का एक निर्णय होता है उसको पालन कराने के लिये थोड़ी पुलिस भी रहती है तो इधर के बैठने वालों और उधर के बैठने वालों का भी कर्त्तव्य है कि उस आज्ञा का गलत होते हुये भी उसका आदर करें। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो नतीजा होगा वह हम जानते हैं कि देश में कैआस फैल जायगा, अराजकता फैल जायगी। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि दो वर्ष, ढाई वर्ष का समय हमने व्यतीत हो जाने दिया और शांति से इन्तजार करते थे, प्रतीक्षा करते थे कि मुकदमा फैसल हो जाय, अदालत का अंतिम निर्णय हो जाय देखना था कि अदालत क्या फैसला करती है। अभी पिछले जून में, तारीख थी, उसके बाद मुकदमा हटा कर अगस्त में कर दिया गया, इसलिये यह आवश्यक था कि यह विधेयक प्रस्तुत किया जाय। माननीय रामलखन जी ने बतलाया था कि इस विधेयक में सब से मुख्य अंग खंड ३ है, जोकि हरिजनों को समान अधिकार देता है।

उन्हें उपासना करने का समान अधिकार देता है। मैं तो कहता हूं कि खंड ४, ५, ६ भी इस विधेयक के बहुत महत्वपूर्ण खंड है जिनमें यह कहा गया है कि जो मुकदमें दाखिल हैं वह सब समाप्त कर दिये जायेंगे भविष्य में किसी प्रकार का मुकदमा या दावा इस विधेयक के अधिकारों की जो घोषणा की जाती है उसको रोकने के लिये अदालत में दाखिल नहीं किया जा सकता है। अभी कहा गया कि विरोध में भी कोई आदमी दावा नहीं दाखिल कर सकता है इस खंड ४ के अनुसार दावा करना रोक दिया जाता है। फंडामेंटल राइट की बात दूसरी है कि कोई रिट दाखिल कर द हाई कोर्ट में। परन्तु जहां तक इन अदालतों में दावा करने की बात है वह अधिकार समाप्त हो जाता है।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है, लाल रोशनी भी आपने कृपा करके कर दी है, कुछ और बातें मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय ख्वाजा साहब ने प्रातःकाल कहा कि "हिन्दू" शब्द क्यों रख दिया गया है इस विधेयक में वे चाहते थे कि मुसलमानों को भी मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दे दिया जाय। हमें तो इसमें कोई एतराज नहीं होगा उल्टे उन्हीं को ज्यादा एतराज होगा क्योंकि उनके धर्म के अनुसार मंदिर में मूर्ति पूजा करना कुफ़्र समझा जाता है। तो हम अगर उनको अधिकार दे दें तो बहुत से मुसलमानों का यह ख्याल हो सकता है कि हम उनको कुफ़्र में घसीट रहे हैं। हम लोगों के बहुत डर--डर कर काम करने पर तो यह हालत होती है और अगर मुसलमानों को मंदिर में प्रवेश करने का कानून बना दें तब तो गजब ही हो जायगा। हां, अगर मूर्ति पूजा में उनका विश्वास हो गया है तो मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं उनसे कहूंगा कि जब खंडवार इस पर विचार हो तो खंड २ के उपखंड (ख) में जो "हिन्दू" की परिभाषा की गयी है कि जो सिक्ख, जैन, बुद्ध धर्म के अनुयायी इत्यादि हिन्दू माने गये हैं तो हम तो संशोधन नहीं पेश करना चाहते हैं लेकिन अगर ख्वाजा साहब संशोधन पेश कर दें कि इसमें मुसलमान भी शामिल कर लिये जायं तो हमें कोई एतराज नहीं होगा, हम उसका स्वागत करेंगे और मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि इसे वे मान लेने की कृपा करें। उन्होंने तो एतराज किया सरकार पर कि मुसलमान को अलग क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं अगर आपकी अलग होने की इच्छा है तो होइये परन्तु हम तो स्वागत करेंगे उस दिन का जिस दिन मुसलमान भी इस बात के लिये तैयार हों कि मूर्ति का दर्शन कर तथा उपासना करें। लेकिन हम फोर्स नहीं करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर बहस के संबंध में बहुत सी बातें कहीं गयीं और सनातन धर्म की भी दुहाई दी गयी। लेकिन सनातन धर्म अब बदल रहा है। हम सबने इसको स्वीकार कर लिया है कि असली सनातन धर्म यही है कि हिन्दू मात्र को, चाहे वह किसी सम्प्रदाय का हो, अगर वह श्रद्धा से देव दर्शन करने जाना चाहता है तो उसको अधिकार होना चाहिये। मैं सनातन धर्मावलम्बी हूं और इसकी घोषणा करता हूं कि हर एक हिन्दू को, चाहे वह अछूत हो या किसी वर्ग का हो, अगर वह सनातन धर्म में विश्वास करता है, तो उसे अधिकार है मंदिर में प्रवेश करने का और दर्शन करने का। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक इस समय प्रस्तुत है वह बहुत सरल है, लेकिन साथ ही साथ यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से आज यह कहा गया कि जब संविधान में इस तरह से अनुच्छेद प्रस्तुत हैं तब अलग से विधेयक लाने की क्या आवश्यकता हुई, गीता को हम कह सकते हैं एक सर्व मान्य ग्रन्थ है। लेकिन उसकी टीका को यदि आप देखें और उसके शब्दों को देखें तो उनका सदा और सर्वदा विकास होता गया है और इसी तरह से आज संविधान में यह दण्ड विधि प्रस्तुत है लेकिन यदि कुछ उससे भ्रम उत्पन्न होता है तो उससे यह निषेध नही होता है कि हम आगे उसका भाष्य न करें, उसका स्पष्टीकरण न करें। इस तरह से आप देखेंगे कि उस में विधान की साधारण

[श्री रामजी सहाय]

परम्पराओं की रक्षा की गई है। धर्म की परिभाषा क्या है ? आप देखें कि हमारे यहां धर्म की परिभाषा निम्न है:—

श्रुयतांम् धर्म सर्वस्य, श्रत्वा चैवावधार्यताम् ।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषाम न समाचरेत् ।।

जो हमारे विपरीत हो वह हम दूसरे के साथ न करें। भगवान ने मनुष्य को अपने ही जैसा बनाया है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मनुष्य ने अपने जैसा भगवान को बना दिया। आप देखेंगे कि अस्पृश्यता कोई चीज नहीं है। अस्पृश्य वह है जो असत्य और पांखड में रहता है। हमारे लिये केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि हम सदाचरण का पालन करें बल्कि हम सदाचरण के ऐसे नियम बनायें कि जिनके कारण बहुत से लोग जिस कार्य को हम निन्दनीय समझते हैं, खराब समझते हैं, उसको करने के लिये मजबूर हो गये तो वह संस्कार हीनता है।

आखिर हमारे यहां मूर्तियां कहां से आयीं ? मैं देखता हूं कि इसका एक इतिहास है। जब आर्य इस देश में पहले पहल आये तो वे मूर्ति-पूजक नहीं थे, वह प्राकृतिक देवों के पूजक थे। वे मारुति की पूजा करते थे, वे सूर्य की पूजा करते थे। उसके बाद की बात मैं नहीं जानता इसलिये कि मैं इतिहास का कोई जानकार नहीं हूं, उसका विद्यार्थी भी नहीं हूं, लेकिन मेरी अपनी जितनी जानकारी है वह यह कि मूर्ति पूजा का प्रारम्भ हमारे देश में बुद्ध धर्म के बाद हुआ, उनकी मूर्तियों के प्रचलन के बाद हुआ। लेकिन मैं जानता हूं कि यह द्रविड़ पूजा है। आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ों में जननेंद्रिय की और रक्त वर्ण की पूजा होती थी। वह जानते थे कि आदमी किस तरह से पैदा होता है और किस तरह से उसकी मृत्यु होती है। मोहनजोदड़ों की खुदाई में हर तरह की जननेंद्रिय मिली हैं और यह चीज इस तरह से होते होते एक परम्परा में आई और आज उसका हमारे सामने वह स्वरूप है कि जो बुद्धि को ग्राह्य नहीं है, जो बुद्धि से विपरीति है। मैं समझता हूं वह धर्म नहीं है, अधर्म है और इसी प्रकार आज हमें धर्म की व्याख्या करनी पड़ती है। "समय भेदे न धर्म भेदः।" समय के अनुसार ही धर्म में भेद होता है और आज वह समय आ गया है, आज हम निकट पहुंचते पहुंचते इतने निकट आ गये हैं, हममें इतना विकास हो गया है कि हमको अपने धर्म में परिवर्तन करना ही होगा। महात्मा जी कहा करते थे कि हमने हिन्दुओं से यदि अस्पृश्यता को न निकाला तो हिंदू धर्म नष्ट हो जायगा। हमने इस परिच्छेद में यह नहीं देखा कि स्पर्श को निषेध किया गया हो। यदि सर्वण लोग मूर्तियों को स्पर्श करेंगे तो हरिजनों के अधिकार भी उस संबंध में सुरक्षित हैं, मेरा अपना ऐसा ख्याल है लेकिन यह चीज विवाद ग्रस्त होगी। मैं इस समय इसकी जो मर्यादायें हैं, जो इसकी सीमायें हैं उन्हीं के अन्तर्गत अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं और उसमें मैं अपने को अधिक नहीं ले जा रहा हूं और इसलिये इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक प्रस्तुत है यह समयोचित है हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यह सही है कि जो हमारी धर्म के बारे में मान्यतायें हैं, जो इस तरह की भावनायें हैं, वह अपनी जगह पर हैं। मूर्तियां तो साध्य नहीं हैं, वे तो केवल साधन हैं, निमित्त हैं। उनको देख कर समझ सकते हैं कि वीतराग क्या है। आप उनको गाली दीजिये या उनकी प्रशंसा कीजिये वह कुछ आप को कहने वाली नहीं है। यह तो मनुष्य की भावनायें हैं रामायण और गीता मानव इतिहास नहीं हैं, मानव स्वभाव का इतिहास है। उनमें मानव स्वभाव का चित्रण है, उसका वर्णन है कि वह क्या होता है। यहां एक साहब ने भाव.वेष में आ कर हिन्दू धर्म की व्याख्या पूछा। मैं कहता हूं कि हिन्दू धर्म की व्याख्या वर्णाश्रम धर्म है। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि समय भेदे न धर्म भेदः उस हिसाब से वर्णाश्रम धर्म मिट गया आश्रम का नाम और उसका कार्य सब लुप्त हो गया, लेकिन वर्ण जो है उनका कार्य तो लुप्त हो गया लेकिन नाम अभी कुछ शेष है। और इस तरह से जो हमारा धर्म है उस धर्म का अर्थ फर्ज है तो लेकिन उसके मायने अधिकार नहीं

है। और यदि धर्म का अर्थ अधिकार के रूप में हम करते हैं तो फिर वास्तव में वह धर्म नहीं है। धर्म के अन्तिम पालन का परिणाम अधिकार के रूप में सम्भवतः होता हो कि जैसा कि कर्त्तव्य के रूप में उसका अर्थ होता है लेकिन सारा जो उसका मन्तव्य है और परिपाटी है वह फर्ज से ही सम्बन्धित है। इसी तरह से यह हिन्दू जनों की भावना के अनुकूल है और जैसा कि इसको शास्त्रकारों ने निवेदित किया है कि जो बुद्धि संगत नहीं है और जो बुद्धि के विपरीत है वह धर्म नहीं अधर्म है। इसलिये समय समय पर सनातन धर्म में परिवर्तन और परिमार्जन होते रहे हैं और होते रहेंगे। आज वह व्यवस्था है जिसको हमें इसी दृष्टि से देखना चाहिये। इस दृष्टि से जो यह विधेयक है मैंने उन तमाम भावनाओं को व्यक्त किया है। आपके सन्मुख और इस सदन के सन्मुख उनको पेश करते हुये मैं देखता हूं कि आज इस सम्बन्ध में जो यह विधेयक आया है वह समर्थन करने के योग्य है। इतना ही मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सदन के सामने है कि आखिर अनटचेबिलिटी आफेन्सेज ऐक्ट १९५५ के रहते हुये इस विधेयक की आवश्यकता क्या थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तरह तरह की दलीलें दी गयी लेकिन वास्तविकता तो यह है कि इतना समय इसलिये लगाया गया कि एक प्रतिक्रियावादी विधेयक सदन के सामने पेश करना था जिससे हरिजनों को प्रसन्न किया जा सके और सवर्णों को भी प्रसन्न किया जा सके। इसीलिये इतने समय के बाद यह नवीन विधेयक किया गया।

उपाध्यक्ष, महोदय, पूर्व वक्ताओं ने बताया कि अनटचेबिलिटी आफेन्सेज ऐक्ट १९५५ की धारा १३ में साफ लिखा हुआ है कि कोई नया मुकद्दमा नहीं लिया जायगा और अगर जारी हो तो उस पर कार्यवाही नहीं होगी। माननीय ब्रजबिहारी मिश्र जी ने न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सोशलिस्ट पार्टी द्वारा सत्याग्रह की बात कही। हम ऐसे न्यायालय को न्यायालय ही नहीं मानते जो अनटचेबिलिटी आफेन्सेज ऐक्ट १९५५ के रहते हुए भी किसी मुकद्दमें को जारी रखती है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं एक वाक्य इसके लिये कहूं तो यह कह सकता हूं कि "दिस बिल इज ए फ्राड आफ दि कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया" "this bill is a fraud on the Constitution of of India" यह कानून भारतीय संविधान के साथ धोखा है। इससे जैसा कि मैंने कहा कांग्रेस पार्टी इस बात का प्रयत्न कर रही है कि सवर्ण और अछूत दोनों को प्रसन्न किया जाय। सबसे विवाद ग्रस्त धारा इस बिल की खण्ड २ के उपखंड ३ का उपखण्ड 'क' है जिसमें यह लिखा हुआ है कि "अधिकार होगा कि वहां कोई भी हिन्दू मन्दिर में प्रवेश करें वहा उपासना करें और उपासना में उसी प्रकार और उसी सीमा तक सम्मिलित हो जिस प्रकार और जिस सीमा तक साधारणतया हिन्दू लोग अथवा उनका कोई उपवर्ग उपासना करता या उसमें सम्मिलित होता हो" केवल इस बात को लाने के लिये कांग्रेस पार्टी ने डेढ़ साल का समय लगा दिया। बनारस में अन्नपूर्णा मन्दिर और विश्वनाथ का मन्दिर को लेकर यह सीमा बान्धने का इस विधेयक में समावेश किया गया है। इसके पीछे सनातन धर्म की वह भावना है कि जिसके अधीन जब मूर्ति स्थापित की जाती तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद अगर कोई अछूत या कोई व्यक्ति उसको छू दे तो वह प्राण का अपहरण हो जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी भावना का आदर करते हुये सरकार द्वारा इस प्रतिक्रियावादी विधेयक को हमारे सामने रखा गया है। माननीय मुख्य मंत्री ने और माननीय सिंचाई मंत्री ने संभवतः इस बात का आश्वासन उन लोगों को दिया होगा कि हम ऐसा प्रयत्न करेंगे हम सवर्णों को प्रसन्न कर सकें और हरिजन समुदाय के साथ खिलवाड़ भी किया जा सके। इस प्रतिक्रियावादी विधेयक को रखने के लिये इतना समय लगा दिया जाय गया। अगर कांग्रेस

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

पार्टी सजग और अपनी घोषणाओं के प्रति वफादार होती तो उस अनटचेबिलिटी आफेन्सेज ऐक्ट के होते हुये कोई कारण नहीं था कि हरिजनों को मन्दिर प्रवेश से रोकने वालों को रोका न जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, २७ मई, १९५६ को मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हरिजनों का जत्था लेकर विश्वनाथ जी के मंदिर में गया तो मैंने देखा कि वहां बहुत से आदमी खड़े थे अधिकारी भी थे और माननीय कमलापति जी की पुलिस या माननीय मुख्य मंत्री जी, को टैक्निकल टर्म में कहूं तो, पुलिस उन लोगों को नहीं रोक रही थी जो मन्दिर प्रवेश को रोक रहे थे । इस तरह से भारतीय संविधान और अनटचेबिलिटी आफेन्सेज ऐक्ट का वहां मजाक उड़ाया जा रहा था कि जो रोकें उन्हें रास्ते से नहीं हटाया गया, बल्कि पुलिस तमाशा देख रही थी । मेरी तो निश्चित राय यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और बनारस के अधिकारी ये सब लोक सभा की मानहानि के दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने लोक सभा के कानून का निरादर किया और बिलकुल तमाशा देखा । सोशलिस्ट पार्टी का फर्ज है कि वह किसी तरह की असमानता को बरदाश्त न करे । कांग्रेस पार्टी समझती है कि दौड़ में पीछे रह गई, इसलिये वह सारा श्रेय लने के लिये अब प्रतिक्रियावादी विधेयक इतमालेट इस सदन में लायी है, जिसका एक मात्र मकसद यह है कि सवर्ण और अछूतों का दोनों का वोट कांग्रेस के बाक्स में पड़े ।

धर्म-कर्म के बारे में मैंने जनता के सामने बनारस में एक भाषण दिया और कहा कि जिस भगवान की रक्षा के लिये मनुष्यों की जरूरत पड़ती है, जिनकी पवित्रता मनुष्य से सुरक्षित रह सकती है उस भगवान की कितनी दयनीय दशा हो जाती है । मैं समझता हूं कि इससे बड़े नास्तिक दुनिया में नहीं हो सकते जो भगवान की सुरक्षा का ठेका लेते हैं । भगवान तो स्वयं सबल और अन्तर्यामी हैं । अगर जयपालसिंह जी या और लोग इस बात का प्रयत्न करते हैं कि भगवान के उनकी इच्छा के विरुद्ध दर्शन करें तो भगवान उनके पैर तोड़ सकते हैं या आंख फोड़ सकते हैं । लेकिन ऐसा होता नहीं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को तो कहा था जिस समय बिक्री-कर विधेयक उपस्थित हुआ था, कि उनको वोटों की परवाह नहीं है । इलेक्शन नजदीक है और उसके बावजूद भी हम बिक्री-कर बिल पेश करते हैं । अगर यही घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी या कांग्रेस पार्टी की रही होती तो जिस समय सन् १९५५ का अनटचेबिलिटी ऐक्ट पास हो गया था उसके बाद कोई भी मन्दिर प्रवेश में बाधा डालता तो सरकार उसे ६ महीने के लिये जेल भेज सकती थी और करपात्री जी के साथ २००-४०० आदमियों को यह सरकार जेल भेज सकती तो सारा झगड़ा ही समाप्त था, लेकिन ऐसा न करके यह सारा नाटक इसलिये किया गया कि माननीय मुख्य मंत्री, जिनका सनातन धर्मी होने का दावा है, वह जंगला लगा कर, जिसमें कि प्राण-अपहरण न हो जाय मूर्ति का, हरिजनों को दर्शन और स्पर्श कराना उचित समझे । अगर कांग्रेस पार्टी सचमुच हरिजनों के प्रति अपनी घोषणाओं के प्रति वफादार है तो क्या उसमें यह दम है कि वह इस बात की व्यवस्था करे कि पुजारियों में एक अंश, एक-तिहाई, अछूत भी रहेंगे ? यह सीमा वाली बात इस विधेयक को भारतीय संविधान के साथ धोखा बना देती है । यदि यह सरकार माननीय राजनारायण जी के संशोधन को कि मन्दिर का जो स्वरूप २५ अप्रैल, १९४७ को था उसे विकृत न किया जाय मान लें तो मेरी आशंका निर्मूल हो जायेगी । मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कांग्रेस पार्टी अपनी घोषणाओं के प्रति वफादार निलकती है ।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं । इसके संबंध में बहुत सी बातें कही गयी हैं । सबसे बड़ी आपत्ति इस बात की उठाई गयी है कि जब १९४७ का प्रदेशीय कानून मौजूद है तथा यूनियन पार्लियामेंट का

१९५५ का कानून मौजूद है तो क्या वजह है कि सन् ५६ में इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी। काफी वाद-विवाद इस पर हुआ। जैसा कि कुछ साथियों ने संकेत किया इसका शीर्षक है "मन्दिर प्रवेश अधिकार घोषणा विधेयक" इसके साफ माने यही हुए कि कोई नया विधेयक या कोई नये अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं बल्कि जो उनको पहले से प्राप्त थे उनकी पुनः घोषणा कर दी गयी है। अब प्रश्न यह होता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि विश्वनाथ जी के मंदिर में घुसने के लिये जब सत्याग्रह हुआ तो उस बीच में कुछ लोगों ने एक केस दायर कर दिया एक मुंसिफ की अदालत में। मुंसिफ, साहब ने इंजंकशन ईश्यू किया और उसके अनुसार सेंटर के कानून और स्टेट का कानून एक माने बेकार से हो गये। सरकार ने इंतजार किया इस बात का कि मुंसिफ साहब की अदालत से कोई फैसला हो चाहे माफिक हो या खिलाफ हो। लेकिन डेढ़ साल से ज्यादा हो गये, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। एक तरफ तो यह स्थिति थी। दूसरी तरफ यह कहा गया कि क्या वजह थी कि २ साल हो जाने पर भी गवर्नमेंट ने कोई कार्यवाही नहीं की। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सरकार नहीं गयी। मान्यवर, उसका जवाब यह है कि कानूनी दृष्टिकोण से जबतक कि कोई अदालत फैसला न दे तब तक मैं नहीं जानता कि गवर्नमेंट किस की अपील करे। कहा जा सकता है कि जो इंजंकशन इश्यू हुआ उसके खिलाफ सुप्रीम-कोर्ट अथवा हाईकोर्ट को मूव किया जा सकता था और इस प्रकार से इंजंकशन को खत्म किया जा सकता था। मेरे ख्याल से इस विषय पर सरकार ने कानूनी सलाहकारों से भी मशविरा लिया। हो सकता है कि इसके ऊपर दो रायें हों, लेकिन कुछ लोगों की यह राय है कि इंजंक्शन के खिलाफ अगर सरकार चाहती भी तो काम निकलने वाला नहीं था। मान लीजिये कि इस कोर्ट ने यह कार्य गलत किया हो तो कोर्ट को यह अधिकार है और वह गलती कर सकता है। इसके साथ-साथ दूसरी बात यह भी है कि जुडीशियरी के सम्मान का सवाल है। उम्मीद यह थी कि फैसला दो तीन महीने में हो जायगा। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वक्त टलता चला गया। देर हुई और उसका सभी को दुःख है कि इस फैसले में इतनी देर हो गयी। मैं नहीं जानता कि इस देर में कोई विशेष कारण था। साथ ही साथ हमको अपने दिमाग में एक बात यह भी रखनी चाहिये कि हम कानून बनाते हैं और जैसा कि माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने कहा था कि केवल कानून बन जाने से तमाम समस्या का समाधान नहीं हो जाता। हमारे बीच में आज भी बहुत से भाई ऐसे हैं जो कि आज भी पुरानी संस्कृति और पुरानी रूढ़ियों के गुलाम हैं। उस तरह के लोग हमारे सरकारी कर्मचारियों में भी हो सकते हैं। इस तरह की दिक्कतें हमारे सामने हो सकती हैं लेकिन उसके लिये सरकार के लिये क्या चारा है। जब इतना समय बीत गया तो कुछ राजनैतिक पार्टियों ने भी इस बात की शंकायें प्रकट की कि सरकारी कानून बेकार हैं और सरकार की नीयत है कि मंदिर प्रवेश न हो तब सरकार ने यह स्पष्टीकरण के लिये यह विधेयक पेश किया।

इसके पेश करने के दो कारण हैं। एक तो यह कि जो भी अधिकार हैं उनके अन्दर कोई भी तब्दीली नहीं है, आज भी वह अधिकार है, और उनकी पुनः घोषणा की जाती है। यही नहीं इस बात पर भी जोर दे दिया गया कि मन्दिर प्रवेश या अनटचेबिलिटी के संबंध में जो कानून बनाये गये हैं उनको कार्यान्वित करने से रोकने के लिये उन कानूनों के खिलाफ कोई भी केस अदालत के सामने विचाराधीन नहीं हो सकता। और अगर कोई पेंडिंग केस हो या इंजंक्शन हो तो उनको भी खत्म हो जाना चाहिये। यह इसका एक छोटा सा मंशा था। कहा गया कि इसके अन्दर बहुत सी शंकायें हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी को इन शंकाओं को दूर करना चाहिये। एक बात यह कही गयी कि इससे अधिकार बढ़ा या घटा। मैं समझता हूं कि इसमें कोई अधिकार घटने या बढ़ने का सवाल नहीं पैदा होता है। यह तो मानी हुई बात है कि भारतीय संविधान में जो अधिकार है वह दिया हुआ है, उसके घटने-बढ़ने का सवाल नहीं है। लेकिन सिर्फ विरोधी पार्टियों की एक राजनीतिक चाल है, कि कोई न कोई आशंका पैदा करते रहे हैं।

[श्री नवलकिशोर]

जहां तक आशंका पैदा करने की बात है, वहम की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं थी फिर इस भवन के पास उसकी क्या दवा हो सकती है। कहना यह है कि अधिकार न घटने का सवाल है न बढ़ने का।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। वह यह है कि माननीय सदस्य ने अभी फरमाया कि लुकमान के पास भी शक की दवा नहीं थी, तो यह विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है वह कुछ शक को निर्मूल करने के लिये ही किया गया है। तो जब कोई दवा ही नहीं है तो यह फिर क्यों यहाँ आया है?

श्री नवलकिशोर--ख्वामख्वाह के लिये माननीय सदस्य ने प्वाइंट आफ आर्डर उठाया है। दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि यह शंका पैदा की गयी है कि जब सन् १९४७ के कानून को चैलेन्ज किया गया, जब सन् १९५५ के कानून को चैलेंज किया गया तो क्या दावा है कि इस कानून को अदालत में चैलेंज नहीं किया जायगा मैं भी इस बात को मानता हूं कि इस बात के लिये कोई वादा नहीं कर सकता इसको चैलेन्ज नहीं किया जा सकेगा। इस देश के किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि वह गवर्नमेंट के बनाये हुए किसी भी कानून के खिलाफ जुडिशियरी में जाकर इस बात को कह सकता है कि इसका बनाना इसके अधिकार में था, या नहीं कि जब जमींदारी प्रथा टूटी तो उस वक्त भी यह सवाल सामने आया था। जुडिशियरी सुप्रीम बाडी है, एक्जीक्यूटिव के खिलाफ जुडिशियरी में जाकर कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ चैलेन्ज कर सकता है। इससे भवन या सरकार की मान मर्यादा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अदालत में किसी भी कानून को चैलेन्ज किया जा सकता है लेकिन यह बिल भी चैलेन्ज हो सकता है। तब हमको आपको और सबको सोचना पड़ेगा कि अगर इस देश के अन्दर जो प्रोग्रेसिव डैमोक्रेटिक लेजिस्लेशन हों और उनके खिलाफ अदालत इस तरह के ऐडीक्यूट अख्तियार करें कि काम में रुकावट पड़े तो हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट को इस बात को सोचना पड़ेगा कि कांस्टीट्यूशन में क्या परिवर्तन हो, जिससे प्रोग्रेसिव कानून के प्रति अदालतों का भी सही भाव हो। मैं इस विधेयक को दूसरी दृष्टि से भी देखता हूं और ऐसा समझता हूं कि चूंकि एक साल से ज्यादा हो गया, मुंसिफ साहब ने कोई फैसला नहीं दिया है। मैं अदालत की मान मर्यादा रखता हूं उसको रखते हुये यह कहना चाहता हूं कि अदालत को ऐसे महत्वपूर्ण मामले में फैसला देने में इतनी देर नहीं करनी चाहिये यह विधेयक भी इस तरफ पूरा पूरा संकेत है। माननीय राजनारायण जी ने बहुत सी निर्मूल शंकायें तथा भ्रांतियां फैलाई थीं जिनका दूर करना आवश्यक था। मैं उनकी नीयत पर कोई हमला नहीं कर रहा हूं।

लेकिन माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने एक लम्बी हिस्टरी इस हरिजन आन्दोलन की कह दी थी। जिस समय हिन्दुस्तान का कांस्टीट्यूशन बना था उस समय सोशलिस्ट पार्टी ने उसका बायकाट किया था और जो एक दो मेम्बर उपस्थित भी थे उन्होंने उस कांस्टीट्यूशन पर साइन करने से इंकार कर दिया था। उस विधान में हरिजनों को यह अधिकार मिले हैं। ऐसी स्थिति में उनकी आशंका कहां तक जायज है, मैं नहीं जानता। यह भी कहा गया है इस विधेयक के बनने के बाद मन्दिरों की शक्ल में तब्दीली हो जायगी। मैंने इस विधेयक को पूरी तौर से पढ़ा है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें स्पष्ट है कि चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो, जो हिन्दू जाति के अन्तर्गत आता है उन सबको समान अधिकार होगा। रहा प्रश्न यह कि क्या वे मूर्ति का स्पर्श कर सकेंगे। मेरा कहना यह है कि अगर ब्राह्मण को मूर्ति स्पर्श करने का अधिकार होगा तो हरिजन को भी मूर्ति स्पर्श करने का अधिकार होगा और यदि किसी को स्पर्श करने का अधिकार नहीं होगा तो किसी को नहीं होगा। लिहाजा आप की जो ऐसी शंका है वह अपनी जगह पर गलत है और निर्मूल है।

एक बात मैं और कहूंगा वह यह कि हमारे एक भाई ने कहा कि इसमें कुछ कमी है कि इसमें मुसलमानों को भी वह अधिकार क्यों नहीं दिया गया। मुझे खुशी है कि

हमारे साथ. माननीय अतहर हुसैन ख्वाजा के अन्दर हिन्दुओं के मन्दिरों के प्रति श्रद्धा और विश्वास जागा और उनमें हिन्दुओं क मन्दिरों और देवताओं के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई, मैं उनकी भावना की इज्जत करता हूं यद्यपि यह बात इस विधेयक के स्कोप के बाहर है और इसके लिये हमको विधान में संशोधन करना होगा फिर भी उनका आवाहन करता हूं और इस बात के लिये तैयार हूं कि हमें ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर किसी मुसलमान के दिल में भी अगर मन्दिर में आने की भावना हो तो वह आ सके, लेकिन आने से पहले उसे उस भावना को यथार्थ में और उसी रूप में लेकर आना होगा, जिसको लेकर एक हिन्दू दर्शन के हेतु मन्दिर में आता है और पूजा करता है लेकिन अगर कोई तफरीह की चीज समझ कर वहां आने की बात सोचे तो ऐसा हर्गिज न होने दिया जायगा।

एक चीज मैं और कह देना चाहता हूं जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने कहा कि हम सामाजिक और आर्थिक समानता चाहते हैं, वह तो हम भी चाहते हैं, खाली सवाल एमफेसिस का है, हम भी मानते हैं कि वह आनी चाहिए, लेकिन हमारा विश्वास है कि पहले हमें अपने यहां आर्थिक समानता लानी होगी, आर्थिक समानता के बाद सामाजिक समानता तो अपने आप आ जायगी, मन्दिर प्रवेश तो हमारी सामाजिक समानता का एक छोटा का अंश है। जिसको लेकर राजनारायण जी राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिये हमारे भोले भाले गरीब भाइयों को उभार कर गमराह कर रहे हैं यह सर्वथा अनुचित है अन्त में मैं माननीय तिवारी जी की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि यह जो मन्दिर प्रवेश का सवाल है इसको राजनैतिक दलदल से ऊपर उठाना चाहिए और इसको मानवता के दृष्टि कोण से देखना चाहिए और यह जो सत्याग्रह आदि का तरीका है उसको मैं इसके लिए उचित नहीं समझता। मैं इस बात को मानता हूं कि हम कानून के द्वारा भी इसकी कोशिश करें अगर उससे ज्यादा इसके लिए जनमत पैदा करें, वैसे जनमत कराने का सवाल पैदा नहीं होता, जब संविधान ने यह अधिकार दिया है तो हमें चाहिए कि हम उसके लिए एक वातावरण पैदा कर दें, ताकि वह पाप और कलंक हमेशा के लिए समाज से ही मिट जाय।

*श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ और इस हैसियत से भी कि मैं एक मजहबी आदमी हूं और एक मुसलमान हूं और अपने मजहब का कट्टर पाबन्द हूं इस बिल पर कल से गौर कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह बिल उस अम्र की एक ताईद है;--आपको ख्याल होगा कि हमारे इस ऐवान के ज्यादातर मोअज्जिज मेम्बरान को मालूम होगा कि एक वक्त कुछ दिन पहले गुजरा है कि जब हिन्दुस्तान में एक ऐसी आवाज उठाई गई थी कि जो हरिजनों के हकूक के मुतालिक थी, अगर किसी ने उस आवाज को बुलन्द किया था तो वह कांग्रेस थी और वह आवाज थी उस कांग्रेस के एक सब से बड़े फकीर की जिसका नाम महात्मा गांधी था और जो हमारी आजादी की तहरीक का शहनशाह था। वह खाली जबान की आवाज नहीं थी, वह हृदय की आवाज थी, वह दिल की आवाज थी और उस फकीर ने इस आवाज को पहली बार बुलन्द किया था कि यह हरिजन जिनको अछूत कहा जाता है, जिनको मजहबी जिन्दगी में कोई जगह नहीं दी जाती, जिनको सयासी जिन्दगी में कोई जगह नहीं दी जाती और जिनको मुल्क के अन्दर वह सहूलियतें और वह आसानियां तरक्की के लिए नहीं मिलतीं जो कि एक ऊंचे कहलाने वाले इन्सान को मिल सकती हैं उन पर जुल्म है और उनके साथ मसावात का बर्ताव होना चाहिए।

मैं जिस मजहब को मानता हूं उसकी आंखों से मैंने इस चीज को देखा। जरा सा मुझे सन्देह हुआ कि क्या किसी गवर्नमेंट को इस बात का हक है कि वह किसी के मजहब के मामले में इस तरह का कानून बना सके। हम नहीं चाहते और कोई नहीं चाहेगा कि किसी के मजहबी मामलात में कोई दखलअन्दाजी हो लेकिन मेरा यह शुबहा खत्म हो जाता है जब मैं देखता हूं कि इस ऐवान में मुख्तलिफ स्कूल आफ थाट के लोग, मुख्तलिफ मकतबे खयाल के लोग मौजूद हैं और हर तरह से मजहब को जानते और समझने वाले लोग मौजूद हैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी]

और मुझे मुसर्रत है कि मैं देख रहा हूं कि हर खयाल के लोगों ने इसकी ताईद ही की है। हमें उस खतरे से जरूर होशियार रहना चाहिए कि उसमें कोई चीज ऐसी न हो कि जो हिन्दू मजहब के उसूलों के खिलाफ हो, हमारी ख्वाहिश है कि हिन्दू मजहब में जो बहुत से मोअज्जिज, पंडित और काबिल अशखास हैं वह इसकी खूबियों को समझ सोचकर हिन्दुस्तान में इकट्ठा होकर इसके मुताल्लिक कोई आखिरी फैसला कर दें और सारी कौम इसमें एक बार जुट जाती और इसका कोई हल निकल आता। आप जानते हैं कि इस तरह के हिन्दुस्तान में बहुत से कानून बने और हम उनको बनाने में बहुत सखी रहे और जहां तक अमल करने का ताल्लुक था लोगों ने उस स्प्रिट में अमल नहीं किया, जिस स्प्रिट में वह कानून बनाया गया था।

आज इस बिल को लाने की जरूरत, इस बात की जरूरत को जाहिर करती है कि हमने जो बहुत बड़ा इसलाही कदम उठाया था मुल्क ने उसको कबूल नहीं किया और उस तेजी से मुल्क के बाशिन्दे उस इसलाही कदम पर नहीं चले। इसलिये गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी कि इस बिल को लाये ताकि दुनिया के सामने यह चीज आ जाय, दुनिया के इबादत करने वालों को यह बात मालूम हो कि जहां तक हिन्दू मजहब का ताल्लुक है कम से कम इसमें खुदा जो पैदा करने वाला है—जो सब से ऊंचा है उसकी इबादत करने का सब लोग यकसां हक रखते हैं—बड़े से बड़े आदमी का भी मन्दिर में जाकर उसका सर झुके उसी अन्दाज से जैसे एक चमार का झुकता है जो उस मजहब पर पूरे तौर पर अकीदा रखता है। यह बिल यह हक, यह इज्जत बख्शता है उस गरीब को भी जो अध्यक्ष महोदय, इस दुनिया में बहुत ऊंचा नहीं उठ पाया है। इसलिये यह बिल मुबारकबाद का मुस्तहक है और इस बिल की ताईद जिस तरह से होनी चाहिये थी उससे भी जोरदार तरीके से होनी चाहिये।

जनाबवाला, मैं एक बात और अर्ज कर दूं, मुझे पूरे तरीके से बदकिस्मती से सुनने का मौका नहीं मिला—खाना खाने चला गया था—शायद कुछ ऐसा कहा गया—ख्वाजा अतहर साहब ने मजहबी अकीदे की मिसालें दीं। एक साहब ने यह कहा कि अगर मन्दिर के अन्दर जावेंगे उसकी इबादत व नकशो निगार को देखेंगे तो इस्लाम मजहब से हाथ धो बैठेंगे। ऐसा उनका कहना नावाकिफयत पर मबनी है। इस्लाम ऐसा कमजोर नहीं है। हम पूरे अहतराम के साथ मन्दिर में जायेंगे और हमारे मजहब को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। जहां तक अकीदे का ताल्लुक है हम अपने अकीदे के पाबन्द हैं। आप एक जगह सजदा कर सकते हैं वहां हम नहीं कर सकते, लेकिन जिस वक्त आप बैठ कर इबादत करते हैं, मैं समझता हूं कि जिस कदर आप उसकी इज्जत अधिक करते हैं उतना ही अधिक मजहबी हैसियत से इज्जत करना हमारा भी फर्ज है। यह दूसरी बात है कि आपके मजहब में जो तबका अपने को हिन्दू कहता है—एक जोम में किसी वजह से उसने अपना अलग समाज बना लिया है और वे दूसरे आदमी को जो कि आपके मजहब को मानने वाला है वह मन्दिर में नहीं जा सकता—ख्वाजा अतहर साहब को उस चीज की मैं ताईद करता हूं कि उसको हक होना चाहिये कि वही जाय तमाम मन्दिरों में, मस्जिदों में। ठीक है। लेकिन मैं एक मजहबी हैसियत से अर्ज करता हूं कि यह हक उसको मन्दिर में जाने का नहीं दिया जायगा जो शख्स कि मन्दिर में जाने के, इबादत करने के जो शरायत हैं उनको पूरा नहीं करता—जैसे कि साफ-सुथरा होना चाहिये, नहाया हुआ होना चाहिए। अगर एक शराबी है तो उसको मन्दिर में जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन यह कह कर कि यह हरिजन है, फलां जाति से ताल्लुक रखता है उसको मन्दिर में जाने से रोका जाय मैं समझता हूं कि यह हमारी कौमी हैसियत पर एक कलंक का टीका था।

जब यह बिल पास होगा तो—हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी यहां तशरीफ फरमां हैं—मैं उनसे यह दरख्वास्त करूंगा कि बहुत से ऐसे कानून पास हुए हैं जिन पर कि एतराज हुआ है, लोगों ने उन पर तवज्जह नहीं की, लेकिन जिस वक्त यह बिल पास होकर जाय तो फौरन हमें तवज्जह करनी चाहिये—कानून से अलग हट कर भी

जो हमारे पास मशीनरी है उसको भी इस्तेमाल करके लोगों को यह समझाया जाय कि समाजी, मजहबी, सयासी हैसियत से सब बराबर समझे जायं। यह इन्सान का हक है जो खुदावन्द ताला ने उसको अता किया है। मन्दिर का दर्वाजा सब के लिये खोल दिया जाय, यह मुहब्बत और प्यार से सबको समझाया जाय। बड़े-बड़े ब्राह्मणों पर जिन्होंने उसूल बना रक्खा है और कुछ लोगों के लिये दरवाजा खोल रक्खा है उन पर जब्र से दर्वाजा खुलवाने की न कोशिश कीजिये। उनको प्यार से इस कानून की जो रूह है वह समझाइये और अगर आप समझाने में कामयाब हुए तो फ्यूचर में इस कानून की जरूरत न होगी बल्कि आप की कुव्वते अखलाख ही उन को दरवाजा खोलने के लिए मजबूर कर देगी। मैं इतना कह कर ही खत्म कर दूंगा। इस मौके पर अगर कोई शक और शुबहा हमको होता है तो जिस वक्त शक या शुबहा दिमाग में आये और जिस पार्टी के मुताल्लिक या जिसके भी मुताल्लिक आये फौरन उसके गुजरे हुए कारनामों को देखें। कांग्रेस का यह अकीदा रहा है, इस दुनिया के अन्दर कोई ऐसा नहीं है, खसूसन हरिजन के मामले में कि एक कमेटी, में एक लमहे के लिये यह बता सके, जिसमें ऐसा हुआ हो कि उनको किसी तरह इगनोर करने की कोशिश की गई हो। हरिजनों का मसला गांधी जी ने अपनी जिन्दगी में और उसके बाद कांग्रेस के जिम्मेदारों ने इस मसले की तरफ तवज्जह न दी हो। जब कांस्टीटयूशन बन रहा था मुसलमाननों के लिये रिजर्वेशन खत्म हो रहा था हम लोग समझते थे कि हम अपनी आवाज बुलन्द नहीं कर सकेंगे और जिनकी जिन्दगी नौन कम्युनल थी उनको भी शुबहा था, लेकिन हमने देखा कि वह बिल्कुल बेबुनियाद शक वौ शुबहे निकले और किसी तरह की किसी की तरक्की में और अपने दिल के मुताबिक काम करने में कोई अड़चन नहीं पैदा हुई। जमाना बदल गया, हालात बदल गये। लेकिन किसी के लिये रिजर्वेशन रखना इस कांस्टीटयूशन के होते हुए बड़ी जुर्रत की बात थी। लेकिन हरिजनों की कमजोरियों को देख कर हरिजनों के लिये रिजर्वेशन रखा ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा आसानी पहुंचे और उनको इस लायक बनाया जाय कि औरों के साथ आ सकें और यह चीज लफ्जों में नहीं रही बल्कि आज ऐवान गवाह है कि अगर इस पर एक पंडित बैठता है तो उस पर हरिजनों का एक ऊंचे से ऊंचा इन्सान भी बैठता है, चाहे मिनिस्टर की हैसियत से हो, डिप्टी मिनिस्टर की हैसियत से हो, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की हैसियत से हो या मेम्बर की हैसियत से हो। आज कोई फर्क नहीं रह गया या कोई कमी नहीं रह गई। तो इस शक और शुबहे को कम कर दें तो यह फिजा साफ होगी और उसमें पूरे तरीके से कामयाबी होगी।

*श्री शारदाबख्श सिंह (जिला हरदोई)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो सदन के सम्मुख है और जिस पर विचार हो रहा है, मैं समझता हूं पूर्ण विधेयक पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इस समस्या को और भी पेचीदा बनाने का प्रयत्न किया गया है। हम जानते हैं जिस भावना से आज यह सदन में बात कही जाती है कि हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश मिलना चाहिये वह तो स्पष्ट बात है। हिन्दू समाज में प्रत्येक आदमी को समान अधिकार प्राप्त है। परन्तु इस विधेयक से तो यह साफ जाहिर होता है कि समाज के दो अंगों को प्रसन्न करने के लिये एक बीच का रास्ता निकाला जाय। और उसका बड़ा भयानक दुष्परिणाम हो रहा है। उसी प्रकार आज की हरिजन समस्या भी बनती चली जा रही है। चाहिये तो यह था कि हरिजन बन्धुओं को ऊंचा उठा करके उनकी गिरी हुई स्थिति को समाप्त करके हिन्दू समाज एक है, इस प्रकार का हमें प्रयत्न करना था। परन्तु आज हम देखते हैं कि हरिजन भाइयों को आराधना करने का ईश्वर की भी और स्पर्श को पूर्ण अधिकार नहीं मिलता। ऐसा एक प्रतिबन्ध लगाया गया कि जैसे अन्य लोग जिस प्रकार से उपासना और जिस सीमा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदाबख्श सिंह]

से उपासना करेंगे उसी सीमा से हरिजनों को अधिकार प्राप्त होगा। सच बात तो यह है कि हमारी कुरीतियों के कारण जो विकृत रूप धर्म में आ गया उसके कारण हरिजनों को वे अधिकार प्राप्त नहीं, जो उन्हें होने चाहिये। और यह कहा जाता है मूर्ति स्पर्श करने का अधिकार देने योग्य है, उसको कोई इंकार नहीं कर सकता।

दूसरा प्रयत्न यह किया जा रहा है चूंकि आप मूर्ति स्पर्श करना चाहते हैं तो चलो हम सवर्ण की भी एक सीमा बनाये दे रहे हैं और जहां वह रहेंगे वहां आपको भी रहना चाहिये। यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो भावात्मक है। यदि आप यह मानते हैं वह इस समाज के अंग हैं, उनको पूर्ण अधिकार है, कोई उपासना में भेदभाव नहीं होता तो आज तक जिस प्रकार अन्य लोगों को हक प्राप्त रहा है, अन्य लोग जिस प्रकार पूजा और उपासना करते रहे हैं, उसी प्रकार का अधिकार उनको देना चाहिए और इस प्रकार की जो बात, शंका की उत्पन्न की जा रही है कि सरकार की ओर से एक ऐसा विधेयक बनाया जा रहा है कि मन्दिर में कुछ ऐसी सीमा निर्धारित कर दी जायगी जहां से सवर्ण हिन्दू और अछूत दोनों उपासना कर सकेंगे। यह बात कही जाती है कि हम तो समान अधिकार दे रहे हैं, सवर्ण भी वही रहेंगे, अछूत भी वही रहेंगे, लेकिन प्रश्न तो यह है कि ऐसा कोई अधिकार जो आज तक प्राप्त रहा है आपको उन अधिकारों का दुरुपयोग करके हरिजन भाइयों को उस अधिकार से आज तक वंचित रखा तो प्रश्न यह है कि आप यह अधिकार उन्हें देना चाहते हैं या यह कहना चाहते हैं कि हम भी वह अधिकार नहीं लेंगे। यह तो कोई समस्या का हल नहीं है। यदि सरकार की यह भावना है और इस विधेयक में जो गोलमोल शब्द रखे गए हैं उनसे यह अर्थ नहीं निकालना चाहती सरकार कि कोई सीमा होगी हरिजनों के लिए या किसी के लिए बल्कि हरिजनों को उसी प्रकार अधिकार होगा जैसा आज तक सवर्ण हिन्दुओं को अधिकार रहा है तो मैं समझता हूं कि उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन वैसा न करके यदि सरकार कोई बीच का रास्ता निकालना चाहती है और जो मूल प्रश्न है उसको हटाने का प्रयत्न किया गया है तो मैं समझता हूं कि उससे और भी दुष्परिणाम होंगे। एक प्रश्न तो यह है कि आज देश में आवश्यक है कि सारे समाज को एक प्रकार का रूप देकर के उनको एकात्मकता का साक्षात करा कर के उनके सारे भेदभाव को दूर करके उन्हें समान रूप से खड़ा किया जाय। उसमें हम यदि इस प्रकार का कोई कानून अड़ंगा या भ्रमजाल खड़ा करना चाहते हैं कि दोनों को किसी न किसी प्रकार प्रसन्न करते रहें और फिर बीच का रास्ता निकाला जाय तो मैं समझता हूं कि उससे समाज जो चाहता है उसकी पूर्ति नहीं होगी। सवाल आज भावना का है। यदि हरिजन भाइयों को यह अनुभव हो कि हमको मूर्ति के निकट जाने में एक प्रकार की बाधा डाली जाती है, उसे स्पर्श करने का अधिकार हमें नहीं दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि जिस भेदभाव की भावना की वजह से आज हरिजन भाई हमसे दूर हटते जा रहे हैं, उसको हम समाप्त नहीं कर सकेंगे। हमको एक प्रकार से खुले दिल से और शुद्ध भाव से यह निश्चय करना चाहिये कि हम कोई क्रान्तिकारी पग इस ओर उठा सकते हैं या नहीं। कुछ रूढ़िवादी लोग हम जानते हैं इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार के सामने वह विरोध है। लेकिन उन रूढ़िवादियों के सामने हमें झुकना नहीं है। यदि समाज को सबल बनाना है और यदि समाज को एक साथ सारे घटकों को लेकर खड़ा होना है तो उन रूढ़िवादियों को बताना होगा कि उन्हें समाज के साथ चलना होगा और उनके साथ इस प्रकार का कोई समझौता करने का प्रयत्न यदि हम करते हैं तो उसके दुष्परिणाम होंगे।

अभी जैसा कई भाइयों ने कहा, ख्वाजा साहब ने कहा कि इस बिल में यह होना चाहिए था कि मुसलमान भाइयों को यह अधिकार प्राप्त होगा। मैं तो वह स्वर्ण युग समझूंगा जब हिन्दू और मुसलमान एक साथ मन्दिर में जायं और श्रद्धा के साथ एक साथ बैठ कर उपासना करें। यही तो आज भारतीय जनसंघ का कहना है कि देश

में एक ऐसी संस्कृति उत्पन्न होनी चाहिए कि जिससे कि आज जो दो संस्कृतियां चल रही हैं, हम एक दूसरे से घृणा का भाव उत्पन्न करते हैं, वह समाप्त हो। हम एक दूसरे की बात समझने का प्रयत्न करें। एक बात जरूर कही गई है कि मन्दिर के अन्दर अगर हम जाते हैं तो हम इस भावना से जायं कि हम एक हैं और जो मूर्तियां हैं उनको वही समान आदर और वही समान सम्मान देना होगा। तो इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि यह आवश्यक है कि इसमें जो एक शंका उत्पन्न हो गई है वह शंका इस प्रकार की है जिसके लिए काफी लोगों के पास मसाला है, उसको सरकार का कर्तव्य है वह उसे दूर करे और इसको पूर्ण रूप से, खुले रूप से एक प्रकार से खुल्लमखुल्ला कहे कि हम चाहते हैं कि हरिजन भाइयों को किसी प्रकार की भी बाधा नहीं उत्पन्न होगी, कोई भी हिन्दू घटक जैसे आज उपासना कर सकता है या करता रहा है, जिस प्रकार से मन्दिर में जा सकता है उसी प्रकार से उसको भी अधिकार प्राप्त होगा और उसमें यह भी लिख दिया जाय कि किसी भी न्यायालय में इस प्रकार के वादों के उठाने का अधिकार नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात को ठीक प्रकार से उचित रूप में करे।

श्री जोरावर वर्मा--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जो विधेयक सदन के सामने पेश है मेरी समझ में बिलकुल निरर्थक है और किसी हद तक प्रतिक्रियावादी भी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय शुक्ल जी का जो संशोधन था कि इसे जनमत जानने के लिए घुमाया जाय। उनसे प्रार्थना की थी वापस ले लें, मेरा तो यह मत था और अब भी है कि माननीय मंत्री जी सचमुच में लोगों की भावना का आदर करते हैं तो दिसम्बर तक नहीं बल्कि एक महीने तक की तारीख तय कर ली जाय और जनमत-संग्रह कर लें तो वह देखेंगे कि ९९ फीसदी आदमी, जो बिल सदन के समने प्रस्तुत है उसके विरोधी मिलेंगे। दूसरी चीज यह है कि वास्तव में अभी आपने देखा था कि श्री रामेश्वर जी का एक हरिजन संरक्षण विधेयक आया था, तो उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि कानून बन जाने से ही हरिजनों के अधिकारों की रक्षा हो सकती है, लेकिन आज पता नहीं वही क्यों इस बिल को प्रस्तुत करके अपने स्टेटमेंट के विरुद्ध यह सबूत दे रहे हैं कि इस प्रकार का बिल लाने से ही हरिजनों का हित आइंदा हो सकता है। दूसरे उन्होंने यह स्वयं प्रस्ताव रखा था कि पब्लिक ओपीनियन के लिए प्रसारित किया जाय और प्रसारित किया गया, तो मेरा अपना मत है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की बड़ी कृपा होगी अगर वह एक महीने के लिये इस बिल को जनता की ओपीनियन के लिए भेज दें, तो वह देखेंगे कि केवल सनातनधर्मी या ब्राह्मण ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा दल उनको मिलेगा जो राजनैतिक अधिकारों के लिए सोचता है कि किसी न किसी प्रकार हमको यहां कुर्सियां बैठने को मिलती रहें और जहां तक दलित वर्ग की बात है, उनके अधिकार किसी भी प्रकार न दिये जायं।

एक तो माननीय मंत्री जी ने जो बिल रखा है इसी में बताया है, "किन्तु अनुच्छेद १७ को देखते हुए ऐसा कहना विधि के दृष्टि से ठीक नहीं है।" पहले-पहले बताया है कि डिसएबिलिटीज रिमूवल ऐक्ट बना, पार्लियामेंट का अनटचेबिलिटी आफेन्सेज ऐक्ट भी बना, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते चले आ रहे हैं कि रीति रिवाज और परम्परा से ऐसा होता चला आ रहा है और उनको यह अधिकार नहीं मिलना चाहिये। ऐसा वह स्वयं मानते हैं कि ऐसा कहना विधि की दृष्टि से ठीक नहीं है अनुच्छेद १७ के अनुसार, लेकिन फिर भी वह कहते हैं कि अब भी कोई शंकाएं रह गयी हों तो उनका अन्तिम रूप से निराकरण कर देना चाहिये, इसी इरादे से यह बिल लाया गया है। अभी हमारे नवलकिशोर जी ने कहा था कि जिन लोगों को शंकाएं रहती हैं तो शंकाओं की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं, तो अच्छा हो कि वह अपनी सरकार को

[श्री जोरावर वर्मा]

ही यह सलाह दें कि जो लोग शंकाएं करते हैं माननीय मंत्री जी उन लोगों की शंकाओं को पूरी नहीं कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से लोगों ने यह कहा कि जो रिमूवल आफ डिसएबिलिटीज़ ऐक्ट है उसमें शायद मंदिरों की बात कम की गयी है। मेरा निश्चित मत है कि यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, संसद का जो अधिनियम है अस्पृश्यता निवारण विधेयक वह इससे सैकड़ों गुना, लाखों गुना अच्छा है। अगर यह विधेयक अधिनियम बन गया तो प्रतिक्रियावादियों को एक सहारा मिल जायगा कि वह ज्यादा रोड़े अटकाये। इस विधेयक में हरिजनों को उपासना का अधिकार दिया जा रहा है। संसद का जो अधिनियम है उसकी धारा तीन को पढ़ कर के मैं समय बरबाद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वह, जो इसमें रखा गया है उससे बहुत ही स्पष्ट है। दूसरी चीज़ उसमें यह है कि ५ महीने, ५०० रु० जुर्माना और ६ महीने तक के कारावास की व्यवस्था की गयी है जब कि इस विधेयक में कारावास की या किसी भी प्रकार के दंड की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

इसमें एक बात और उपाध्यक्ष महोदय, कही गयी है कि अभी तक गांधी जी का दिया हुआ जो नाम था "हरिजन" उसको ही हमारी सरकार मानती आयी है। इसके बाद संविधान ने जो शेडयूल्ड कास्ट के शब्द का प्रयोग किया है उसको अपनाती आयी है, पर इस विधेयक में माननीय मंत्री जी या सरकार ने 'दलित वर्ग' इसमें रख दिया है। क्या मतलब इससे उनका है, स्पष्ट नहीं है। क्या उनका यह मतलब है कि हरिजनों के अलावा और भी जो लोग हैं उनको भी हरिजनों की आड़ में वह धार्मिक स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं? अगर वह ऐसा कहते तब तो ठीक था लेकिन हरिजनों की बातें कह कर इस तरह की बात कहना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि दलित वर्ग शब्दों का, प्रयोग करना कांस्टीटयूशन के विरुद्ध है भले ही उसकी परिभाषा क्यों न कर दी गई हो।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संसद का जो विधेयक है उसकी धारा ७ में जो बात कही गई है वह ठीक है। इंजंक्शन की आड़ लेकर यह बिल लाया गया है। इसकी धारा ७ को देखा जाय और यदि सरकार इस पर कार्य करती तो इंजक्शन नहीं हो सकता था और कोर्ट को अधिकार नहीं था कि इस प्रकार के वाद को स्वीकार करती। आपकी आज्ञा से मैं इस धारा को पढ़ना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि :—

"७—(१) जो कोई—

(क) किसी व्यक्ति को संबिधान के अनुच्छेद १७ के अधीन "अस्पृश्यता" के अन्त से उसको प्रोदभूत होने वाले किसी अधिकार का प्रयोग करने से रोकता है, या

(ख) किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अधिकार के प्रयोग में उत्पीड़ित करता है, क्षति पहुंचाता है, क्लेश पहुंचाता है या बाधा डालता है, या बाधा डलवाता है या बाधा डालने की चेष्टा करता है या किसी व्यक्ति को उसको किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग कर चुकने के कारण उत्पीड़ित करता है, क्षति पहुंचाता है, क्लेश पहुंचाता है या वहिष्कृत करता है, या

(ग) किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग या साधारण जनता को बोले गये या लिखित शब्दों से या चिन्हों से या दृश्य व्यपदेशनों से या अन्यथा रूप में किसी भी अस्पृश्यता का आचरण करने के लिये उद्दीप्त करता है या प्रोत्साहित करता है,

वह कारावास से, जो छः महीने तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो ५०० रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।"

अध्यक्ष महोदय, कोर्ट को चाहिये था या हमारी सरकार को चाहिये था कि वह इस धारा की आड़ में हरिजनों की रक्षा कर सकती थी। यह धारा इस विधेयक से कितनी अच्छी है।

दूसरी चीज यह है कि जो संसद का विधेयक है उसमें इस तरह के अपराधों को कागनीजेबिल आफेन्स यानी दस्तन्दाजी पुलिस बना दिया है जब कि यह विधेयक इस तरह की कोई भी चीज नहीं बतलाता है। जहां तक हरिजनों के मंदिर में प्रवेश करने की बात है तो हमारा संविधान आज्ञा देता है और जो संसद का विधेयक है, यह भी अधिकार प्राप्त कराता है। अब प्रश्न यह उठता है कि फिर इस विधेयक को क्यों लाया गया है। बहुत से लोगों ने अपने मन की बातें कहीं, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हरिजनों के अधिकारों के लिये लाया गया है और जो विरोधी पार्टी के भाई हैं उन्होंने भी कहा कि इसका उद्देश्य राजनीतिक है। मैं भी यही समझता हूं कि चुनाव पास आ रहे हैं और सरकार अभी तक हरिजनों के मामलों में शान्ति रही है। अब दूसरी पार्टी के लोग भी हरिजन इम्प्रूवमेंट में पड़ गये हैं तो सरकार को यह खतरा हो गया है कि हरिजनों की सहानुभूति यह लोग प्राप्त न कर लें क्योंकि हरिजनों को अधिकार तो देने ही पड़ेंगे इसलिये उन्होंने उचित समझा कि इस प्रकार का बिल लाकर के सदन का और विशेष-तया हरिजनों को अपने पक्ष में लायें।

उपाध्यक्ष महोदय, विश्वनाथ जी के मन्दिर की चर्चा करके यह बिल पेश हुआ है। (लाल बत्ती जलने पर, मैं आपकी आज्ञा से दो मिनट का समय और चाहूंगा।) माननीय सदस्यों को याद होगा कि जब चौधरी प्रयागी लाल जी बद्रीनाथ गये थे तो उस समय भी यही समस्या उठ खड़ी हुई थी। उन्होंने वक्तव्य दिया था और वियोगी हरि जिनके संबंध में यह कहा जाता है कि गांधी जी के बाद यदि किसी व्यक्ति ने हरिजनों की सेवा की है तो वह यही हैं। यह भी सत्य है जैसा कि तिवारी जी ने कहा है कि जब से गांधी जी मर गये हैं तब से हरिजनों के सुधार की समस्या भी खत्म हो गई है। माननीय त्रिपाठी जी ने कहा था कि कांग्रेस ने ही हरिजनों के हित की बात कही है। लेकिन वह यह भूल गये कि उस समय की कांग्रेस आज की कांग्रेस नहीं थी। उस समय जितने विरोधी पार्टी के सदस्य हैं, वह भी कांग्रेस में सम्मिलित थे। फिर गांधी जी को ही पूरा श्रेय नहीं दिया जा सकता है और मैं समझता हूं कि श्री दयानन्द सरस्वती जी ने ही हरिजनों की सब से पहले बात कही और महात्मा गांधी जी के दिमाग में हरिजनों की बात तब आयी जब डाक्टर अम्बेदकर ने पूना पैक्ट में यह साबित कर दिया कि हरिजनों के हित की बात अगर नहीं की जायगी तो वे भी मुसलमानों की तरह अपने अधिकारों की मांग करेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने हरिजनों के हित की बात सोची। लेकिन मैं कहता हूं और मेरी ऐसी भावना है कि जब से गांधी जी मर गये तब से हरिजनों की चर्चा करना लोग भूल गये हैं। जब चुनाव आता है तो भले ही कोई हरिजनों के हित की बात कहे लेकिन बाद का जो चार पांच वर्षों का काल होता है उसमें हरिजनों की चर्चा नहीं की जाती है। इसलिये अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इस विधेयक को वापस ले लें तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि इससे हरिजनों के बजाय प्रतिक्रियावादी शक्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा और जहां तक हरिजनों की बात है उनके अधिकार तो हमारे संविधान में सन्निहित हैं और संसद के ऐक्ट में भी सन्निहित हैं।

*श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही सुन्दर विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया। इस बिल के ऊपर कुछ कहने के पहले मैं यह उचित समझता हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमला सिंह]

में यह बतलाऊं कि इस बिल को यहां लाने की आवश्यकता क्या पड़ी और दूसरे यह कि इसके जरिये हम करना क्या चाहते हैं। ये दो प्रश्न ऐसे हैं जिन पर विचार करना बहुत ही आवश्यक है।

हमारे कई साथियों ने सेंट्रल गवर्नमेंट का अनटचेबिलिटी आफेन्सेज ऐक्ट, १९५५ को कई बार दोहराया और उसके कई सेक्शन्स को पेश भी किया है और यह बतलाया कि उस ऐक्ट की मौजूदगी में इस विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है यह मुख्य मंत्री जी ने भी और हमारे बहुत से साथियों ने भी बतलाया कि बनारस के विश्वनाथ जी के मन्दिर के मुताल्लिक एक मुकदमा चल रहा है और उसमें इंजंक्शन आर्डर भी हरिजनों के खिलाफ जारी किया गया है। उस इंजंक्शन आर्डर के रहते हुए कोई भी हरिजन उस मन्दिर के अन्दर प्रवेश नहीं कर सकता है। आज भारतीय संविधान के पास होने के बाद हर हिन्दू को, चाहे वह अछूत हो या कोई को, यह अधिकर है कि वह किसी भी हिन्दू मन्दिर के अन्दर जाकर किसी प्रकार की उपासना कर सकता है और दर्शन कर सकता है। अगर यह इंजंक्शन, आर्डर जारी रहता है तो उसके मुताबिक यदि कोई भी दलित वर्ग का आदमी मन्दिर के अन्दर प्रवेश करेगा तो वह एक जुर्म के अन्दर आ जायेगा। इसलिये यह जरूरी है कि हम किसी तरह से एक ऐसा विधेयक लायें जिसके जरिये वह इंजंक्शन आर्डर और मुकदमे बाजी खत्म हो जाय। लिटिगेशन में जो हजारों रुपये बर्बाद हो रहे हैं और जो उसमें हरिजन या और लोग फंसे हुये हैं उनको बचा सकें।

अब एक प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि इस सदन के अन्दर माननीय व्रजविहारी मिश्र जी ने और माननीय नवलकिशोर जी ने एक नयी बात बतलायी। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। सिर्फ उसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि माननीय अतहरहुसेन साहब ने इस सदन के सामने यह प्रस्ताव रखा कि मुसलमान इस राइट से क्यों वंचित किये जाते हैं, उनको भी मन्दिर में जाने का अधिकार होना चाहिये। तो माननीय मिश्र जी ने और माननीय नवलकिशोर जी ने अतहर हुसैन साहब को आवाहन भी किया कि अगर वे मुसलमानों को इसके अन्दर लाने का प्रस्ताव लायें तो माननीय मुख्य मंत्री जी को चाहिये कि उसको मान लें। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि माननीय नवलकिशोर जी को या माननीय मिश्र जी को और कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह की बातें वे कहें क्योंकि सदन के सामने एक प्रश्न है कानून बनाने का। हमें और आपको यह हक नहीं है कि ऐसा हम इस सदन द्वारा कानून बनायें जो हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कानून के खिलाफ हो। जहां तक हमारे संविधान का सम्बन्ध है अगर आप उसकी धारा १७ को पढ़ें तो उसमें साफ लिखा हुआ है :—

"Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with the law."

यानी अब अनटचेबिलिटी कोई चीज नहीं रही। और सदा के लिये उसका अन्त कर दिया गया। यदि कोई डिसएबिलिटी उसके द्वारा होती है तो दोषी को कानून के अनुसार दंड मिलेगा। यानी १९५५ के अनटचेबिलिटी आफेन्सेज ऐक्ट के मुताबिक कार्यवाही होगी।

अब इसके बाद मैं धारा ३५ को पढ़ देना चाहता हूं। धारा ३५ में यह दिया है कि :—

"Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament shall have and the legislature of a state shall not have power to make laws for prescribing punishment for those acts which are declared to be offences under this part."

यह धारा १७ और ३५ थर्ड पार्ट के अन्दर आती हैं, यानी दोनों एक ही पार्ट के अन्दर आती हैं। इस वक्त धारा ३५ के अनुसार कोई कानून पनिश्मेंट के मुताल्लिक लजिस्लेचर नहीं बना सकता जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। तो १९५५ का अनटचेबिलिटी आफेंसेज ऐक्ट, जो कि हमारे दोस्त यहां पेश करते हैं, उस तरह का कोई भी कानून यह हमारी विधान सभा या हमारा लेजिस्लेचर नहीं बना सकता और न उसमें किसी तरह की वह तरमीम ही ला सकता है। हमारे यहां कोई कानून ऐसा भी नहीं पास हो सकता। जो उन धाराओं को कांट्रेडिक्ट करे। यह हमारे अधिकार या सीमा के बाहर है। यह कोई भी ऐसा विधेयक नहीं है कि जिसके जरिये हम कोई पनिश्मेंट का कानून बना सकें या आफेंसेज को हम किसी तरह से ला सकें। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो यह विधेयक है शुरू से आखिर तक अगर आप इसको पढ़ें तो एक अजीब चीज इसके अन्दर हमें मिलती है और वह यह कि इसके अन्दर हमें कोई भी ऐसी धारा नहीं मिलेगी कि जिससे हम किसी को सजा दे सकें। तो जैसा धारा ३५ में दिया हुआ है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है १९५५ का, उसके मुताबिक अनटचेबिलिटी से संबंधित कोई भी जुर्म कोई आदमी अगर करता है तो उसको सजा मिलेगी। हमारी विधान सभा को या सरकार को कोई भी अधिकार नहीं है कि हम इस तरह का नया कानून बना सकें। इसलिये जो यह विधेयक यहां प्रस्तुत है उसमें किसी को सजा देने की बात का जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ एक चीज हमारे सामने आती है कि अगर विधान सभा को कोई भी अख्तियार नहीं है कि हम किसी तरह का कानून इस परिस्थिति के मुताल्लिक बना सकें या कोई ऐसा कानून बना सकें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून के खिलाफ जाता हो तो हमें क्या करना चाहिये ? यह हमारे लिये एक बहुत बड़ी सोचने की चीज है और इसके लिये मैं अपने मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम इस प्रदेश की जनता की रक्षा के लिये उठाया है और वह कदम यह है कि उन्होंने कोई नया कानून नहीं बनाया है और न कोई नया हक़ इस बिल के जरिये किसी को या हरिजनों को देने की कोशिश की है,लेकिन जो हक कांस्टीट्यूशन के अन्दर मौजूद है उनका डिक्लरेशन या इंटरप्रेटेशन इस कानून के जरिये किया जा रहा है। इसके लिये माननीय नवलकिशोर जी और माननीय ब्रजविहारी मिश्र जी ने जो जिक्र किया है और साथ ही हमारे माननीय अतहर साहब ने जो मुसलमानों को भी इसमें लाने की बात कही उस बारे में मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि माननीय नवलकिशोर जी और माननीय मिश्र जी उनका आवाहन करते हैं और मैं उनका विरोध करता हूं और वह इसलिये कि हम किसी को कोई नया हक नहीं देने जा रहे हैं। और न दे सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने १९५५ के ऐक्ट में जो हिन्दू की परिभाषा दी हुई है वह इतनी साफ है कि उसके अन्दर हम किसी दूसरे को ला नहीं सकते। यानी हम मुसलमान या ईसाई को उसमें नहीं ला सकते। वहां आलरेडी एक डेफिनीशन है। उसके अन्दर जो नहीं आता उसको हम राइट नहीं दे सकते। मुसलमान या ईसाई उस डेफिनीशन के अन्दर नहीं आ सकते और इस सदन को यह अधिकार नहीं है कि वह मुसलमानों को या ईसाइयों को हिन्दुओं के परिभाषा के अन्दर ला सकें। तो उन्होंने जो आवाहन किया है, मैं उसका विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि कोई मुसलमान इसमें नहीं आ सकता और हमारे राइट इस संबंध में महदूद हैं और यही वजह है कि इस बिल में मुसलमानों तथा ईसाइयों के हक की बात नहीं लायी गई।

अब एक चीज और है। माननीय जोरावर वर्मा जी ने सेक्शन ३ के अन्दर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है उसको बताया कि:—

"Whosoever on the ground of untouchability prevents any person from entering any place of public worship which is open to other persons professing the same religion or belonging to the same religious denomination or any section thereof, as such person, or"

[श्री कमला सिंह]

तो इस तरह की चीज है। जहां तक मंदिरों का सवाल है यह सेक्शन कवर कर जाता है। लेकिन अदालतों में गलतफहमी हो जाती है कि मंदिर कई किस्म के होते हैं। कुछ तो प्राइवेट होते हैं। हरिजन भी शिव जी का मंदिर अपने घर में बना कर पूजा कर सकता है लेकिन कुछ ऐसे मंदिर हैं कि जो आम पब्लिक के लिये हैं। जहां सब लोग पूजा के लिये जाते हैं। ऐसे मंदिर जहां पर सब को पूजा करने के लिये जाने का अधिकार है वहां इन्टरप्रिटेशन में कुछ शंका हो जाती है और यही वजह है कि यह बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। और मैं समझता हूं कि अगर यह बिल यह सदन पास कर देगा तो यह दिक्कतें दूर हो जायंगी जैसा कि हमारे हरिजन भाई रामसुमेर जी ने या वर्मा जी ने कहा है कि इससे हरिजनों का बहुत बड़ा अपकार होगा।

जैसा कि माननीय वर्मा जी और सुमेर जी ने कहा है कि इस बिल को वापस लेना चाहिये। इसका परिणाम क्या होगा? फिर मुकदमेबाजी और परेशानी जारी रहेगी हरिजन मंदिरों में दर्शन तथा उपासना करने के अधिकार से वंचित रहेंगे। क्या इससे हरिजनोद्धार होगा? मंदिर प्रवेश न कराने से एक बहुत बड़े हक का हनन होता है। मैं समझता हूं कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद विदेश के लोग यह कहेंगे कि हिन्दुओं का एक वर्ग या अंग है जिसको हिन्दू मंदिर में नहीं जाने देता है, यह शर्म की बात है। ऐसी परिस्थिति में हमारे प्रदेश के लिये आवश्यक था कि ऐसा बिल लाया जाय जिससे ऐसे अधिकार जो किसी वर्ग को या दलित वर्ग को कानून द्वारा दिये गये हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो सकें। इसलिये यह बिल लाया गया है। इसके सेक्शन ३ और ५ को देखने से साफ जाहिर होता है कि दलित वर्ग या हरिजनों के राइट्स को डिक्लेयर करने के लिये यह बिल लाया गया है। सेक्शन में यह दिया हुआ है कि:—

"Despite the abolition of Untouchability by Article 17 of the Constitution, doubts have sometimes continued to be expressed as to the right of certain sections of Hindus to offer and participate in the worship in a Hindu temple, it is therefore, hereby declared that:

Notwithstanding anything in any law, custom, usage or practice to the contrary, every Hindu, irrespective of the caste or sect to which he belongs, shall be entitled to enter any Hindu temple and offer and participate in worship therein in the same manner and to the same extent as Hindus in general or any section of Hindus."

कुछ भाइयों ने इसका इन्टरप्रिटेशन किया कि सीमा शब्द लेकर हरिजन और उच्चवर्ग दोनों को खुश करने का प्रयत्न किया गया है। मान लीजिये कि 'सीमा' शब्द न रखा जाय तो फिर हर आदमी कोशिश करेगा कि हम पुजारी हो जायं और पुजारी का काम करना शुरू कर देगा उससे यह होगा कि आपके ला की वक़त नहीं होगी और बहुत से पुजारी बनने लगेंगे। उसका नतीजा यह होगा कि झगड़ा होगा फसाद होगा। जहां तक दर्शन और स्पर्श का सवाल है सेक्शन ५ में आप देखेंगे कि यह दिया हुआ है:—

"No person being a Hindu who enters a Hindu temple or offers or participates in worship in any such temple shall by reason only of such entry worship or participation be deemed to have committed any actionable wrong or offence or be sued or prosecuted therefor".

इस धारा के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि हरिजनों का आराधना उपासना तथा दर्शन निमित्त मंदिर प्रवेश जुर्म नहीं है। और इसके लिये न तो उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है

और न सजा दी जा सकती है। यह भी केवल एक घोषणा या डिक्लेरेशन है। इस सेक्शन से साफ जाहिर है कि जो इन्टरप्रटेशन हमारे भाई करते हैं वह गलत है और आधार रहित है। जो सुविधायें इस बिल द्वारा प्रदान की गई हैं उसका इस सदन को अधिकार है और उसकी सीमा के अन्दर है। मैं इसके लिये माननीय मंत्री जी को फिर बधाई देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यह सदन इस बिल को पास करे ताकि जो बाधा या संघर्ष सामने आ रहे हैं वह जल्द से जल्द दूर हो जायं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुझे खेद है कि इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने माननीय मुख्य मंत्री जी और कांग्रेस के ऊपर बहुत आक्षेप किये और उनकी नीयत पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि यह जो विधेयक लाया गया है यह पहले का जो विधान है उसके विपरीत लाया गया है और प्रतिक्रियावादी है। यह जो मंदिर में आने के लिये हरिजनों को रोकते हैं उनको सहायता देने के लिये बनाया गया है कि वह अन्दर न आ सकें। मुझे खेद है कि उन्होंने यह विचार प्रकट किया।

(इस समय ३ बजकर ४४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

समाज के अन्दर जो धारणा होती है और जो रूढ़ी होती है वह गहरी होती है। उनको हटाना सरल काम नहीं है। जो मनुष्य की आदत हो जाती है वह स्वाभाविक हो जाती है उसको बदलना सहल नहीं होता है। अगर भारत के इतिहास पर दृष्टि डाली जाय तो पता चलता है कि जाति पाँति को खत्म करने के लिये भगवान बुद्ध ने जन्म लिया। उन्होंने इसका बहुत बड़ा प्रचार किया और उस समय जो जाति पांति की बात थी वह कुछ हद तक ढीली हुई और इसी तरह से भगवान महावीर ने भी इसका प्रयत्न किया और कुछ परिवर्तन भी किया लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जाति पांति कुछ ऊंचे उठी और वह अभी हट नहीं सकी। इसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर महापुरुष हुये जिन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठायी। सूरदास, गुरू नानक, कबीर ने इसके खिलाफ आवाज उठायी फिर भी जिस तरह का वातावरण हो गया है उसमें उसका बदलना आज सहल नहीं है।

मैं राजनारायण जी से पूछना चाहता हूं कि उनकी जो धारणायें हो गई हैं क्या वे आसानी से बदल पाती हैं। कानून बनता है उन धारणाओं के बदलने में सहायता देता है मगर वह उनको बदल नहीं सकता है। आज आप कहीं का इतिहास देख लीजिये, इतना अन्तर क्यों है, जैन धर्म जो इस रूढ़िवादिता या जातिपाति के विरुद्ध है आज उसकी क्या दशा है। भगवान महावीर ने इसके खिलाफ कहा और तमाम आचार्यों ने भी कहा कि वह कोई भेदभाव नहीं मानते हैं। उन्होंने अहिंसा को उठाया। सत्येषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदम्, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्, माध्यस्थ भावं विरीत वृतौ, सदा ममात्मा विद्धातु देव। इस भावना के होते हुये आज जैन समाज की क्या हालत है? जहां उनके ग्रंथों में कहीं भी जिक्र नहीं है कि छूत की भावना हों, कहीं परम्परा नहीं, आज उनमें भी जगह-जगह विरोध है। मैं भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद से घनिष्ठ संबंध रखता हूं। वह १०,१५ वर्ष से इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि हरिजनों का जैन मंदिरों में प्रवेश कराया जाय। उसके बावजूद भी आज हर जगह विरोध है। मुझे मालूम है कि देहली और ललितपुर में कितना विरोध हुआ। जिनका साहित्य बहुत पुराना हो उनमें भी आज ऐसी भावना है ऐसी धारणा को वे छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं। तो फिर कैसे हम यह आशा कर सकते हैं कि एक दिन में कानून बन गया और सब बदल जायगा? उनका इस प्रकार का विचार मैं समझता हूं मनुष्य की प्रकृति को न समझना है। महात्मा गांधी ने वह कार्य किया है जो अभी तक किसी महान् पुरुष ने नहीं किया। जितनी सामाजिक क्रांति महात्मा गांधी और कांग्रेस ने की है उतनी किसी ने नहीं की। महात्मा गांधी ने शुरू में ही हमारे दलित वर्ग को हरिजन शब्द संबोधित किया। हरिजन के माने हैं जो भगवान का भक्त हो, जिसे भगवान पसन्द करते हैं। इतना ऊंचा

[श्री रतनलाल जैन]

शब्द दिया और वे भंगी कालोनी में रहते थे। कांग्रेस के विधान में यह रक्खा गया कि हरिजनों को तमाम उच्च हिन्दू वर्ग के अधिकार होंगे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है ? आज हमारे इन भाइयों की भावनाओं को देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। यह किसी अच्छी भावना से नहीं बल्कि पार्टीबन्दी की भावना में है, वह समझते हैं कि इलेक्शन आ रहा है और वह दलितवर्ग को बहका लेंगे।

चाहे आज मुसिफ का इंजंक्शन गलत हो या सही हो, लेकिन उसके बाद सरकार कुछ नहीं कर सकती। सन १९५५ का कानून एक प्रकार से स्थगित हो गया है। श्री अवधेश-प्रताप जी ने कहा कि जब २५ अगस्त मुकर्रर हो गई थी तो उसका इन्तजार करते। परन्तु इन्तजार करते-करते तो इतना समय हो गया। क्या पता था कि २५ अगस्त को भी वह निर्णय होगा या नहीं। इसलिये सरकार के लिये बड़ा आवश्यक हो गया था कि जल्द उसमें कदम उठावें। इस विधेयक में कोई नया कानून नहीं बनाया गया है। पहले कानून में है कि जो कोई हिन्दू उपासना करता हो वह दलितवर्ग का मनुष्य भी कर सकेगा। इसमें जो पहले का कानून है उसकी व्याख्या (इन्टरप्रिटेशन) है और कोई खास बात नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो संविधान के विरुद्ध हो। इसमें बताया गया है कि उन कानूनों की मंशा क्या है ताकि जो गड़बड़ हो रही है उसको रोका जा सके। मैं अर्ज करता हूं कि जो इस प्रकार से माननीय सदस्य राजनारायण जी या माननीय रामनारायण जी कहते हैं, आक्षेप करते हैं उनके आक्षेप बिलकुल निराधार और गलत हैं। जो उपासना के लिये कहा गया है कि मैं समझता हूं कि वह बिलकुल ठीक है। आज यह आक्षेप किया गया कि शिव की मूर्ति के स्पर्शन व पूजन का अधिकार क्यों नहीं दिया गया। जब हम संविधान को देखते हैं तो उसमें यह दिया गया है कि उच्च जाति का कोई भी मनुष्य जिस कार्य को करता होगा वही दलित जति का आदमी भी कर सकता है। साधारणतः हिन्दू जाति में पुजारी एक विशेष व्यक्ति होता है जिसके लिये पहले से नियम बने हुये हैं ; एक विशेष व्यक्ति या एक परिवार ही पूजन कराता है। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य किसी को यह अधिकार नहीं कि वह इसके पूजन के अधिकार में रुकावट डाले। जब ऐसा है तो इसके विरुद्ध कैसे तरमीम हो सकती है। मान लीजिये कि पूजन के अधिकार में हस्तक्षेप किया जाता है तो वह अदालत दीवानी में दावा दायर कर सकता है कि मेरे पूजन का अधिकार छीना जा रहा है और उसके इस कहने में काफी वजन है। जब संविधान में भी इसके विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया है तब इस विधेयक में उसके विरुद्ध कैसे आ सकता था। जो विधेयक है उसमें संविधान के अनुसार ही रक्खा गया है इसलिये उनका यह कहना किसी तरह से भी उचित नहीं है।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक के उद्देश्यों का संबंध है, मैं समझता हूं कि किसी भी समझदार आदमी को उससे मतभेद नहीं होगा। यह बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि यह विधेयक अनावश्यक है और इसी के साथ-साथ अपरियाप्त भी है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि केंद्रीय ऐक्ट के रहते हुये यदि उसको अनावश्यक कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। मुझे ऐसा लगता है कि केन्द्रीय ऐक्ट के रहते हुये हरिजनों के अधिकारों की रक्षा हो सकती थी मैं आर्टिकिल ३२ की तरफ भी सदन का ध्यान दिलाऊंगा उसमें जो मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद है उसमें स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में अपील में भी जाया जा सकता है। कई माननीय सदस्यों ने इसके विरुद्ध दलीलें दीं लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि अप्रैल, १९५४ से अब तक इंजंक्शन आर्डर के विरुद्ध सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का इरादा नहीं किया। मैं नहीं जानता हूं कि ला डिपार्टमेंट सरकार का क्या करता रहा और उसकी सलाह क्या मिलती रही। मैं उसका जानकार न होते हुये भी ऐसा कह सकता हूं कि उसके अनुसार सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा सकती थी और जो दो वर्ष तक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह झगड़ा चलता रहा और हमारे हरिजन भाई जो अपने उस अधिकार से बंचित रहे उससे वे बंचित नहीं रहते ऐसी मेरी धारणा है। इस विधेयक को अपर्याप्त कहना, मैं समझता हूं कि यह भी कोई नामुनासिब बात नहीं है। इसलिये कि इस विधेयक में कहीं पर दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह बात कही जा सकती है कि दंड देने की व्यवस्था जो हमारा केंद्रीय ऐक्ट है उसी के अनुसार हो जायगा, फिर अधूरा है यह कहा जा सकता है।

मैं एक बात की ओर विशेष तौर पर ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं भी उस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। इस पर बड़ी चर्चा हुई कि यह प्रश्न राजनीतिक बनाया जा रहा है और राजनीतिक दल कुछ लाभ उठाना चाहते हैं। चूंकि सरकारी तौर पर यह मसला हल किया जा रहा है इसलिये राजनीतिक दलों को उससे लाभ उठाने या हानि उठाने का हक तो है। ऐसा मैं समझता हूं कि अगर सरकार किसी एक वर्ग को अधिकार दिलाना चाहती है और केंद्रीय सरकार द्वारा उनको अधिकार देने की बात तय हुई और उत्तर प्रदेश में वह वर्ग उससे लाभ नहीं उठा रहा है तो राजनीतिक दलों को मेरी समझ में सरकार को जगाने का क्या मार्ग रह जाता है? प्रदर्शन करना उनको जगाने के लिये सत्याग्रह भी करना मैं समझता हूं अनुचित बात नहीं है और राजनीतिक लाभ उठाने की शिकायत करना यह भी नामुनासिब है। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं खास करके काशी के लोगों को कि काशी के लोग यह शिकायत करें कि फलां साहब राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं? असल में बिलकुल मानोपोली काशी की हो गयी है, दूसरे लोग तो खास तमाशा देखते हैं। यह आज बहुत जोर से हल्ला हुआ कि सत्याग्रह के बाद भी कुछ लोग थे जो उससे लाभ उठाना चाहते थे और उनको इससे लाभ नहीं उठाना चाहिये। सरकार को सही सलाह देते और उसको यह कहते कि उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिये और इस इंजंक्शन आर्डर के खिलाफ अपील करके उसे मंसूख करना चाहिये लेकिन उन्होंने यह नहीं किया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कुछ ऐसा काम किया कि दूसरों को यह शिकायत हो सकती थी उस काम से कि ये राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। जब उन्होंने देखा कि वे उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्होंने भी सोचा होगा, भाई यह तो पैंतरेबाजी हो रही है, उस पैंतरेबाजी का जवाब उन्होंने दिया होगा। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि खास कर त्रिपाठी जी से कि कम से कम वे अपनी ओर तो देखें कि उधर के कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ उठाने की चेष्टा की या नहीं। अगर उन्होंने राजनीतिक लाभ उठाने की चेष्टा की तो दूसरे को उठाने पर शिकायत नहीं होनी चाहिये। मैं यह भी कहूं कि बिना राजनीतिक लाभ उठाये इस काम को पूरा किया जाय, मेरी इच्छा है। मैं तो चाहता हूं कि कोई राजनीतिक दल अकेला इस काम को न करे बल्कि कांग्रेस कमेटी जो देश में सबसे बड़ी पार्टी है और यह बड़ा भारी इश्यू है तो कांग्रेस पार्टी तथा और सभी दल अगर गोआ के मामले में एक हो सकते हैं तो इस मामले में क्यों न एक हो जायं, और क्यों न एक होकर इस बात का आन्दोलन करें कि छुआछूत जैसे पाप से हमारा छुटकारा हो। अध्यक्ष महोदय इसमें अगुआ कौन होगा? क्या इसमें कांग्रेस को अगुआ नहीं होना चाहिये? क्यों न वह कांग्रेस पार्टी अगुआ हो जिस कांग्रेस पार्टी के सदस्य माननीय मुख्य मंत्री जी होंगे जिसके सदस्य माननीय कमलापति जी भी होंगे, वह जो देश के अगुवा हैं उनको इसमें भी अगुवा होना चाहिये। सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी जो भी इसमें सहयोग करना चाहती थीं उनको क्यों नहीं निमंत्रित किया गया? उनको सबको निमंत्रित करके चाहिये था कि उससे छुटकारा पाने का यत्न करते लेकिन अगर अब कोई अपना कार्य करता है तो उससे उनको शिकायत न होनी चाहिये। मैं सचमुच ऐसा समझता हूं कि यह प्रश्न राजनैतिक नहीं है और मैं दूसरे माननीय सदस्यों से इत्तफाक करता हूं कि यह एक सामाजिक और आर्थिक प्रश्न है। कई भाइयों ने कहा कि डाक्टर सीताराम जी से कौन कहेगा कि हमारी बगल में न बैठिये और हमारे साथ पूजा करने न चलिये, चौधरी गिरधारीलाल जी से कौन कहेगा कि हमारी बगल में न बैठिये और हमारे साथ पूजा न करिये। खैर डाक्टर सीताराम के बारे में तो कहा जा सकता है कि शायद उनको कोई न पहचाने लेकिन चौधरी गिरधारी

[श्री गेंदासिंह]

लाल को तो लोग पहचान लेंगे। लेकिन उनसे कोई नहीं कह सकता कि वह विश्वनाथ जी के मंदिर में न जायं, फिर मैं यह भी कहता हूं कि भूल कर कोई और बात शायद ऐसी भी हो जाय कि माननीय मुख्य मंत्री को भी न पहचान कर लोग कह दें कि आप भी वहां न जाइये, आप भी उन्हीं में से हैं, कहीं ऐसा न हो।

मैं इस प्रश्न को राजनैतिक नहीं कहता, मैं इसको आर्थिक मानता हूं और मैं कहता हूं कि यह रुढ़ि बढ़ते-बढ़ते बहुत फैल गयी है और हालत यह है कि हमारे सर्वोच्च आदरणीय कहलाने वाले कान्यकुब्ज आदि ब्राह्मण हैं और जिनको हमारे जिलों के लोग बड़े आदर से देखते हैं और जिन में से हमारे माननीय कमलापति जी भी हैं जो दूसरे ब्राह्मण के यहां शादी तो कर लेते हैं लेकिन उनके यहां का भात नहीं खाते, ब्राह्मण ब्राह्मण के यहां क्षत्री क्षत्री के यहां, भूमिहार भूमिहार के यहां नहीं खाते, हरिजनों को तो जरा छोड़ दीजिये, हर ब्राह्मण अपने को दूसरे से कुलीन समझता है, लेकिन अगर आप देखें तो कुलीन होने का एक मात्र कारण यह है कि वह कितनी पृथ्वी का मालिक है, अगर उसके पास काफी जमीन है तो वह कुलीन है और उसके यहां शादी हो सकती है लेकिन वह उसके हाथ का भात नहीं खा सकता। यदि हम इसके मूल में दृष्टि ले जायं तो इसका कारण समझ में आ सकता है। इसका मूल कारण है वही आर्थिक दशा। .... मुझे २ मिनट और दे दिये जायं .....

श्री शिवनारायण--अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि माननीय लीडर आफ अपोजीशन को दस मिनट और दिये जायं।

श्री गेंदासिंह--अगर यह करना है तो उनके लिए उचित कानून बनाये जायं। क्या हरिजनों में चपरासियों की योग्यताओं नहीं है? मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारे अफसर हरिजन चपरासी नहीं चाहते उनको रखने में उनको संकोच लगता है क्योंकि वह उसके हाथ का गिलास भर पानी नहीं पी सकते। अगर ऐसा न होता तो कम से कम चपरासियों की जगह के योग्य तो वह अवश्य हैं। इसके लिए केवल मनोवृत्ति बदलने की बात है, यह एक साइकोलाजिकल और मनोवैज्ञानिक बीमारी है, इसी से हम उस आर्थिक बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। मेरी अपने हरिजन साथियों से भी शिकायत है कि वे भूमि के बटवारे के संबंध में हमारा विरोध करते हैं। आर्थिक सीलिंग लगाने की बात पर विरोध करते हैं, परसों सेल्स टैक्स पर बहस थी लेकिन एक शब्द भी किसी ने नहीं कहा, हम तो थोड़ी सी मरहम पट्टी के लिये तैयार हैं लेकिन ज्यादा बीमारी के लिये आपको तैयार होना होगा। आखिर में दो एक बात कहने के लिये आप मुझे अवश्य इजाजत दें। जब तक भारतवर्ष में यह छुआछूत की बीमारी रहेगी.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि विधेयक से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। विधेयक पर आ जाइये तो वह जल्दी खत्म हो जायगा क्योंकि आपका भाषण कुछ असंगत सा हो रहा है।

श्री गेंदासिंह--मैं कोशिश करूंगा कि जो बात संगत हो वही बात मैं कहूं। विधेयक में अगर इस बात की गुंजाइश कर दी जाय कि जहां तक दंड देने की बात है--मैं तो दंड देने का पक्षपाती ही नहीं हूं--लेकिन कम से कम दंड देने की जरूरत पड़े ऐसा वातावरण तो हमें पैदा करना चाहिये। मैं यह सोचता हूं कि गांधी जी ने सबसे पहले यह प्रश्न उठाया था और उन्हीं गांधी जी के चरण चिन्हों पर चलने की कोशिश हम करें और यह सरकार करे तो हमको यह दंड देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी। ऐसी मेरी धारणा है। मैं यह सुझाव कर सकता हूं कि जिस प्रकार गांधी जी पुरी में गये जब कस्तूरबा जी को सुना कि वे मन्दिर में गई थीं तो उन्होंने उनसे भी कुछ दिन तक असहयोग किया और कस्तूरबा जी को क्षमा याचना करनी पड़ी थी। तो क्या मैं काशी के लोगों से और सरकार के उन लोगों से जिनकी प्रतिष्ठा आज देश में बहुत बढ़ी हुई है उनसे यह आशा कर सकता हूं कि जिस मन्दिर में हरिजन न घुस पाते हों वे उस मन्दिर में नहीं जायंगे। जब तक

हरिजनों को अधिकार नहीं मिल जाता है किसी मन्दिर नंमन में जाने का उसमें हम नहीं जायंगे। इसमें कोई राजनीतिक लाभ नहीं है। जब तक उनको हमारे बराबर अधिकार नहीं दिया जायगा जब तक हमारा कोई मंत्री, कोई भी सरकारी अधिकारी मन्दिरों में नहीं जायगा। जिस तरह से हम इस विधेयक के जरिये एक घोषणा कर रहे हैं उसी तरह से गवर्नमेंट कंडक्ट रूल्स में ऐसा कर दें कि जो छुआछत में विश्वास करेगा उसको नौकरी नहीं दी जा सकती। अगर ऐसी व्यवस्था करें तो शायद हम इस बीमारी को जल्दी दूर कर सकेंगे। कुछ भाइयों ने कहा कि इस विधेयक से हम पीछे चले जायंगे, यह विधेयक तो बड़ा प्रतिक्रियावादी है मैं क्षमा चाहता हूं उन भाइयों से कि मुझे इसमें कोई प्रतिक्रियावाद दिखायी नहीं देता। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर कोई बहुत अच्छा काम नहीं हुआ तो इससे अगर उनको कुछ अधिकार मिल सकता हो तो मैं उनसे कहूंगा कि इसको भी पास करो। सरकार एक्जिक्यूटिव हेड है और वह हरिजनों को अधिकार दिलाना चाहती है तो जरूर इस पर अमल किया जाय।

ख्वाजा साहब ने सारे संसार के भ्रातृत्व की बात कही। मैं उसे सुन कर प्रसन्न हूं लेकिन मैं एक बात में उनका उत्तर दे देना चाहता हूं कि कानून बनता है कानून की मांग होने पर। उस दिन बड़ी खुशी होगी जब हमारे मुस्लिम भाई यह मांग करेंगे कि मन्दिरों में मुसलमानों का प्रवेश भी वर्जित नहीं होगा। मैं तो चाहता हूं कि संसार में भ्रातृत्व फैले। सबसे पहला मैं आदमी हूंगा जो विधान सभा की इस कानून को बनाने के लिये कहूंगा ताकि ऐसा कानून बन कर उनको भी अधिकार मिले।

श्री रामलखन (जिला वाराणसी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख माननीय मुख्य मंत्री ने जो यह विधेयक पेश किया है उसके लिये मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। इस बिल को ले आने का सबसे बड़ा कारण काशी में चलने वाला हरिजन मन्दिर प्रवेश का अन्दोलन है और यह आन्दोलन आज का नहीं छिड़ा हुआ है बल्कि फरवरी, १९५४ में सबसे पहले इसका प्रयास हुआ था। इसके बाद बिहार में सन्त विनोवा भावे ने वैद्यनाथ धाम में मन्दिर प्रवेश करने का प्रयास किया था। और उनके साथ कुछ अशिष्ट और भद्र व्यवहार हुआ जिससे काशी में अप्रैल में पुनः हरिजनों का जत्था विश्वनाथ मन्दिर के दर्शन के लिए भेजने का फैसला हुआ। उसी समय वाराणसी के कुछ सनातनी लोगों ने वाराणसी के मुन्सिफ की अदालत में एक मुकदमा दाखिल किया, जिसके अनुसार यह अपना दावा पेश किया कि विश्वनाथ मन्दिर सार्वजनिक मन्दिर नहीं है बल्कि प्राइवेट मन्दिर है। उस समय सन् १९५४ में हरिजन विश्वनाथ मन्दिर में रिमूवल आफ सोशल डिसएबिलिटी ऐक्ट के अनुसार जाना चाहते थे जिसके अनुसार हरिजनों को सभी सार्वजनिक मन्दिरों में जाने का अधिकार दिया गया था और उसी उद्देश्य को ले करके पहला प्रयास जो फरवरी में किया था। हरिजनों ने हमेशा अपना उद्देश्य और कर्तव्य रखा कि हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि सनातनी हिन्दुओं के दिल में किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। यदि वाराणसी के हरिजन और उत्तर प्रदेश के हरिजन कानून या पुलिस के डंडे के बल से विश्वनाथ मन्दिर या अन्नपूर्णा में प्रवेश करना चाहते तो सम्भवतः १७ फरवरी, १९५४ को ही उनका प्रवेश हो गया होता। लेकिन उन्होंने हमेशा यह अपना उद्देश्य रखा कि हम काशी के हिन्दुओं का यह जहां भी मन्दिर प्रवेश का झगड़ा हो, वहां के सनातनी लोगों का हृदय परिवर्तन करके ही मन्दिर में जायेंगे। वरना कानून के अनुसार हम प्रवेश उसी समय कर सकते थे। लेकिन हरिजनों ने दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर दिया कि हम उस मन्दिर में तब तक नहीं जायंगे जब तक सनातनी हमें जाने के लिये स्वेच्छापूर्वक न कहें कि मन्दिर ही का दर्वाजा नहीं बल्कि हमारे हृदय का दर्वाजा भी खुला हुआ है तुम उसमें जा सकते हो। लेकिन हमने उसे निभाया और इसलिये निभाया कि जिस चीज से हम आज से नहीं वंचित हैं, हजारों वर्षों से वंचित हैं तो आज भी यह समाज मन्दिर के दर्शन बिना जिन्दा रह सकता है, भारत की बहबूदी के लिए, भारतीय एकता के बनाये रखने के लिये

[श्री रामलखन]

१०, ५ वर्ष तक और हिन्दुस्तान के हरिजन विश्वनाथ में गये बिना जिन्दा रह सकते हैं। इसी उद्देश्य को ले करके हरिजनों ने कोई हठपूर्वक या जो सनातनी मन्दिर के द्वार पर लेट गये थे उनके सीने पर चढ़ कर मन्दिर में जाने का प्रयास नहीं किया और हमेशा यही प्रयास रहा कि हम उनके हृदय को परिवर्तित करें। लेकिन यह हमारा आन्दोलन कोर्ट की निषेध आज्ञा जारी होने के बाद कुछ समय के लिये स्थगित हो गया। लेकिन जब सेन्टर का अनटचएबिलिटी औफेंसेज ऐक्ट पास हुआ तो पुनः उस कानून की धाराओं के अनुसार ऐसा मालूम हुआ जितने कोर्ट में मुकदमें चल रहे हैं वे रद्द समझे जायंगे। हम लोगों ने पुनः मन्दिर में जाने का प्रयास शुरू किया। लेकिन फिर भी यही उद्देश्य रहा कि हम कानून के बल से नहीं जायंगे बल्कि उनके हृदय को परिवर्तित करके जायंगे और आज तक हरिजनों का यही प्रयास रहा है कि किसी भी आदमी को ठेस न पहुंचावे। बल्कि उनके हृदय को परिवर्तित करके मन्दिर में जायं।

जहां तक मन्दिर प्रवेश का सवाल है वह सरकारी अधिकारियों के डंडे से नहीं, बल्कि हरिजनों का उत्थान और उनकी बहबूदी हिन्दुस्तान में रहने वाले, जो हरिजनों को अब तक गुलाम बनाने में श्रेय समझा है, उनके हृदयों के परिवर्तन से है। जिन्होंने आज तक हरिजनों का शोषण किया है। जब तक उनका हृदय परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक यदि सरकार का करोड़ों, अरबों रुपया भी खर्च हो जाय, हरिजनों का उत्थान या विकास उतना नहीं हो सकता जितना सरकार या हरिजन करना चाहते हैं। इसलिए हमारा यही मकसद रहा है कि हम हृदय परिवर्तन करें। आगे हमारा आन्दोलन चल ही रहा था। इस बीच कुछ कानूनी कठिनाइयां आयीं और उन कठिनाइयों की वजह से जिनमें सबसे बड़ी कठिनाई कोर्ट की निषेध आज्ञा थी इस वर्ष होली के अवसर पर मार्च में वहां धारा १४४ लगानी पड़ी। उसमें कुछ अधिकारियों और सत्याग्रहियों के बीच १४४ धारा को लेकर के अनबन हुई जिसमें कुछ सत्याग्रही १४४ तोड़ने के अपराध में गिरफ्तार किए गए। यहीं से सत्याग्रह उग्र रूप धारण करता है। यों तो जैसा मैंने पहले कहा कि हमारा हृदय परिवर्तन का आदर्श रहा है और उसी आदर्श और उद्देश्य को लेकर हम चलते रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने यह मन्दिर प्रवेश का आन्दोलन किसी एक दल विशेष या किसी एक वर्ग विशेष का नहीं रखा। हमने काशी में या हिन्दुस्तान में जितने भी लोग हैं जिनकी इस सामाजिक असमर्थता को दूर करने में सहानुभूति है सभी लोगों को आमन्त्रित किया और उनका सहयोग चाहा। लेकिन सहयोग उसी हालत में चाहा कि वह किसी प्रकार से भी हरिजन मन्दिर प्रवेश आन्दोलन को राजनीति का क्रीड़ास्थल नहीं बनायेंगे। उसी के फलस्वरूप हमारे प्रदेश की कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इस आन्दोलन में आई। हम लोग अपने एलान के मुताबिक अस्वीकार भी नहीं कर सकते थे क्योंकि आमन्त्रित किया था और यह एलान किया था कि बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सभी लोगों का जिनका सामाजिक असमर्थता को दूर करने में विश्वास है सहयोग चाहते हैं और सहयोग चाहा। लेकिन धीरे-धीरे कुछ दिनों के बाद यह रवैया देखने में आया कि वहां का जो राजनैतिक दल बाबू राजनारायण सिंह के नेतृत्व में आया उसने हरिजन मन्दिर प्रवेश आन्दोलन को राजनीति का अखाड़ा बनाना शुरू किया। मन्दिर प्रवेश की जहां-जहां भी मीटिंग हुई हरिजनों की, वहां-वहां पर तो मन्दिर प्रवेश पर तो कम भाषण दिए गए और सरकार की आलोचना अधिक की गई। हमने कई अवसरों पर बाबू राजनारायण सिंह और उनके साथियों से कहा भी कि आप केवल मन्दिर प्रवेश पर बोलें। सरकार के विरुद्ध यासरकार ने शिक्षा में क्या काम किया है, इन सबका हमारे मन्दिर प्रवेश आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन उन्होंने अपना रवैया जारी रखा और उसका नतीजा यह हुआ कि धीरे-धीरे हम लोग जहां समाज की सद्भावना की सहानुभूति को ग्रहण करना चाहते थे, वहां उसको खो बैठे। लेकिन इसके पहले राजनीतिक दलों के आने के पहले सारी सहानुभूति काशी की जनता भी हमारे साथ थी। उसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण

मैं देता हूं कि स्वामी करपात्री जी सारे देश के इने गिने सनातनियों में से हैं, जिनकी हिन्दुस्तान भर के हिन्दुओं में प्रतिष्ठा है। १७ अगस्त, १९५४ को स्वामी करपात्री जी और उनके बीस, पच्चीस साथियों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन काशी की जनता के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है और ऐसा मालूम होता है कि जैसे काशी में कुछ हुआ ही नहीं। यह स्पष्ट उदाहरण हमारे साथ काशी की जनता की सद्भावना और सहनुभूति थी। लेकिन इसके बाद जब जनता ने देखा कि यह राजनीति का अखाड़ा बन रहा है तो उसकी उपेक्षा होने लगी और जहां हमें सद्भावना मिलनी चाहिए थी, सहानुभूति मिलनी चाहिए थी, वहां हमें गालियां मिलने लगीं। कुछ भाई ऐसा कहते थे कि यह विधेयक तो माननीय मुख्य मंत्री इस सदन के सामने इसलिए लाये हैं कि उन्होंने यह समझा कि कांग्रेस वाले इस मन्दिर प्रवेश आन्दोलन में पिछड़ गए। मैं पूछना चाहता हूं उन भाइयों से बड़े अदब के साथ और दावे के साथ कि इस हरिजन मन्दिर प्रवेश आन्दोलन को किसने संचालित किया। क्या मैं कांग्रेसी नहीं हूं? काशी में जितने भी कांग्रेस के नेता थे सबके वक्तव्य निकले। सब उसके समर्थक थे। यह आन्दोलन कांग्रेस वालों ने ही चलाया और वही चला रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि चूंकि मैं विश्वनाथ मन्दिर प्रवेश आन्दोलन से सम्बन्ध अधिक रखता हूं और मन्दिर प्रवेश विधेयक से भी अधिक सम्बन्ध मेरा है इसलिए मुझे कुछ अधिक समय दे दें। एक चीज जो कही जाती है उस मुकदमे के सम्बन्ध में कि सरकार ने इस मुकदमें में कोई दिलचस्पी नही ली, तो सरकार ने बराबर प्रयत्न किया कि मुकदमा जल्दी से जल्दी समाप्त हो। जैसा आप लोगों के सामने आया कि हरिजनों के इस अधिकार के सम्बन्ध में सन् १९४७ में ऐक्ट पास हुआ, लेकिन हरिजनों ने उसका उपयोग नहीं किया। इसलिए उपयोग नहीं किया कि वह जानते नहीं थे यह बात नहीं कि वह जानते न थे, लेकिन सोचते थे कि ऐक्ट तो पास हो गया, संभवतः हम कुछ मौका और दें तो सवर्णों की सहानुभूति हरिजनों के प्रति हो जाय जो कि रोड़े अटकाते हैं। लेकिन यह देखने के बाद, जो घटना घटी, हमने सोचा कि हम देखें कि अपने यहां क्या हालत है, तो जितनी भी कड़ाई हुई इस कानून के पालन करने में सरकार ने पूर्ण किया। जैसा वाराणसी में ही बड़ा गणेश मन्दिर में ४ आदमियों को सजा हुई जिन्होंने मन्दिर में प्रवेश करने से रोका, लेकिन बड़ा गणेश पर किसी अदालत से निषेध आज्ञा जारी नहीं थी। वहां अधिकारियों ने भी मदद की और अदालत में भी मुकदमा पेश किया।

श्री अध्यक्ष--आप एक ही मिनट में खत्म कीजिये।

श्री रामलखन--कुछ लोगों ने कहा था कि सेंट्रल ऐक्ट रहते हुए इस ऐक्ट की क्या जरूरत थी। मैं स्पष्ट कर दूं कि सेंट्रल ऐक्ट में "मन्दिर" शब्द कहीं नहीं आया है। उसमें आया है "पब्लिक प्लेस आफ वरशिप।" लेकिन इस विधेयक में "मन्दिर" शब्द आता है। विश्वनाथ मन्दिर का जो केस है वह यह नहीं है कि हरिजन मन्दिर में न जायं, बल्कि यह है कि विश्वनाथ जी का जो मन्दिर है वह पब्लिक प्लेस आफ वरशिप नहीं है, बल्कि प्राइवेट प्लेस आफ वरशिप है, वह सार्वजनिक प्लेस के अन्दर नहीं आता है। उसमें कुछ लोगों को केवल अधिकार है प्रवेश का, यह मुकदमा है। लेकिन जब यह बिल पास हो जाता है तो जो शंका है, जो सेंट्रल ऐक्ट में क्लियर नहीं हो सकी है कि पब्लिक प्लेस आफ वरशिप का क्या मतलब है, तो मैं समझता हूं कि वह इससे साफ हो जाता है। क्योंकि कोई आदमी भी जा कर कह सकता है कि यह तो प्राइवेट प्लेस है, पब्लिक प्लेस नहीं है, तो इसका डिसीशन तो अदालत ही दे सकती है कि पब्लिक है या नहीं। तो चाहे विश्वनाथ का मन्दिर हो या अन्नपूर्णा का मन्दिर हो किसी देवी देवता का मन्दिर हो उसमें इस विधेयक द्वारा जाने का समान अधिकार मिलता है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं जरा परसनल एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--इस समय नहीं, आप आखिर में कीजियेगा।

श्री राजनारायण--उन्होंने उपसमिति की मीटिंग के बारे में....

श्री अध्यक्ष--यह तो फैक्ट की बात है। इसमें कोई परसनल एक्सप्लेनेशन नहीं है। श्री पद्मनाथ सिंह

(श्री राजनारायण से) मैंने श्री पद्मनाथ सिंह को बुला लिया कृपया आप बैठें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह तो हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--आप सावधान हो जायं, अपने स्थान पर बैठें।

श्री राजनारायण--हम निवेदन करने का तो हक रखते हैं यदि कोई झूठ बोलता है।

श्री अध्यक्ष--आप अगर केवल झूठ बोल जायं तो कोई दूसरा परसनल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। आप कृपा करके बैठें। आर्डर प्लीज़।

*श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आज़मगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं उनको हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूं। यह विधेयक एक बहुत ही प्रैक्टिकल विधेयक है जो सामयिक कठिनाइयों को और असुविधाओं का अनुभव करके सदन के सन्मुख उपस्थित किया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि पार्लियामेंट में रिमूवल आफ अनटचएबिलिटी सन् १९५५ के कानून से हरिजनों को उपासना की सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में और मेरा अनुमान है कि अन्य दूसरे प्रदेशों में भी यही कठिनाइयां आई होंगी और इस प्रदेश के अनुभव से, विश्वनाथ जी के मन्दिर के अनुभव से तथा अन्य मन्दिरों के अनुभव से हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो इनको दूर करने के लिये इस समय सदन में विधेयक उपस्थित किया है, वह बड़ा सीधा और सरल सा है। इस विधेयक में हरिजनों के सम्बन्ध में जो भी लाभ लिया जा सकता था और लिया गया वाराणसी के विश्वनाथ जी के मन्दिर के सम्बन्ध में, तो इनको दूर करने के लिये यह आवश्यकता थी कि वर्तमान विधेयक उपस्थित किया जाता और यह इस बात का प्रमाण है, यह इस बात का द्योतक है कि हमारी वर्तमान सरकार किस प्रकार से प्रगतिशील है और समाज को एक रूप में आगे बढ़ाने के लिये हर एक उपाय और हर एक साधन को काम में लाना चाहती है।

हमारे एक भाई ने इस विधेयक पर बोलते हुये, श्री जोरावर जी वर्मा ने एक बात ऐसी कह दी जो उन्हें नहीं कहनी चाहिये थी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी ने अम्बेदकर के आन्दोलन से प्रभावित होकर हरिजन आन्दोलन शुरू किया। गांधी जी को उन्होंने कितना पढ़ा है और कितना समझा है, यह तो मैं नहीं जानता लेकिन यह जरूर है कि गांधी जी ने अम्बेदकर के आन्दोलन से कोई प्रेरणा हासिल नहीं की। गांधी जी तो हमारे समाज को एक शक्ल, एक रूप देना चाहते थे और हमारे हरिजन भाइयों को जो समाज की सबसे नीची श्रेणी में थे, उनको ऊपर उठा कर के उपयोगिता का स्थान देना चाहते थे। अम्बेडकर या कोई भी हस्ती उनको कोई प्रेरणा नहीं दे सकती थी।

अध्यक्ष महोदय, हमारा मंदिर प्रवेश बिल उपस्थित है, इसका एक लम्बा इतिहास है, इसकी एक लम्बी कहानी है कि कांग्रेस ने और कांग्रेस सरकार ने जो सेंट्रल का कानून बनाया या जो विधेयक उपस्थित है, वह हमारे आन्दोलन का या जो कांग्रेस की नीति है या रीति है हमारे समाज निर्माण में यह उस इतिहास की एक कड़ी और एक लड़ी है। यह हमारे लिये कोई नई बात नहीं है और जो विरोधी पक्ष की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ओर से कठिनाइयां बताई गई हैं, मुझे विश्वास है, यदि वह सच्ची और वास्तविक होंगी तो यह हमारे देश की सरकार और कांग्रेस सरकार उन कठिनाइयों को दूर करने में कभी भी हिचकेगी नहीं और यह सरकार पीछे हटने वाली नहीं है।

आज इसका स्वागत प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिये, प्रत्येक वर्ग को इसका स्वागत करना चाहिये। हम लोग जो यहां बैठे हुये हैं वह समाज के निर्माण में इस प्रगति को स्थान देना चाहते हैं। आज मन्दिर प्रवेश बिल हमारे सदन में उपस्थित है। आज कांग्रेस की सरकार चाहे सेन्ट्रल की हो या हमारे प्रदेश की हो, दूसरे लोग जरूर यह अनुभव करेंगे कि हरिजनों का जो प्रश्न है वह हमारे समाज में एक बड़ा कठिन और गूढ़ प्रश्न है। सरकार ने कानून को बनाया है और उसके अनुसार अधिकार भी दिये हैं लेकिन व्यवहार में वाराणसी में कठिनाई उपस्थित हुई वही अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होती है। संसार में अफ्रीका की समस्या भी हमारे सामन मौजूद है। वहां भी यह समस्या मौजूद है, इसके अलावा दुनिया के अन्य देशों में भी यह चीज मौजूद है। वहां की जनता भी अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्जगत में आन्दोलन करती है और विरोध करती है। हमारे समाज में कुछ ऐसी बातें उपस्थित हैं जो दूसरे देशों में भी वहां के समाज में उपस्थित हैं। वहीं चीजें अफ्रीका तथा अमरीका आदि अन्य देशों में भी मौजूद हैं। जो संसार में बड़े-बड़े लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, वह उन लोगों के साथ जो दबे हुये हैं, पिछड़े हुये हैं, उनके साथ वर्ग तथा वर्ण आदि का भेद उपस्थित करके परेशान करते हैं। हमारे समाज में, हमारे देश में भी इस तरह की बातें मौजूद हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस की सरकार चाहे इस प्रदेश की हो या अन्य प्रदेशों की हो या हमारे देश की हो, उसने इस सीमा तक इस चीज को दूर करने का प्रयत्न किया है कि हमारे ऊपर यानी सरकार के ऊपर कोई आरोप न कर सके कि दूसरी जगह तो हम इस चीज का विरोध करते हैं और हम अपने देश में तथा अपने प्रदेश में इसी चीज को कार्यान्वित करते हैं जिसको कि हम दूसरी जगह बुरा मानते हैं।

श्रीमन्, इसमें कोई हमारी राजनीतिक चाल नहीं है कि दूसरी जगह हम यह कहें कि यह चीज बुरी है और अपने यहां बनाये रखें, ऐसा नहीं है हम अपने यहां भी इसको दूर करना चाहते हैं। हमारे समाज के आन्दोलन का एक रूप है, हमारे जीवन शैली का एक रूप है और हम इसको वही रूप देना चाहते हैं जो दूसरी जगह के लिये हम चाहते हैं। हम यही व्यवहार में लाना चाहते हैं। काशी में मन्दिर प्रवेश आन्दोलन या पूरे भारतवर्ष में मन्दिर प्रवेश के सम्बन्ध में जो परेशानी है वह हमारे सम्मुख उपस्थित है। अभी-अभी हमारे माननीय सदस्य श्री रामलखन जी ने कहा है कि काशी के मन्दिरों के सम्बन्ध में जो सेन्टर का ऐक्ट है उसको लेकर दावे हो चुके हैं और उसमें परेशानियां उपस्थित हुई हैं। कुछ दिनों पहले माननीय मुख्य मंत्री का इसी सदन में एक वक्तव्य हुआ था और उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमारे सामने क्या कठिनाइयां हैं। इसलिये मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और अपने अन्य माननीय मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि हमें समाज के निर्माण में इस प्रकार योग देना है — वास्तव में हमारे समाज में ऐसी कठिनाइयां हैं, बहुत सी जगहों पर ऐसा दकियानूसीपन है, इसमें संदेह नहीं बहुत से अंग हमारे विकृत हैं कि उनको दूर करने की एक ही दिशा हो सकती है जिस दिशा में चल कर हम इस समाज के उत्थान में मदद दे सकते हैं और वह यह है कि हम चाहे विरोध पक्ष के हों, चाहे इस पक्ष के हों प्रश्नों को सही दृष्टिकोण से देखें।

हमारे भाई व्रजविहारी मिश्र जी और नवलकिशोर जी ने भाषण देते हुये चर्चा की कि मुसलमान भाइयों के लिये भी हम स्वागत करते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि ऐसी चर्चा व्यर्थ सी है क्योंकि मुस्लिम सम्प्रदाय मन्दिर प्रवेश में या मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। वह हृदय के किसी कोने से भी इस बात की आवश्यकता

[श्री पद्मनाथ सिंह]

नहीं समझता है। मन्दिर प्रवेश या मूर्ति पूजा से उसके समाजिक जीवन में ठेस पहुंचती है। इसलिये उस समाज के लिये यह प्रश्न ही नहीं उठता है, उसकी चर्चा ही अनर्गल, व्यर्थ की है। यह तो हमारे उस समाज के लिये है और समाज के उस भाग के लिये है जिसको इसकी आवश्यकता है। कहा गया कि इस विधेयक में कोई बात जोड़नी चाहिये। मैंने कांस्टीटयूशन को भी देखा और जो सेन्टर का अनटचएबिलिटी आफेन्सेज ऐक्ट, १९५५ का है वह भी देखा। दोनों को समझ बूझ कर बड़े ही ढंग से इस विधेयक का निर्माण हुआ है जिसमें किसी को सजा न हो लेकिन वे तमाम बाधायें दूर हो जायं जिससे इसमें दिक्कतें न पड़ें।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा इस सदन के माननीय मित्रों से और बाहर की जनता से भी यह अनुरोध करूंगा कि आवश्यकता है इस बात के करने की इस कानून के अलावा भी जो दलित वर्ग को बराबरी के अधिकार प्राप्त होने चाहिये उनमें कमी न हो, ऐसा प्रयत्न होना चाहिये। यह हमारा सब का और भारत के लोगों का भी कर्तव्य है और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी कहूंगा कि उस दिशा में आवश्यक कदम उठाये जायं ताकि उत्तर प्रदेश में इस बात की गुंजायश न रह जाय कि हम कोई जाति या वर्ग विभेद रखते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय आध घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि आज सदन का समय आध घंटा और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*राजा वीरेन्द्रशाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा तो नहीं था कि एक अच्छे कार्य में कुछ और देर लगायी जाय और मैं भाषण दूं लेकिन मैंने जो यहां भाषण सुने उनसे मेरी इच्छा यह अवश्य हुई कि मैं भी अपने विचार इस भवन के सामने रखूं।

श्रीमन्, सरकार ने इस बात को देखते हुये कि वाराणसी में जो आज आन्दोलन मचा हुआ है और यह भी देखते हुये कि वहां ला ऐंड आर्डर को भी भय है और प्रान्त के वातावरण के बिगड़ने का डर है, इस तमाम झगड़े को दूर करने के लिये जो यह विधेयक पेश किया गया है मैं इसका स्वागत करता हूं और सरकार को बधाई देता हूं कि वह इस विधेयक को लायी।

श्रीमन्, जो मैंने यहां भाषण सुने उनसे मुझे आश्चर्य हुआ। सब लोग यही चाहते हैं कि हरिजनों को उठाया जाय और उनको हर वह चीज जो कि हमारे भारतवर्ष में हर मनुष्य के लिये और दुनिया में हर एक के लिये है, दी जाय और उनका बराबरी का दर्जा हो। लेकिन जब उनको वह सब मिल रहा है तो लोग कहते हैं कि इसमें यह खामी है, इसमें यह कमी है और ख्वाजा साहब ने तो यहां तक कह दिया कि इसमें हमारी कम्युनिटी का नाम क्यों नहीं रखा गया। मैं कहता हूं कि कांस्टीटयूशन में दिया हुआ है कि चूंकि उनमें कुछ कमी है, वह पिछड़े हुये हैं इसलिये उनको यह रिजर्वेशन दिया जा रहा है। उनमें यह विशेषता है इसलिये उनको यह संरक्षण है। इस समय ख्वाजा साहब का यह कहना कि उनका नाम इसमें नहीं है, मैं समझता हूं ठीक नहीं है। एक उनके भाई हैं जिन्होंने कि यहां बैठ कर ही पाकिस्तान बनाया है और वह आपके पास ही के देश में बैठे हैं...

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप असंगत हो रहे हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह—मैं वह नहीं कहना चाहता, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो एडवाइस आप यहां दे रहे हैं इस बिल पर, वह दुनिया को दिये होते। मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि अगर उनकी यह एडवाइस किसी पत्रिका में निकली होती कि वह दुनिया का ऐसा विधान चाहते हैं तो यहां उनका ऐसा भाषण करना ठीक होता। जो उनके दिल में है वह सब के दिल में होना चाहिये, लेकिन उसका इस वक्त इस तरह से इजहार ठीक नहीं था। वह बाहर इस बात को कहते ताकि दुनिया को पता चलता कि वहां क्या हो रहा है और आप लोग क्या चाहते हैं।

तो श्रीमन्, मुझे यहां यह कहना है कि हमारा सब का कर्तव्य है कि हरिजन आगे बढ़ें और उनको हर तरह की सुविधा दी जाय। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हम इस सम्बन्ध में कानून से उतना काम नहीं कर सकते जितना कि समाज में एक दूसरे को प्रोत्साहित करके, बढ़ावा देकर कर सकते हैं, जितना हम लोग आपस में मिल जुल कर कर सकते हैं। हम लोग कानून से ज्यादा कार्य कर सकते हैं उनको आगे बढ़ा कर ताकि उनको महसूस न हो कि हम लोग उन्हें छोटा समझते हैं। मैं समझता हूं कि आज इसकी कमी है। मैं यह भी समझता हूं कि हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में यह संकीर्णता नहीं है, लेकिन किसी वजह से अगर किसी ने कंट्रोल कर रखा हो तो उसको दूर करने के लिये हमी हैं और हम ही उसको ठीक कर सकते हैं। यह काम कानून द्वारा ही नहीं, हमारे द्वारा भी हो सकता है। यह देख कर मुझको दुःख हुआ कि इतने कानून बन जाने के बाद भी हमारे भाइयों के दिल में यह भावना है कि हम लोग छोटे समझे जाते हैं। उनको स्वयं इस बात को समझना चाहिये कि हम किसी से छोटे नहीं हैं और जैसा कि हमारे एक हरिजन मित्र ने कहा, मैं उसके लिये उनको बधाई देता हूं। उनका एक बिल भी है उस वजह से मुझ को दुःख हुआ। वह शायद चाहते थे कि वह भी उस बिल में हों। मुमकिन है कि उनके दिल में ऐसी बात आई हो कि वह क्यों उसके मेम्बर नहीं हुए .....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप फिर असंगत हो रहे हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह—तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मंदिर में प्रवेश कराने के लिये हम सब इच्छुक हैं लेकिन इसके साथ मैं यह चाहता हूं कि इसमें राजनीति की या दूसरी बातें न की जायं। हम हरिजनों के लिये ज्यादा कहते हैं इसलिये इसका श्रेय हमको मिल जाय या उनको फुसला कर हम अपना काम बना लें, यह मैं समझता हूं कि ठीक बात नहीं है। विश्वनाथ जी के मन्दिर में कोई विशेषता नहीं है। वह सार्वजनिक मन्दिर है, उसमें अगर हम या हमारी पार्टी हरिजनों को प्रवेश करा दे तो हमें अधिक श्रेय मिल जायगा ऐसी बात भी नहीं है। आप देखें कि जगन्नाथ जी का मन्दिर है। उसके बारे में मशहूर है कि—

जगन्नाथ जी का भात—सकल जगत है खात।

हमारे देश में कोई छोटाई-बड़ाई नहीं है। बद्रीनाथ जी का मन्दिर है। वहां कोई पूछताछ नहीं है। सब के लिये दरबार खुला हुआ है और इसी प्रकार का प्रबन्ध विश्वनाथ जी में भी होना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि इस बिल से उनको शीघ्र से शीघ्र सारे अधिकार मिल जायंगे।

श्री अध्यक्ष—माननीय राजनारायण जी अपनी एक वैयक्तिक सफाई देना चाहते हैं। उसके बारे में मैं उनको सीमा यह बता दूं कि श्री रामलखन ने जो कहा है उसके विषय में आपको उन तमाम बातों पर नहीं जाना चाहिये कि आप भी उनके ऊपर आक्षेप करें। आपने जो मुझे पत्र लिखा है उसका जो दूसरा हिस्सा है वह विषय

[श्री अध्यक्ष]

सदन के सामने नहीं आया है और मैं उसे उठाने की इजाजत आपको नहीं दूंगा। उसका जो पहला हिस्सा है उसकी बात कही गई है यह मान करके अपना स्पष्टीकरण आप दे सकते हैं। जितना भी आपको कहना हो उसके बारे में ही अपनी बात सामने रखें।

*श्री राजनारायण--मैं इस सदन में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि रामलखन मिश्र जी ने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया कि हरिजन मन्दिर प्रवेश बिल की समिति की बैठकों में या जब-जब हरिजन मन्दिर प्रवेश बिल की समिति की बैठक हुई उसमें मन्दिर प्रवेश की बात तो कम कही गयी और सरकार की निन्दा ज्यादा की गयी। मैं समझता हूं कि उन्होंने यह स्पष्ट कहा और उसकी भी शिकायत की, हमारी यह तमाम फाइल, भरी पड़ी हुई है और इसमें यह देखा जाय कि हमने माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा उसमें भी हमने मन्दिर प्रवेश की चर्चा की बात कही और मन्दिर प्रवेश की जो समिति बनी हुई है उस समिति में भी हमने एक सम्मेलन बुलाने की चर्चा की। मगर इसके विपरीत होता यह है कि हमारी नीयत पर हमला यहां पर होता है। रामलखन जी ने जो यहां पर यह साहस किया कि हमारे ऊपर यह लाञ्छन लगायें....

श्री अध्यक्ष--यह बात आप नहीं कह सकते। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं चाहता हूं यहां पर उन सभी बातों को कह दूं।

श्री अध्यक्ष--इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आपने स्पष्टीकरण दे दिया। अब आप बैठ जायं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस सद्भावना के साथ जिस चतुरता का परिचय इस बिल के पेश करने में दिया है उसके लिये उनको बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि इस सदन में जो भाषण दिये गये मैंने उन सबको सुना। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुछ भाइयों ने इस सदन को पब्लिक प्लेट फार्म समझकर भाषण दिया। मैं समझता हूं कि यह सदन हमारे समाज के लिये एक व्यवस्था करने के लिये कदम आगे उठाता है और यहां पर कुछ अधिक विचार-विमर्श उन बातों पर किया जाता है। जो समाज के लिये उपयोगी और समाज की गतिविधि से गहरा सम्बन्ध रखती हों। खासकर उन बातों से जो कि जो फैक्ट्स हों और कयास नहीं हो और जो कल्पना की दुनिया से दूर हों और जो वस्तुस्थिति पर अधिक आधारित हुआ करती है। इसलिये नितान्त आवश्यक है कि हम अपनी स्टेट के विकास की गतिविधि को देखते हुये, अपने समाज के उन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुये जो विकास के लिये अग्रसर हो रहे हैं अपने समाज के पिछड़े वर्ग की ओर भी देखना चाहिये जो सदा से पिछड़े हुए हैं और जिनके अधिकारों को कुछ वर्ग के लोग कुचल रहे हैं। मुझे दुःख है कि आज वह हमारा हिन्दू समाज जो भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि सारे संसार के अन्दर इस बात की घोषणा करता था कि वह दुनिया को सब से ऊंचा प्रकाश दे सकता है और उसने देने का प्रयास भी किया है और आज भी उसकी कीर्ति की पताका संसार में चारों ओर फैल रही है हमारे घर में जिसने बड़ी-बड़ी संस्कृतियों को जन्म दिया है और संसार में आगे रहा है उस देश में अगर इस प्रकार का अंधकार आज भी छाया हो तो इसके लिये मुझे बड़ा अफसोस है। मैं अपने पढ़े लिखे भाइयों का और खासकर एम० एल० ए० महोदयों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने भाइयों को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हमें उन्हें अपने गले से लगाना होगा। भविष्य इस बात को बतलावेगा और महात्मा गांधी ने इस चित्र को वर्षों पहले दिया है कि जब तक हमारे दलितवर्ग के पिछड़े हुये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भाई तन्दुरुस्त और तगड़े होकर हमारे साथ चलने के लिये तैयार नहीं हो जाते तब तक हमारे देश की ताक़त, ६ करोड़ की ताक़त, जिसका हमें अभिमान होना चाहिये, हमें आगे नहीं बढ़ा सकती है। इसलिये जो लोग यह कहते हैं कि यह राजनीतिक मामला नहीं है वह गलत कहते हैं। इसका राजनीति से गाढ़ा सम्बन्ध है। अगर दलितवर्ग को यह अधिकार नहीं दिया जाता तो हमारा देश कमजोर रह जाता है। हमें दूरदर्शिता के साथ इस प्रश्न को हल करना है। महात्मा गांधी ने दलितवर्ग का मसीहा बन कर अपनी जान की बाजी लगाई। अगर आज हम भी वही कदम उठाते हैं तो उनकी सद्भावना, प्रेम और उच्च भावना को साकार बनाने के लिये अग्रसर होते हैं। यही इस बिल का मकसद है। मैं प्रार्थना करता हूं कि किसी प्रकार का शक इसमें नहीं रहना चाहिये और हमें एकसूत्र में बंधकर अपने भाइयों को गले लगा कर आगे ले जाने का प्रयास करना चाहिये। यह बिल हमारी गहरी लालसा और बेचैनी का एक कदम है जिससे हम जल्द से जल्द अस्पृश्यता को खत्म करके अपने भाइयों को उनके उचित अधिकार दिलाना चाहते हैं जो कि गुलामी के कारण खो चुके थे। जो लोग समझते हैं कि वे डिप्रेस्ड क्लासेज को कोई अधिकार दिलाना चाहते हैं इस बिल से, वे गलती पर हैं। उनके स्वतन्त्र हो जाने के बाद उनके वे सब अधिकार जीवित हो उठते हैं और हमें आज उन्हें मान्यता देनी है। यही इस बिल का उद्देश्य है। अगर हम एक कदम इस बिल के जरिये आगे बढ़ाते हैं और अदालत के कानूनी पचड़ों में जब हमारा रास्ता रुक जाता है तो मैं समझता हूं कि यह बात उचित है कि एक बात जो कार्यरूप में परिणत की जा सकती है उसे अवश्य करना चाहिये। इसलिये मैं एक बार फिर माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं और खास कर अपने माननीय कमलापति जी त्रिपाठी के लिये जिन्होंने एक शुद्ध विचार इस सदन में रखा कि हमारी यह भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की जो रूढ़ि है वह ग़लत है और रूढ़िवादी सनातनी असली सनातन धर्मी नहीं हैं। सनातन धर्मी व धर्मः यह बिल उन रूढ़िवादी सनातन धर्मियों को रास्ता दिखाता है और उनको मुसीबतों के दलदल से आगे निकालता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के उद्देश्य को आदर की दृष्टि से देखते हुए भी यह शंका करता हूं कि इस बिल की भी वही दशा न हो जो गवर्नमेंट के अपने कानून सन् १९४७ के और भारत सरकार के सन् १९५५ के कानून की हुई। श्रीमन्, किसी भी कानून की कद्र दो शक्तियां ही किया करती हैं। पहली शक्ति समाज की वह शक्ति है जो सरकार को मजबूर करे ऐसी रूढ़िवादी प्रथा को तोड़ने और मरोड़ने के लिये। दूसरी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की हुआ करती है जो कानून को बनाये और अपने बनाये हुए कानून की पाबन्दी कराये। इस कसौटी पर जब हम इस देश और प्रदेश के कानूनों को देखते हैं जो हरिजन उत्थान और हरिजन मंदिर प्रवेश के लिये बनाये गये, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि हमारे देश और प्रदेश में कोई सामाजिक संगठन इस प्रकार का नहीं है जो इस सरकार को और जो इस देश और प्रदेश में जो समाज विरोधी तत्व और रूढ़िवादी प्रथायें हैं, उनको तोड़ कर ठीक रास्ते पर ला सके। इधर सरकार अपने बनाये हुए कानूनों की पाबन्दी नहीं करती है। जब नहीं करती है तो कुछ ऐसे लोग संस्थायें, राजनैतिक पार्टियां मजबूर होती हैं और उसको लेकर आगे बढ़ती हैं। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की जो सरकार है और जैसे कि माननीय मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द हैं, उनके उपर यह चार्ज है कि भारत सरकार ने जो बिल १९५५ में बनाया उसका पालन हमारे प्रदेश में क्यों नहीं हुआ। सन् १९४७ में जो बिल हमारी प्रदेशीय सरकार ने बनाया उसकी पाबन्दी कहां तक हुई, मैं यह जानना चाहूंगा। अपने प्रदेश में १९४७ का कानून बनने के बाद किन धाराओं में इस कानून को न मानने वालों के खिलाफ कार्यवाई हुई। सदन का हर माननीय सदस्य जानता है कि हमारे यहां कुप्रथा को मिटाने के लिये कानून मौजूद है जिसका पालन

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

नहीं होता है। उसका पालन कराने के लिये जो हरिजन थानों में जाता है तो सही मानों में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। मैं जानना चाहूंगा कि उसकी पाबन्दी कहां तक होती है।

श्रीमन्, कहा गया कि भारत सरकार के कानून के विरुद्ध जो मुंसिफ का आर्डर है उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यह बात सही है कि उसका उल्लंघन किसी भी नागरिक को नहीं करना चाहिये। लेकिन जो विधेयक आज सदन में उपस्थित है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और सूचना मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सन् ५४ के उस आर्डर को लागू हुए आज २ साल हो गये तब से आज तक यह विधेयक क्यों नहीं लाया गया। कहा यह गया कि सोशलिस्ट पार्टी राजनीति को लेकर काम करती है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हैं, क्या सरकार चाहती है और क्या आपकी पार्टी चाहती है। माननीय सूचना मंत्री जी ने कहा कि हमारी पार्टी सारा श्रेय लेना चाहती है। इसको सुनकर हमें ठेस लगी। त्रिपाठी जी को इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिये था कि हम उस संस्था के हैं जिसने सारे कामों को किया है। मैं जानना चाहूंगा कि जिस वक्त महात्मा गांधी ने हरिजन आन्दोलन को चलाया था क्या उस वक्त जो लोग कांग्रेस पार्टी में हैं तथा कांग्रेस के बाहर जो पार्टियां हैं उन पार्टियों के नेता क्या कांग्रेस में न थे। क्या उन लोगों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में हरिजनों के लिये काम नहीं किया? यदि ऐसी बात है तो माननीय सिंचाई मंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से ऐसी बात निकलती है तो उसे माननीय मुख्य मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के जो राजनीतिक कार्यकर्त्ता हैं, जिन्होंने उस पार्टी में रह कर काम किया है, जिन्होंने हरिजनों के लिये, देश की आजादी के लिये उनसे या उनकी पार्टी के किसी नेता से कम खिदमत नहीं की है, कम त्याग नहीं किया है, श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का स्पष्टीकरण करें। श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि गांधी जी के मरने के बाद माननीय सिंचाई मंत्री जी का दावा है कि कांग्रेस पार्टी हरिजनों के लिये सब काम करती रही है। मैं जानना चाहूंगा कि इस बिल के अलावा गांधी जी के मरने के बाद कांग्रेस सरकार की ओर से या उनकी पार्टी की ओर से कौन ऐसा हरिजनों के लिये मन्दिर प्रवेश का बिल लाया गया, उसके लिये कौन सा ठोस कदम उठाया गया? मैं जानना चाहता हूं और मेरे मन में आशंका है कि १९ अप्रैल, १९५४ को निषेधाज्ञा जारी हुई तो आज तक कोई बिल क्यों नहीं लाया गया था? इस बीच में क्या सरकार को होश नहीं था, क्या उसको विवेक नहीं था कि अदालत की निषेधाज्ञा के खिलाफ कोई ऐक्ट बनावे जिससे हरिजनों को मन्दिर प्रवेश की सुविधा प्राप्त हो? श्रीमन्, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सरकार ने मुंसिफ के आर्डर की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वह भारत सरकार द्वारा बनाये हुए कानून की पाबन्दी कराने के लिये इस प्रदेश में कार्यवाही करे? आखिर इस सरकार ने उस कानून के मुताबिक कौन सी कार्यवाही की दो साल के जमाने में? मैं समझता हूं कि यह सरकार की गैर जिम्मेदारी है और यह कांग्रेस सरकार यह सोचने के लिये तैयार नहीं थी। अगर तैयार होती तो दो साल के जमाने में इस निषेधाज्ञा के खिलाफ कार्यवाही जरूर की गयी होती। जो कार्यवाही कि आज की जा रही है वह आज से ६ महीने पहले की जा सकती थी।

श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कानून की पाबन्दी सरकार और मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य करना कराना तो चाहते हैं, लेकिन यह भी कहूंगा कि नीचे के जो लोग कानून की पाबन्दी करने कराने वाले हैं वे जिस विचारधारा के माननीय जयपालसिंह हैं, जिस विचार धारा के माननीय शिवनारायण जी हैं, उस विचारधारा के नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारियों को अपने कर्मचारियों को मजबूर करें, ऐसे मसले पर ईमानदाराना काम करने के लिये। और श्रीमन्, मैं एक नहीं पचासों उदाहरणआपकी आज्ञा से दे सकता हूं कि सरकार ने प्रदेश के हरिजनों के लिये.....

श्री अध्यक्ष---आप विधेयक के ऊपर ही जरा आ जायं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, मैं विधेयक के उद्देश्य का स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही साथ सरकार से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री शिवनारायण---प्वायंट आफ आर्डर सर । माननीय सदस्य ने मेरी नीयत पर हमला किया है ।

श्री अध्यक्ष---कहीं नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, मैं विधेयक का स्वागत करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने अपना ऐक्ट बनाया और इस सरकार ने भी अपना ऐक्ट बनाया सन् १९४७ में, लेकिन इन कानूनों के होते हुए भी हरिजनों के लिये कुछ नहीं किया जा सका, क्योंकि नीचे के अधिकारियों ने उसकी ठीक से पाबन्दी नहीं की । मेरा निवेदन यह है कि सरकार इसके लिये एक ठोस कदम बहुत मजबूती के साथ उठावे ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसी संस्थाओं के खिलाफ, ऐसे रूढ़िवादियों के खिलाफ जो सही माने में इस कानून की, इस देश की मंशा के अनुसार काम नहीं करते, और आपके अधिकारों के उल्लंघन कराने का प्रयत्न करते हैं ।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में दो दिनों से जो बातें कही जाती रही हैं मैंने उनको बहुत ध्यान से सुना और यथासम्भव उनसे शिक्षा ग्रहण करने की भी कोशिश की । सभी लोगों ने विधेयक के उद्देश्य से अपनी सहमति प्रकट की, यह आशा तो मुझे शुरू से ही थी, परन्तु यह स्वाभाविक बात है कि कुछ बातों के सम्बन्ध में मतभेद हो और कुछ बातों के सम्बन्ध में शंका हो । मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि जो मुख्य-मुख्य शंकायें हैं उनको दूर करूं । कुछ ब्योरे की बात करने से पहले एक आध बातों का जिक्र मैं और करना चाहता हूं । अपने भाषण में माननीय गेंदासिंह जी ने कई सैद्धान्तिक बातें कहीं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं प्रायः उन सब बातों से सहमत हूं । यह हो सकता है कि किन्हीं कठिनाइयों से हम अब तक गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स कन्डक्ट रूल्स या इस प्रकार की नियमावली में उस प्रकार के संशोधन न कर सके हों, लेकिन मैं उनकी इस राय से पूर्णतयः इत्तफाक करता हूं कि आज नहीं तो कल, यदि अपने यहां से हमें अस्पृश्यता को दूर करना है तो इस दिशा में जरूर ही कदम बढ़ाना होगा । एक चीज मेरे अपने सम्बन्ध में है, उसके जिक्र की कोई खास आवश्यकता तो नहीं थी लेकिन चूंकि माननीय गेंदासिंह जी ने ऐसा सुझाव दिया था इसलिए उसका जिक्र करता हूं गो उसका बहुत महत्व तो नहीं है, लेकिन मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि यद्यपि मैं विश्वनाथ जी और अन्नपूर्णा जी के मन्दिर में अक्सर ही जाया करता था, परन्तु जब से यह आन्दोलन शुरू हुआ मैंने उन मन्दिरों में पैर नहीं रखा है, बनारस में वहां के हिन्दुओं में मैं कोई अनादर की दृष्टि से नहीं देखा जाता और इसीलिये कुछ लोगों ने जिनको कि यह मालूम हुआ कि मैंने मन्दिर में जाना छोड़ दिया है मुझसे कहा भी और उनको यह जानकर कष्ट भी हुआ है, कई लोगों ने तो कहा कि आपके ऊपर तो कोई रुकावट नहीं है आप क्यों नहीं आते और आपके न आने से हमें कष्ट होता है, लेकिन मैंने कहा कि जो वहां की परिस्थिति है और जो बनारस का वातावरण है उससे मुझे मन्दिर में जाने से और भी ज्यादा तकलीफ होगी ।

कुछ तो आलोचनायें ऐसी हुईं कि उनकी मैं क्या चर्चा करूं । उनका एक बहुत अच्छा उदाहरण तो माननीय जोरावर वर्मा की स्पीच से मिल सकता है । परिस्थिति को न जानते हुए, विषय का अध्ययन न करके, कानून को न समझते हुए जो कुछ भी कहा जा सकता है उसकी ज्यादा अच्छी मिसाल उनके भाषण से मिल सकती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

इसलिए उसके सम्बन्ध में ज्यादा समय लेना सदन का समय नष्ट करना होगा। उनका यह भी कहना है कि एलेक्शन या किन्हीं और वजहों से यह विधेयक लाया गया है। एक मनोविज्ञान की बात है कि हमारे मन में खुद जैसी भावना होती है वैसी ही हमें दूसरों में भी दिखाई पड़ती है। तुलसीदास जी ने भी जैसे कहा है कि "जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी", इसके सिवा और मैं क्या कहूं।

माननीय राजनारायण जी ने कल अपने भाषण में मेरे भाषण के कुछ अंशों पर आलोचना की। उनकी बातों का कुछ तो उत्तर माननीय रामलखन जी की स्पीच से मिल गया। २ बातें हैं। उन्होंने एक पत्र जो मैंने बनारस के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजबिहारी सिंह को लिखा था, अखबारों में शायद छपा था उसको पढ़ा। क्योंकि मैंने पत्र लिखा इससे साबित हो गया कि इससे जरूर उसमें राजनीति की बात आ गई। इसके सम्बन्ध में मुझे एक बात कहनी है उस खत का आशय मैंने सदन को समझा दिया था और शब्दावली राजनारायण जी ने पढ़ दी थी--उसमें यही लिखा था कि हम लोगों को अदालत की मर्यादा की रक्षा करने के लिये जब तक कि अदालत का कोई फैसला नहीं होता है तब तक मेरी सलाह यही है कि आप आन्दोलन को स्थगित करें। उत्तर प्रदेश की सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष माननीय राजनारायण जी अगर चाहें तो मैं इसी प्रकार का खत और इससे भी विनम्र भाषा में उनको भी लिखने को तैयार हूं और उनसे विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले को कानूनी दृष्टि से हल करने का प्रयत्न करें। जब तक कानूनी मामला हल नहीं होता तब तक कोई आन्दोलन न करें। लेकिन फर्क केवल यह है कि माननीय राजबिहारी सिंह जी ने मेरी बात मान ली और माननीय राजनारायण जी से मैं चाहे कितनी ही अनुनय विनय करूं, लेकिन वे मेरी बात मानने के नहीं।

श्री राजनारायण--मैं जरूर मान लूंगा अगर आप भी यह मान लें कि यह आन्दोलन अगर सफल हुआ तो सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हुआ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कुछ कांग्रेस का जिक्र आया। माननीय राजनारायण जी ने यह भी कहा कि अपने खत में कांग्रेस का जिक्र उन्होंने किया। जहां तक कांग्रेस की बात है कुछ तो इस प्रकार का जिक्र खास तौर से कमलापति जी ने किया। उन्होंने यह कहा कि हरिजनों के हित के जो आन्दोलन हुए वे कांग्रेस के नेतृत्व में हुए। इसके सम्बन्ध में माननीय नारायणदत्त जी ने एक बात कही थी और कुछ और लोगों ने भी कही। उनका कहना ठीक है और मैं समझता हूं कि जिस वक्त कमलापति जी ने कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया तो निश्चय ही उनके मन में कोई दूसरी बात नहीं थी। यह बिलकुल सही बात है। महात्मा जी के बाद बहुत दिनों तक वह संस्था जिसका नाम कांग्रेस था उसमें वे बहुत से लोग थे जो किन्हीं कारणों से आज कांग्रेस में नहीं हैं, जिनमें से कुछ मित्रों को अपने सामने बैठे हम देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं यह भी मानने के लिये तैयार हूं यदि सब लोग एक साथ होते तो कांग्रेस की शक्ति और अधिक होती। उन मित्रों के चले जाने से ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि कांग्रेस की शक्ति कुछ कम हुई और उन मित्रों की शक्ति कम है ही। गो अब भी वे ठीक रास्ते पर आयें तो हम दोनों मिल कर ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा करना उन्होंने पसन्द नहीं किया तो जो रास्ता हमने महात्मा जी के नेतृत्व में उस वक्त अख्तियार किया था जब कि हम सब एक साथ थे उसी रास्ते पर वह संस्था जिसको आज कांग्रेस कहते हैं चलती चली जायगी। राजनारायण जी से मैं कहूंगा कि कांग्रेस की इस पालिसी पर चाहे शरीर से वे हमारे साथ न हों, लेकिन नैतिक दृष्टि से आपका समर्थन हमें प्राप्त होता रहेगा। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है मेरे इस कह देने से सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस बराबर होगी यह कदापि नहीं हो सकता। माननीय राजनारायण जी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह का रिजोल्यूशन सोशलिस्ट पार्टी ने पास किया है उसको देखते

हुए उनकी पार्टी की बराबरी करने की हिम्मत हमारे में हो ही नहीं सकती। ऊपर से लेकर नीचे तक, दायें से लेकर बायें तक और एक से लेकर १०० तक मेरे खत पढ़ लिये जायं, जिस तरह से उन्होंने अपने रिजोल्यूशन में पास किया है कि कांग्रेस बेईमान है, उसकी नीयत खराब है, उसने ऐसा नहीं किया है मेरे किसी खत में सोशलिस्ट पार्टी के सम्बन्ध में एक शब्द भी इस तरह का नहीं मिल सकता। उस स्तर तक नीचे उतरने की शक्ति मुझमें नहीं है। इसलिये उस स्तर में उनका एकछत्र राज्य है इस बात का उन्हें पूरा विश्वास करना चाहिये।

श्री राजनारायण—कहने की नहीं काम करने की शक्ति है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—काम करने की शक्ति तो मेरे में जरूर है। आक्षेपों के साथ-साथ कुछ मित्रों ने कहा कि यह शक्ति गवर्नमेंट को है, यह शक्ति गवर्नमेंट को है, लेकिन जो कानून यहां पास हुआ उस पर कोई अमल नहीं हुआ, गवर्नमेंट आफ इंडिया वाले कानून पर भी कोई अमल नहीं हुआ। मैं नहीं जानता कि मेरे मित्रों का ऐसे कहने से क्या मतलब था, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिये था, गवर्नमेंट कोई सत्याग्रह खुद तो कर नहीं सकती थी। गवर्नमेंट अदालतों को तोड़ तो सकती नहीं थी। गवर्नमेंट तो जो एक ढांचा है उसी ढांचे के भीतर काम करती है उस ढांचे के भीतर ही कानूनी ढंग से ही वह काम कर सकती है। एक मुकदमा दायर हुआ। उस मुकदमे के भीतर ही गवर्नमेंट काम कर सकती है। माननीय नारायणदत्त जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाते। लेकिन उनके पास ही बैठे हुए एक माननीय सदस्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे जा सकते थे। वह कोई डाकखाना तो है नहीं कि जब चाहा चले गए टिकट खरीद लिए। वहां तो तभी जाना हो सकता है कि जब कोई फैसला हो। अगर कोई फैसला होता तो हाईकोर्ट में जाते और वहां से भी खिलाफ फैसला होता तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। एक चीज और हुई कि जिस वक्त मुकदमा दायर हुआ थोड़े दिन के बाद मुद्दई लोगों ने यह दरख्वास्त दी कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के एटार्नी जनरल और हमारे यहां के ऐडवोकेट जनरल को भी पार्टी बना लिया जाय। अगर यह पार्टी बना लिए गए होते तो इसके माने यह होते कि स्टेट गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट दोनों पार्टी हो जातीं। यह दरख्वास्त नामंजूर कर दी गई। हाईकोर्ट ने खुद फैसला न करके नीचे की अदालत में भेज दिया और वहां उनके पास उसी तरह मुकद्दमा चलता रहा। तो वह एक रास्ता भी बन्द हो गया। एक किसी ने यह सुझाव दिया कि साहब अदालत में ट्रांसफर की दरख्वास्त पड़ सकती थी। ट्रांसफर की दरख्वास्त यों नहीं पड़ा करती। ट्रांसफर की दरख्वास्त एक अदालत से दूसरी अदालत में ले जाने की दरख्वास्त तभी पड़ती है जब कि यह देख लिया जाय कि इस अदालत में न्याय नहीं मिल सकता या किसी तरह की अदालत की बदनीयती हो। लेकिन वहां एक डेढ़ वर्ष के अन्दर तीन मुंसिफ बदले। अगर एक ही मुंसिफ होता और उसी के यहां यह केस इतने दिनों तक चलता रहता तो सवाल बदनीयती का चाहे न उठाया जाय, लेकिन यह कहने का मौका होता बड़े धीरे-धीरे काम हो रहा है इसलिए दूसरी जगह भेज दिया जाय। लेकिन तीन-तीन अफसर आये और यह इसी तरह चलता रहा। तो इसलिए ट्रांसफर की दरख्वास्त देने का भी कोई सवाल उस समय नहीं था। इसलिए ऐसी स्थिति थी कि हमारे हाथ बंधे हुए थे और उसके बाहर हम निकल नहीं सकते थे। अब हम इस बिल को लाये।

श्री राजनारायण—आन ए प्वायंट आफ इन्फार्मेशन—माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हाई कोर्ट में दरख्वास्त उन्होंने दी कि इंडिया की गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बना ली जाय इसमें पार्टी, तो ऐडवोकेट जनरल ने क्या उसके लिए पैरवी की? क्या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया पार्टी बनना?

श्री नारायणदत्त तिवारी--एक बात मैं भी स्पष्ट करना चाहता हूं श्रीमन्, कि आर्टिकिल ३२ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट प्रोसीजर के लिए या प्रोसीडिंग्स इन्फोर्समेंट के लिए कर सकते हैं दरख्वास्त और प्रेसीडेंट के द्वारा राय भी मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अदालत में जब मकदमा चला जाता है उस वक्त प्रेसीडेंट के लिए दिक्कत हो जाती है। जब तक अदालत में मुकदमा न हो तब तक तो पूछना आसान होता है, लेकिन जब अदालत में चला जाय तो पूछना दिक्कततलब हो जाता है, क्योंकि उससे सारा फैसला बिगड़ सकता है।

श्री राजनारायण--हमारा भी था, श्रीमन्।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--क्या था, मुझे पता नहीं।

श्री राजनारायण--हमारा यह था कि जब हाई कोर्ट में दरख्वास्त पड़ी थी तो क्या ऐडवोकेट जनरल ने जाकर के यह कहा था कि हमको एतराज नहीं है, होने में।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उनके होने का सवाल नहीं है। हाई कोर्ट ने फैसला ही नहीं किया। उन्होंने नीचे की अदालत में भेज दिया।

श्री अध्यक्ष--(श्री राजनारायण से) आप टोकें नहीं बीच में।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अब यह जो आक्षेप किया है कई मित्रों ने जिसको कि माननीय गेंदासिंह जी के शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि हम जो यह बिल लाये हैं यह अनावश्यक है और अपर्याप्त है? मेरा निवेदन यह है कि न तो अनावश्यक है और न यह अपर्याप्त है बल्कि सर्वथा आवश्यक है और सर्वथा पर्याप्त है। यह शिकायत भी की गई कि साहब इस बिल के अन्दर तो जो गवर्नमेंट आफ इंडिया वाला कानून है या हमारा ही कानून है उसकी ही सारी बातें दुहरायी गई हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हम कोई नयी बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन कानून के अनुभवी लोग जानते होंगे कि एक तो विधायक कानून होते हैं, जिनमें कि नये आफेंसेज क्रियेट किये जाते हैं कि इस कानून की अवहेलना करने पर यह दंड दिया जायगा या यह अपराध करने पर यह दंड होगा। और एक कानून ऐसे होते हैं जो डिक्लेरेटरी होते हैं जिनमें कोई नयी बात नहीं कही जाती बल्कि पुराने कानून का आशय समझाया जाता है। तो यह डिक्लेरेटरी कानून है। इसमें कोई नयी बात नहीं कही गई है। पुराने कानून की बातें ही कही गई हैं। इसमें नया आफेंस नहीं क्रियेट किया गया है। आफेंस तो वही हैं जो पुराने कानून में दिए हुए हैं। तो सवाल यह है कि जब पुराने कानून की बात दुहरायी गई है तो इसके लाने की आवश्यकता क्या थी? इसकी वजह है। यह आज कई बार सवाल मुझसे हुआ कि वह जो इंजंक्शन आर्डर था उसके शब्द क्या थे, लेकिन यह किसी ने एक बार नहीं पूछा कि वह मुकदमा क्या है जिसकी वजह से इंजंकशन आर्डर ईश्यू हुआ। इंजंक्शन आर्डर वैसे तो ईश्यू होता नहीं। वह तो जब कोई मुकदमा दायर होता है और किसी की समझ में आता है कि इस मुकदमे के फैसले में देर होगी और बीच में ऐसी बात हो जाय, जिससे मुकदमे के फैसले पर असर पड़े तो उसके लिये ईश्यू कराया जाता है। मसलन एक मकान का झगड़ा है। एक आदमी कहता है कि मकान मेरा है और दूसरा कहता कि मेरा है और एक आदमी को मालूम हो गया कि दूसरी पार्टी मकान को गिरवाने वाली है तो वह समझता है कि अगर गिर ही जायगा तो वह किसी का नहीं रहेगा, तो वह दरख्वास्त देता है कि जब तक फैसला न हो जाय तब तक मकान गिरने से रोक दिया जाय। असल बात यह है कि यह बात तो तभी मालूम होगी जब यह मालूम होगा कि वह मुकदमा क्या था जिसके ऊपर इंजंकशन आर्डर मुंसिफ का ईश्यू कराया गया और तभी इस कानून की विशेषता मालूम होगी।

उसमें दो तीन चीजें हैं। एक यह है कि हमारा उत्तर प्रदेश वाला कानून सन् ४७ का था, फिर उसमें अर्जी-दावे को तरमीम किया, बदलवाया और फिर गवर्नमेंट आफ इंडिया का सन् ५५ वाला कानून, वह दोनों कहा गया कि अल्ट्रा वायर्स है, चाहे उत्तर प्रदेश की विधान

सभा हो या पार्लियामेंट हो, उसको इस किस्म का कानून बनाने का अख्तियार नहीं है। अगर केवल कांस्टीट्यूशन का सवाल होता तो यह मसला हाई कोर्ट में जा सकता था, लेकिन उसके अन्दर तीन-चार बातें भी कहीं गयी हैं। मसलन एक उसमें यह है कि --

"The temple is not a Hindu Religious Institution much less a religious institution of a public character within the meaning of Article 25 (2) (*b*) of the Indian Constitution."

उनका कहना यह है कि कानून को हम कहते हैं कि संविधान के विरुद्ध है, लेकिन हम मान लेते हैं कि वह संविधान के विरुद्ध नहीं है, अन्दर है, लेकिन तब भी जो गवर्नमेंट आफ इंडिया का कानून है उसमें पब्लिक इंस्टीट्यूशन शब्द आ गया है और वह संविधान में भी है। तो यह रिलीजस इंस्टीट्यूशन तो पब्लिक करेक्टर का है ही नहीं। पब्लिक इंस्टीट्यूशन में विश्वनाथ जी का मन्दिर आता ही नहीं। कानून भले ही ठीक हो, लेकिन वह उसकी व्याख्या के अन्दर नहीं आता है। एक सेक्शन में दिखलाया है कि पब्लिक रिलीजस इंस्टीट्यूशंस जो हिन्दुओं के होते हैं वह कई तरह के होते हैं। कोई एक प्रकार का होता है, किसी में दो प्रकार, किसी में तीन प्रकार और किसी में ५ प्रकार होते हैं। किसी में ४ भी हो सकते हैं। तो हर प्रकार वाले जो इंस्टीट्यूशन्स हैं उनके अन्दर पूजा की अलग-अलग रीति है। विश्वनाथ जी का एक प्रकार वाला है, तो संविधान का कानून इसमें लागू होता ही नहीं है।

फिर एक बहस और है। वह यह कहते हैं कि- --

"That the Act does not give any right to the defendents or any member of the scheduled caste to have access to the temple of Lord Vishwanathji or enjoy the advantages, facilities and privileges of such temple to the extent the same are available to the plaintiffs or other Hindus."

वह कहते हैं कि मान लिया, कानून ठीक है, बिलकुल ठीक है, लेकिन इस कानून के अनुसार जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनको विश्वनाथ जी के मंदिर में पूजा करने का अधिकार मिलता ही नहीं। इसके शब्द से कानून को गलत नहीं कहते हैं, मान लेते हैं कि सही है, लेकिन कहते हैं कि इन शब्दों की व्याख्या अगर की जाय तो वह बात पड़ेगी कि विश्वनाथ जी का मंदिर पब्लिक रिलीजस इंस्टीट्यूशन नहीं है और अगर है भी तो गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो कानून है उसके शब्दों के अनुसार शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को मंदिर में पूजा करने का अधिकार ही नहीं मिलता। यह सवाल किसी अदालत से ही फैसल हो सकता है। रोज ही मुकदमे होते रहते हैं, उनमें कानूनों के इंटरप्रिटेशन दूसरे होते हैं।

तो हमने जो किया है वह माननीय सदस्य देखें। हमने रिलीजस इंस्टीट्यूशन आफ पब्लिक कैरेक्टर को रखा ही नहीं। हमने "टैम्पिल" का लफ्ज रखा है, "मंदिर" का लफ्ज रखा है ताकि किसी किस्म का झगड़ा न पड़े कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के कानून का शब्द आपने रखा है या कांस्टीट्यूशन वाला रखा है। हमने अलग एक पारिभाषिक शब्द अपनाया है "टैम्पिल" और "टैम्पिल" शब्द की व्याख्या करते समय खाली उत्तर प्रदेश के नहीं, मद्रास के और जहां-जहां ऐसे कानून हैं, जहां-जहां मुकदमे चले हैं, जहां-जहां अदालतों के जैसे फैसले हुये हैं इन सब फैसलों को देखकर हमने भरसक कोशिश की है कि टैम्पिल की व्याख्या, परिभाषा, डैफीनीशन ऐसी रखी जाय जो अभी तक अदालतों में सर्वमान्य रही हो ताकि उसको चैलेंज न किया जा सके। एक तो हमने यह चीज रखी है। दूसरी यह कि इस कानून के अनुसार कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि यह कानून डिक्लेरेटरी बना है इस कानून के अनुसार हमने व्याख्या कर दी है कि इस कानून का मतलब यही है कि जो लोग इस तरह के हैं उनको मंदिर में दर्शन करने का पूरा अधिकार है और उतना ही अधिकार है जितना कि दूसरे लोगों को अधिकार है। कानून के द्वारा कानूनी अर्थ लगा दिये गये हैं कि जैसा किसी हिन्दू को अधिकार होता है दर्शन करने

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

का, उसी तरह से इनको अधिकार है। इसका परिणाम यही है कि यह चीज स्पष्ट हो गई है। किन्तु अदालती दांव पेंच की बात मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जहां तक हमारा ख्याल है वह यह है कि इस किस्म के मुकदमे जो बनारस में चला, नहीं चल सकते हैं। यह कानून विश्वनाथ जी के मन्दिर के लिये ही तो खाली नहीं है। जैसे हमारे साथी नारायण दत्त जी ने कहा कि हमारे यहां देवी देवताओं के हजारों मंदिर हैं कहीं कुछ रस्म रिवाज हैं और कहीं कुछ हैं। लेकिन कहीं कुछ भी हो, लेकिन हमने तो ऐसी चीज रखी है जिससे ऐसे मुकद्दमे नहीं चल सकते हैं। यदि सवाल आये रिलीजस इंस्टीट्यूशन आफ पब्लिक करैक्टर का तो हम कह सकते हैं कि हमने तो टैम्पिल रखा है इसलिये यह विधेयक अनावश्यक नहीं है। और पर्याप्त इसलिये है कि जो कमियां हो सकती थीं वह इसमें रखने का प्रयत्न किया गया है।

इसका मतलब यह नहीं है कि अब मुकदमे चल ही नहीं सकते हैं। यों तो कई प्रकार के मुकद्दमे चल सकते हैं कि कांस्टीट्यूशन में यह होता है या नहीं। लेकिन यह बात नहीं हो सकती है। जैसे कि बनारस के मामले में डेढ़ दो साल लग गये। अब कोई मुकद्दमा आयेगा तो हाईकोर्ट में आयेगा। जहां तक हाईकोर्ट का सवाल है तो हाई कोर्ट में कांस्टीट्यूशन के लिये अलग बेंच बना रखी है। इसलिये वहां तो मुकदमा जाने पर बहुत जल्दी फैसला हो जायगा और इस तरह से डेढ़ दो साल का समय नष्ट नहीं होगा। यदि जरूरत पड़े तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। लेकिन डेढ़ दो साल लग गये यह चीज नहीं होगी। खाली एक ही प्रश्न उठ सकता है और उसका फैसला भी बहुत जल्दी हो सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन के किस आइटम और किस आर्टिकिल के अनुसार यह विधेयक लाया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल १७ इत्यादि जितने आर्टिकिल्स जो रिलीजस मामलों से संबंधित हैं उन सबके अनुसार यह विधेयक लाया गया है। आप विरोधियों के लिये मसाला क्यों देते हैं? अदालत में तो पूछ ही लिया जायगा।

यह बात सही है जैसा कि कल माननीय नारायणदत्त जी ने कहा कि केवल कानून पास कर देने से काम नहीं चला करता है। सबसे बड़ी चीज पब्लिक ओपीनियन बनाने की है। एक चीज और जैसा कि श्री राम सुमेर जी ने कहा कि हरिजनों को अपने अन्दर कर लेना चाहिये, वैसा बल नहीं कि हजार डेढ़ हजार आदमी आन्दोलन के लिये ले आयें बल्कि नैतिक बल लाना चाहिये, निष्ठा लानी चाहिये। यह नहीं सवर्णों का मंदिर है, हमें जाने का अधिकार नहीं है। इस चीज को निकाल देना चाहिये और सोचना चाहिये कि हमारा भी अधिकार है और हम भी हिन्दू हैं। नैतिक बल के आधार पर ही उनको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। विश्वनाथ जी उनको दर्शन देंगे, इसका मतलब यही होगा कि हिन्दुओं को प्रेरणा होगी और फिर इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। सनातनी भाइयों में यह चीज पैदा करनी चाहिये और उनके अन्दर पब्लिक ओपिनियन बनानी चाहिये। यह नहीं कि ब्राह्मणों का सत्यानाश हो, मंदिर की दीवारें टूटेंगी, बल्कि आज उनको बतलाने की जरूरत है कि जैसा कि आपका सनातन धर्म कहता है उसके अनुसार इनको भी भगवान के दर्शन करने का अधिकार है। जहां आप उनको छोटी जाति कहते हैं। आपका कहना है कि "पदभ्याम शूद्रो अजायत" शूद्र भगवान के चरणों से निकले हैं। आपकी बात सही है। भगवान के चरणों से जो निकला है वह शूद्र नहीं हो सकता है। भगवान के चरणों से जब वह निकले हैं और आप मानते हैं कि शूद्र चरण हैं तो बड़े से बड़े आदमियों के सिर पर भगवान के चरण पड़ते हैं, तो फिर इनके दर्शन करने से मंदिर कैसे अपवित्र हो जायगा? हमारा कहना यह है कि आज समाज के बीच में पब्लिक ओपीनियन बनाने की जरूरत है। कानून से काम नहीं चल सकता है, हम भी इस बात को मानते हैं।

मैं देखता हूं कि एक चीज़ की वजह से बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है। हमारे कई मित्रों ने कहा कि मंदिर में जंगला बनायेंगे, कटघरा बनायेंगे। इस विधेयक में न तो कहीं जंगले का जिक्र है और कहीं कटघरे का ही जिक्र है इसमें इन सब बातों का जिक्र नहीं है इसमें केवल इतनी बात है कि जिस तरह से सबको समान रूप से अधिकार हो। अब वह रूप चाहे जहां तय होता हो, लेकिन इस कानून के अन्दर कहीं ऐसी बात नहीं कही गयी है, वह बाहर की बात है। इसमें एक शब्द आया है "सीमा"। इसकी वजह से कुछ लोगों के मन में दिक्कत पैदा हो गयी है। मैं क्या बताऊं, जिन लोगों ने इस पर आक्षेप किया वे सभी अंग्रेजी के पंडित होंगे। आप अंग्रेजी का बिल उठा कर देख लीजिये। उसमें लिखा है "In the same manner and to the same extent". सन् १९५५ का जो गवर्नमेंट आफ इंडिया का कानून है उसमें भी यही लिखा हुआ है। हर जगह आपको यही मिलेगा। हिन्दी अनुवाद है "उसी प्रकार और उसी सीमा तक"। आम तौर से इसी सदन में ऐसे कानून बने हैं कि जिनमें "एक्सटेंट" का हिन्दी अनुवाद "सीमा" किया गया है। किसी डिक्शनरी में सीमा माने कटघरा या जंगला नहीं है। और जो चीज नहीं है उसको व्यर्थ में लाकर संदेह पैदा करना यह एक चीज को बिगाड़ने की बात है। मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने थोड़ा सा निवेदन किया है उससे माननीय सदस्यों को स्पष्ट हो गया होगा कि यह बिल आवश्यक है, यह बिल अपर्याप्त नहीं है। यह मैं नहीं कहता हूं कि इससे सारी दिक्कतें दूर हो जायंगी, लेकिन जो हम लोगों का उद्देश्य है उस तक पहुंचने में इससे अधिकाधिक सहायता मिलेगी। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष--श्री सीताराम शुक्ल ने कल यह अनुमति मांगी थी कि वे अपना संशोधन वापस ले लें। उसके ऊपर कल राय नहीं ली गयी थी। उनका संशोधन इस प्रकार था:--

"उत्तर प्रदेश मंदिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६ जनमत संग्रह के लिये ३१ दिसम्बर, १९५६ तक घुमाया जाय।"

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--अब प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंदिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) धेयक, १९५६, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर २७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२ अगस्त, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२३ पर)

विद्युत वितरण की दरें निम्न प्रकार से हैं।

	सकल दर प्रति यूनिट			अपहार			शुद्ध दर		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
प्रकाश तथा पंखा	०	८	०	०	१	०		—	
घरेलू तथा औद्योगिक यंत्र ..	०	६	०	०	१	०	०	५	०
चलक्षेपित्र प्रक्षेप :									
प्रथम ४०० यूनिट प्रतिमास के उपभोग पर ..	०	६	०	०	१	०	०	५	०
४०० यूनिट के ऊपर के उपभोग पर ..	०	५	०	०	१	०	०	४	०
औद्योगिक धंधे									
अधिष्ठापित प्रति अश्व शक्ति के प्रथम १०० यूनिट प्रतिमास पर ..	०	४	०	०	०	६	०	३	६
अधिष्ठापित प्रति अश्व शक्ति के अन्य १०० यूनिट प्रतिमास पर..	०	३	६	०	०	६	०	३	०
अधिष्ठापित प्रति अश्व शक्ति के २०० यूनिट प्रति मास से अधिक पर	०	३	०	०	०	६	०	२	६

नोट—देयक बिल का १४ दिन के अन्दर नकद शोधन करने पर अपहार दिया जाता है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२४ पर)

श्री भूप स्वरूप सक्सेना की हत्या से सम्बन्धित विवरण

२८ जून, सन् १९५६ को कोतवाली थाने में इस आशय की रिपोर्ट की गई कि उस दिन शाम के ५ बजे इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, मुरादाबाद के रेजीडेंट इंजीनियर, श्री डी० जी० अथालय के स्थानान्तरण के संबंध में वहां के कर्मचारियों ने उनको एक विदाई पार्टी देने का आयोजन किया था। श्री भूप स्वरूप सक्सेना उक्त कम्पनी के एक पदच्युत कर्मचारी थे। वह लगभग २५ समर्थकों के साथ काले झण्डे और बैज लेकर विदाई दिये जाने के स्थान पर प्रदर्शन करने पहुंचे और "डी० जी० अथालय मुर्दाबाद" के नारे लगाये। श्री अथालय तथा एक अन्य इंजीनियर श्री बी० एन० तिवारी ने कर्मचारियों को आदेश दिया कि वह प्रदर्शनकारियों के झंडे छीन कर उनको वहां से भगा दें। जब वह ऐसा करने में असफल रहे तो उनसे प्रदर्शनकारियों को मारने के लिये कहा गया। कुछ लोग लाठियां और एक भाला ले आये। एक व्यक्ति ने श्री सक्सेना की छाती में भाला भोंक दिया। जिससे वह अस्पताल जाते समय रास्ते में मर गये। ३,४ अन्य लोगों के भी लाठियों से चोट लगी। इस संबंध में आई० पी० सी० की धारा १४८/३०२ के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया। ८ व्यक्ति पकड़े जा चुके हैं, जिसमें श्री डी० जी० अथालय और श्री बी० एन० तिवारी भी शामिल हैं। यह सब लोग जेल में हैं। एक व्यक्ति अभी फरार है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है और ९ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है।